जगह: _____

व्यापार संबंधित कर्ज़ एग्रीमेंट

(प्रतिभूतिरहित)

आवेदक का नाम	:	_____
कर्ज़ खाता संख्या.	:	_____
निवास का पता	:	_____
		_____

AXIS FINANCE

क्रमांक	सूची
1	कर्ज़ एग्रीमेंट
2	सुविधा समझौते की शर्तों की अनुसूची
3	शुल्क अनुसूची
4	परिभाषाएँ
5	सामान्य नियम और शर्तें
6	मुख्य तथ्य विवरण
7	भुगतान के लिए निवेदन
8	अंतिम उपयोग

AXIS FINANCE

(To be stamped as applicable in the State of Execution)

कर्ज़ एग्रीमेंट

(उधारकर्ता(ओं) और सह-उधारकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित किया जाना है)

कृपया निम्नलिखित व्यापार संबंधित कर्ज़ एग्रीमेंट/सुविधा संबंधित एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें। इसमें आपके अधिकारों और दायित्वों के साथ आप पर लागू होने वाली सीमाएँ और अपवाद के बारे में बहुत ज़रूरी जानकारी शामिल है।

इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके, आप इस एग्रीमेंट से बाध्य होने के लिए सहमति दे रहे हैं और इस एग्रीमेंट में एक पक्ष के रूप में शामिल हो रहे हैं।

यह कर्ज़ एग्रीमेंट **("सुविधा संबंधित एग्रीमेंट " या "एग्रीमेंट ")** _____(**जगह)** में, आज _____ के दिन _____, 20____, को (**"प्रभावी तिथि"**) के बीच किया गया है:
यह एग्रीमेंट किसी व्यक्ति/एकल स्वामित्व वाली फ़र्म/सीमित देयता भागीदारी/साझेदारी फ़र्म/ट्रस्ट/सोसाइटी/एचयूएफ/निजी कंपनी/सार्वजनिक कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि शर्तों की अनुसूची में ज़्यादा बेहतर ढंग से शामिल है, उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता (ओं) के रूप में (बाद में इसे **"उधारकर्ता"** के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति, जहां भी संदर्भ अनुमति देता है, के रूप में माना जाएगा और शामिल होगा और जहां संदर्भ को उसके/उनके उत्तराधिकारियों, कानूनी प्रतिनिधियों, प्रशासकों, उत्तराधिकारियों, निष्पादकों और अनुमति अनुसार नियुक्त व्यक्ति, वगैरह की ज़रूरत होती है) **पहले भाग** के रूप में शामिल हैं।

एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित किया गया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय ग्राउंड फ्लोर, एक्सिस हाउस, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुद्धकर मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 025, महाराष्ट्र और 01 पहली और 02 दूसरी मंजिल, ऋषमूक बिल्डिंग, पंचकुइयां रोड, आर के आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली - 110001 (इसके बाद **"एएफ़एल (एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड)"** या "**उधारदाता "** के रूप में संदर्भित किया जाता है, जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता हो सकती है, जो अभिव्यक्ति, जब तक कि यह संदर्भ या उसके मतलबके प्रतिकूल न हो, को उसके उत्तराधिकारियों, हस्तांतरियों और असाइनों को शामिल करने के लिए समझा जाएगा) दूसरे भाग के रूप में में शामिल है।

चूंकि उधारकर्ता(ओं) के अनुरोध पर, उधारदाता ने उधारकर्ता(ओं) को कर्ज़ देने के लिए सहमति व्यक्त की है/दी हैजो कि शर्तों की अनुसूची में उल्लिखित राशि से ज़्यादा नहीं होगी। साथ ही, सामान्य नियम और शर्तों को (बाद में इसे **"सुविधा"** के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।

अब यह एग्रीमेंट इस बात का गवाह है और इसके द्वारा पार्टियों द्वारा और उनके बीच सहमति व्यक्त की जाती है कि वे नीचे दी गई शर्तों की अनुसूची के अलावा, सामान्य नियमों और शर्तों के तहत होंगे।

मुख्य तथ्य विवरण

मुख्य तथ्य विवरण उधारकर्ता एतद्द्वारा पुष्टि करता है कि इस अनुबंध के निष्पादन से पहले, उधारकर्ता को वार्षिक प्रतिशत दर और पुनर्भुगतान/परिशोधन अनुसूची सहित मुख्य तथ्य विवरण प्राप्त हुआ है, जो अनुसूची V ("केएफएस") के रूप में संलग्न है और उधारकर्ता को ऐसे केएफएस की सामग्री को विस्तार से समझाया गया है और उधारकर्ता ने केएफएस को पढ़ा और समझा है। उधारकर्ता आगे पुष्टि करता है कि उधारकर्ता समझता है कि पुनर्भुगतान/परिशोधन अनुसूची समय-समय पर विभिन्न कारकों जैसे कि सुविधा के तहत संवितरण की राशि और समय, ब्याज दर में परिवर्तन/उतार-चढ़ाव, सुविधा के तहत/संबंध में चूक आदि के आधार पर बदल सकती है।

पुष्टि: उधारकर्ता (ओं) इसके द्वारा सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि इस एग्रीमेंटके सामान्य नियमों और शर्तों को पूरी तरह से समझाया गया है और उधारकर्ता (ओं) ने पूरी तरह से पढ़ा है, सत्यापित किया है, समझा है और अपरिवर्तनीय रूप से सहमत हैं और स्वीकार किए गए हैं और सभी प्रावधानों को वितरित किया है सामान्य नियमों और शर्तों में निहित है, और यह कि उधारकर्ता (ओं) ने इस एग्रीमेंटको पूरी तरह से ज्ञान और समझ के साथ निष्पादित किया है, जो यहां स्वेच्छा से किए गए दायित्वों को समझा और स्वीकार किया गया है। इस एग्रीमेंटकी एक प्रति और सामान्य नियम और शर्तें, उधारकर्ता (ओं) को दी जा रही हैं और उधारकर्ता (ओं) उसी की प्राप्ति को स्वीकार करते हैं।

_____	_____	_____
उधारकर्ता	**सह-उधारकर्ता 1**	**सह-उधारकर्ता 2**

_____	_____	_____
सह-उधारकर्ता 3	**सह-उधारकर्ता 4**	**सह-उधारकर्ता 5**

_____	_____	_____
सह-उधारकर्ता 6	**सह-उधारकर्ता 7**	**सह-उधारकर्ता 8**

AXIS FINANCE

अनुसूची I -

सुविधा समझौते की शर्तों की अनुसूची

शर्तों की अनुसूची (**अनुसूची**) इस _____ दिन _____, 20____ (**"प्रभावी तिथि"**) को _____ **(उधारकर्ता)** _____ **(सह-उधारकर्ता(ओं))** और एक्सिस फ़ाइनेंस लिमिटेड (**उधारदाता**) के बीच सुविधा संबंधित एग्रीमेंट/एग्रीमेंट के तहत _____ पर बनाई गई है। इस अनुसूची को एग्रीमेंट के साथ पढ़ा जाएगा और यह एग्रीमेंट का एक अभिन्न हिस्सा होगा।

उधारकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी **(कृपया बड़े अक्षरों में लिखें)**

	पहला नाम	मध्य नाम	उपनाम
नाम			
(आवासीय/पंजीकृत कार्यालय) पता			
शाखा कार्यालय का पता (अगर लागू हो)			
सीआईएन(कॉर्पोरेटआइडेंटिफिकेशन नंबर)/ पंजीकरण संख्या / पैन (जो भी मौजूद हो)			
टेलीफ़ोन और मोबाइल नंबर / व्हाट्सएप नंबर।		फैक्स	
ईमेल आईडी			
उधारकर्ता की कानूनी स्थिति: व्यक्तिगत / स्वामित्व / एलएलपी / साझेदारी फर्म / ट्रस्ट / सोसाइटी / एचयूएफ / कंपनी (जैसा लागू हो, टिक करें)			

सह-उधारकर्ता 1 की व्यक्तिगत जानकारी **(कृपया बड़े अक्षरों में लिखें)**

	पहला नाम	मध्य नाम	उपनाम
नाम			
(आवासीय/पंजीकृत कार्यालय) पता			
शाखा कार्यालय का पता (अगर लागू हो)			
सीआईएन(कॉर्पोरेटआइडेंटिफिकेशननंबर)/ पंजीकरण संख्या / पैन(जो भी मौजूद हो)			
टेलीफ़ोन और मोबाइल नंबर / व्हाट्सएप नंबर।		फैक्स	
ईमेल आईडी			
उधारकर्ता की कानूनी स्थिति: व्यक्तिगत / स्वामित्व / एलएलपी / साझेदारी फर्म / ट्रस्ट / सोसाइटी / एचयूएफ / कंपनी (जैसा लागू हो, टिक करें)			

सह-उधारकर्ता 2 की व्यक्तिगत जानकारी **(कृपया बड़े अक्षरों में लिखें)**

	पहला नाम	मध्य नाम	उपनाम
नाम			
(आवासीय/पंजीकृत कार्यालय) पता			
शाखा कार्यालय का पता (अगरलागू हो)			

सीआईएन(कॉर्पोरेटआइडेंटिफिकेशन नंबर)/ पंजीकरण संख्या / पैन (जो भी मौजूद हो)			
टेलीफ़ोन और मोबाइल नंबर / व्हाट्सएप नंबर।		फैक्स	
ईमेल आईडी			
उधारकर्ता की कानूनी स्थिति: व्यक्तिगत / स्वामित्व / एलएलपी / साझेदारी फर्म / ट्रस्ट / सोसाइटी / एचयूएफ / कंपनी (जैसा लागू हो, टिक करें)			

सह-उधारकर्ता 3 की व्यक्तिगत जानकारी **(कृपया बड़े अक्षरों में लिखें)**

	पहला नाम	मध्य नाम	उपनाम
नाम			
(आवासीय/पंजीकृत कार्यालय) पता			
शाखा कार्यालय का पता (अगर लागू हो)			
सीआईएन(कॉर्पोरेटआइडेंटिफिकेशन नंबर)/ पंजीकरण संख्या / पैन (जो भी मौजूद हो)			
टेलीफ़ोन और मोबाइल नंबर / व्हाट्सएप नंबर।		फैक्स	
ईमेल आईडी			
उधारकर्ता की कानूनी स्थिति: व्यक्तिगत / स्वामित्व / एलएलपी / साझेदारी फर्म / ट्रस्ट / सोसाइटी / एचयूएफ / कंपनी (जैसा लागू हो, टिक करें)			

सह-उधारकर्ता 4 की व्यक्तिगत जानकारी **(कृपया बड़े अक्षरों में लिखें)**

	पहला नाम	मध्य नाम	उपनाम
नाम			
(आवासीय/पंजीकृत कार्यालय) पता			
शाखा कार्यालय का पता (अगर लागू हो)			
सीआईएन(कॉर्पोरेटआइडेंटिफिकेशन नंबर)/ पंजीकरण संख्या / पैन (जो भी मौजूद हो)			
टेलीफ़ोन और मोबाइल नंबर / व्हाट्सएप नंबर।		फैक्स	
ईमेल आईडी			
उधारकर्ता की कानूनी स्थिति: व्यक्तिगत / स्वामित्व / एलएलपी / साझेदारी फर्म / ट्रस्ट / सोसाइटी / एचयूएफ / कंपनी (जैसा लागू हो, टिक करें)			

सह-उधारकर्ता 5 की व्यक्तिगत जानकारी **(कृपया बड़े अक्षरों में लिखें)**

	पहला नाम	मध्य नाम	उपनाम
नाम			
(आवासीय/पंजीकृत कार्यालय) पता			

शाखा कार्यालय का पता (अगर लागू हो)			
सीआईएन(कॉर्पोरेटआइडेंटिफिकेशन नंबर)/ पंजीकरण संख्या / पैन (जो भी मौजूद हो)			
टेलीफ़ोन और मोबाइल नंबर / व्हाट्सएप नंबर।		फैक्स	
ईमेल आईडी			
उधारकर्ता की कानूनी स्थिति: व्यक्तिगत / स्वामित्व / एलएलपी / साझेदारी फर्म / ट्रस्ट / सोसाइटी / एचयूएफ / कंपनी (जैसा लागू हो, टिक करें)			

सह-उधारकर्ता 6 की व्यक्तिगत जानकारी **(कृपया बड़े अक्षरों में लिखें)**

	पहला नाम	मध्य नाम	उपनाम
नाम			
(आवासीय/पंजीकृत कार्यालय) पता			
शाखा कार्यालय का पता (अगर लागू हो)			
सीआईएन(कॉर्पोरेटआइडेंटिफिकेशन नंबर)/ पंजीकरण संख्या / पैन (जो भी मौजूद हो)			
टेलीफ़ोन और मोबाइल नंबर / व्हाट्सएप नंबर।		फैक्स	
ईमेल आईडी			
उधारकर्ता की कानूनी स्थिति: व्यक्तिगत / स्वामित्व / एलएलपी / साझेदारी फर्म / ट्रस्ट / सोसाइटी / एचयूएफ / कंपनी (जैसा लागू हो, टिक करें)			

सह-उधारकर्ता 7 की व्यक्तिगत जानकारी **(कृपया बड़े अक्षरों में लिखें)**

	पहला नाम	मध्य नाम	उपनाम
नाम			
(आवासीय/पंजीकृत कार्यालय) पता			
शाखा कार्यालय का पता (अगर लागू हो)			
सीआईएन(कॉर्पोरेटआइडेंटिफिकेशन नंबर)/ पंजीकरण संख्या / पैन (जो भी मौजूद हो)			
टेलीफ़ोन और मोबाइल नंबर / व्हाट्सएप नंबर।		फैक्स	
ईमेल आईडी			
उधारकर्ता की कानूनी स्थिति: व्यक्तिगत / स्वामित्व / एलएलपी / साझेदारी फर्म / ट्रस्ट / सोसाइटी / एचयूएफ / कंपनी (जैसा लागू हो, टिक करें)			

सह-उधारकर्ता 8 की व्यक्तिगत जानकारी **(कृपया बड़े अक्षरों में लिखें)**

	पहला नाम	मध्य नाम	उपनाम

AXIS FINANCE

नाम			
(आवासीय/पंजीकृत कार्यालय) पता			
शाखा कार्यालय का पता (अगर लागू हो)			
सीआईएन(कॉर्पोरेटआइडेंटिफिकेशन नंबर)/ पंजीकरण संख्या / पैन (जो भी मौजूद हो)			
टेलीफ़ोन और मोबाइल नंबर / व्हाट्सएप नंबर।		फैक्स	
ईमेल आईडी			
उधारकर्ता की कानूनी स्थिति: व्यक्तिगत / स्वामित्व / एलएलपी / साझेदारी फर्म / ट्रस्ट / सोसाइटी / एचयूएफ / कंपनी (जैसा लागू हो, टिक करें)			

ऋणदाता शाखा विवरण:
ऋण का उद्देश्य:
सुविधा (रु)
आवेदन शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क : आवेदन शुल्क- शून्य प्रसंस्करण शुल्क- 3% तक + लागू कर। इसके अलावा, जब तक कि उधारकर्ता(ओं) द्वारा पहले ही भुगतान न किया गया हो, एएफएल पहला वितरण करते समय ऋण प्रसंस्करण शुल्क काट लेगा।
टर्म लोन के लिए
समान मासिक किस्त :-
समान मासिक किस्त देय तिथि / चुकौती तिथि:-
व्यवसाय ऋण की अवधि : समान मासिक किस्तों में पुनर्भुगतान आवृत्ति
ओडी (ओवरड्राफ़्ट) कर्ज़ के लिए
दोबारा भुगतान करने की राशि - ओडी सुविधा के लिए मासिक पुनर्भुगतान राशि मूलधन (सीमा ड्रॉप राशि) और ब्याज़लगाया जाएगा (उधार उपयोग)
देय तिथि - हर महीने की 1 तारीख पुनर्भुगतान तिथि (रियायती अवधि के साथ) - हर महीने की 5 तारीख
सीमा समाप्ति तिथि - हर महीने की पहली तारीख। ब्याज़महीने के आखिरी दिन लिया जाएगा।
सीमा ड्रॉप राशि - हर महीने ड्रॉप सीमा ओडी सुविधा के कार्यकाल से विभाजित मंज़ूरी सीमा के बराबर होगी। मतलब - अगर मंज़ूरी सीमा 12,00,000 रुपये है और आपकी कर्ज़ अवधि 5 वर्ष (60 महीने) है, सीमा में हर महीने 20,000 रुपये (12,00,000 / 60) गिरावट होगी ।
सुविधा की अवधि: (टर्म) सावधि कर्ज़: _____ ओवरड्राफ्ट: _____
पुनर्भुगतान अनुसूची: पुनर्भुगतान अनुसूची केएफएस (मुख्य तथ्यों का विवरण) के अनुसार होगी और अद्यतन पुनर्भुगतान अनुसूचियाँ https://customerportal.axisfinance.co.in/lmsmobileweb/react/index.html पर उपलब्ध रहेंगी।

ब्याज़प्रकार	**तयशुदा**
ब्याज़दर	**.....% प्रति वर्ष**

सावधि कर्ज़: इस एग्रीमेंट के निष्पादन के _____ महीनों के भीतर सुविधा का लाभ उठाया जाएगा। इस अवधि के किसी भी विस्तार के लिए उधारदाता का एकमात्र विवेकाधिकार होगा। ओवरड्राफ्ट: सुविधा की अवधि के दौरान प्राप्त किया जाना है।

दंडात्मक शुल्क : _____(शुल्क अनुसूची के अनुसार)
पूर्व-भुगतान शुल्क : जैसा कि शुल्क अनुसूची में निर्धारित है
परिसमापन शुल्क:
फौजदारी पत्र जारी करना: फौजदारी (पूर्ण अग्रिम-भुगतान) पत्र जारी करना ग्राहक के अनुरोध की प्राप्ति के 15 कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा।
वार्षिक रखरखाव शुल्क- शून्य
गैर-उपयोग शुल्क / प्रतिबद्धता शुल्क- शून्य
अन्य शुल्क- ग्राहक द्वारा अनुरोधित बीमा प्रीमियम, कानूनी खर्च, दस्तावेज़ीकरण शुल्क और व्यक्तिगत कर्ज़ के संबंध में किए गए अन्य आकस्मिक खर्च उधारकर्ता द्वारा उठाए जाएंगे।
<u>स्वीकृति शर्तें</u>:

पूर्ववर्ती शर्तें:

- उधारकर्ता(ओं) ने अपने संवैधानिक दस्तावेज़/साझेदारी विलेख/ट्रस्ट विलेख/एचयूएफ (हिन्दू अंदिवाइडेड परिवार)विलेख/पैन कार्ड/आधार कार्ड, संकल्प(ओं), प्राधिकरण पत्र(ओं) आदि उधारदाता को प्रस्तुत किए होंगे, जो उधारकर्ता पर लागू हो सकते हैं और जैसा कि उधारदाता द्वारा आवश्यक हो सकता है।
- उधारकर्ता(ओं) ने उधारदाता की संतुष्टि के लिए अपने ग्राहक दस्तावेज़ों/आवश्यकताओं को प्रस्तुत किया होगा।
- उधारकर्ता(ओं) का सुविधा के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में है, जो सभी प्रकार से विधिवत भरा हुआ है, ऋणदाता द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- उधारकर्ता द्वारा इस समझौते, प्रासंगिक अनुसूचियों की शर्तों, सुविधा दस्तावेजों और/या किसी अन्य कार्य, दस्तावेजों या लेखों और ऐसे अन्य दस्तावेजों का निष्पादन, जैसा कि उधारदाता द्वारा सुविधा के अनुमोदन के समय या किसी भी समय निर्दिष्ट किया जा सकता है सुविधा की निरंतरता के दौरान।
- उधारकर्ता (ओं) ने उधारदाता को ऐसे भुगतान निर्देश प्रदान किए होंगे जो उधारदाता द्वारा आवश्यक हो सकते हैं।
- उधारकर्ता(ओं) द्वारा यह प्रतिनिधित्व कि उधारकर्ता(ओं) ने सुविधा के तहत संवितरण का लाभ उठाने के समय इस एग्रीमेंटके किसी भी नियम और शर्त का उल्लंघन नहीं किया है।
- उधारकर्ता(ओं) अनुपालन में है और उधारदाता से सुविधा का लाभ उठाने के लिए सभी लागू कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के साथ सुविधा के कार्यकाल के दौरान अनुपालन करेगा।
- उधारकर्ता की ओर से सुविधा के तहत संवितरण का लाभ उठाने से पहले और/या उसके समय पर कोई अन्य चूक की घटना और/या भौतिक प्रतिकूल परिवर्तन नहीं हुआ है या होने की संभावना नहीं है।
- इस एग्रीमेंटके निष्पादन से पूर्व, उधारकर्ता ने स्वीकृति पत्र में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन किया है।
- उधारकर्ता(ओं) ने उधारकर्ता के प्रमुख बैंकरों द्वारा विधिवत सत्यापित उधारकर्ता(ओं) के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर उधारदाता को वितरित किए होंगे।

अन्य नियम और शर्तें:

- सुविधा उधारकर्ता(ओं) द्वारा किसी भी जानकारी या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या प्रासंगिक वितरण के बाद के दस्तावेजों को पेश करने या निष्पादित करने के अधीन है, जैसा कि उधारदाता द्वारा समय-समय पर आवश्यक हो सकता है।

- कृपया ध्यान दें कि कर कानूनों में कोई भी बदलाव समान मासिक किस्तों में उपयुक्त संशोधन को आकर्षित करेगा। अन्य सभी नियम और शर्तें सुविधा एग्रीमेंटऔर उधारदाता के साथ निष्पादित दस्तावेजों के अनुसार होंगी।
- यहां उल्लिखित ब्याज़और/या शुल्क की सभी दरें ब्याज़कर, जीएसटी और/या किसी अन्य ऐसे लेवी/शुल्कों के अलावा हैं। इस तरह के ब्याज़कर, जीएसटी, अन्य लेवी/शुल्क, वर्तमान और भविष्य, अगर कोई वर्तमान और भविष्य, लागू हो, तो उधारकर्ता (ओं) द्वारा उधारदाता को ऊपर और ऊपर उल्लिखित दरों से ज़्यादा देय होगा।
- स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क, या अन्य कर/लेवी जो समय-समय पर लागू होते हैं, सुविधा पर और/या उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता द्वारा निष्पादित किसी भी दस्तावेज़/दस्तावेजों पर, कर्ज़ प्रसंस्करण शुल्क पर लागू करों तक सीमित नहीं हैं, सुविधा के संबंध में और/या सुविधा से संबंधित/संबंधित दस्तावेजों के संबंध में और/या कोई जुर्माना जो लगाया जा सकता है, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता द्वारा उठाया जाएगा और उधारदाता से दावा किए बिना सेट-ऑफ, काउंटर क्लेम, नुकसान वगैरह का भुगतान करना होगा ।
- सभी ब्याज़और अन्य लागतें, शुल्क, व्यय दिन-प्रतिदिन बढ़ेंगे और वास्तविक बीते दिनों की संख्या और 365 दिनों के साल के आधार पर गणना की जाएगी।
- उधारदाता को ब्याज़दर रीसेट तिथि पर सुविधा पर फ्लोटिंग ब्याज़दर वाले ऋणों के संबंध में ब्याज़दर को रीसेट करने का अधिकार होगा। उधारकर्ता को इस तरह के परिवर्तन की सूचना तब दी जाएगी जब भी उधारदाता द्वारा अपनी वेबसाइट पर या अन्यथा उधारदाता द्वारा घोषित/सूचित/प्रदर्शित किया जाता है, तो उधारदाता को फ्लोटिंग ब्याज़दर और शुल्क वाले कर्ज़ के संबंध में रीसेट करने का अधिकार होगा। किसी भी नियामक परिवर्तन/बेंचमार्क उधार दर की आंतरिक समीक्षा, उधारकर्ता(ओं) की साख में गिरावट की स्थिति में।
- उधारकर्ता कर्ज़ खाते में वितरण के प्रभावित होने की तारीख से अर्जित कर्ज़ पर ब्याज़का भुगतान करेगा और उसी तरह पहली ईएमआई (इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट) बीपीआई (ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट)की गणना केवल पहली किस्त की देय तिथि के लिए शेष वास्तविक दिनों की संख्या के लिए की जाएगी और उसी का भुगतान वितरण की तारीख पर अग्रिम रूप से किया जाएगा।
- उधारकर्ता (ओं) एतद्द्वारा एएफएल को ब्याज़लागू होने की तारीख से पहली ब्याज़अवधि / बीपीआई (ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट) (टूटी हुई अवधि ब्याज) की कटौती करने के लिए अधिकृत करते हैं।
- उधारकर्ता (ओं) द्वारा एएफएल को अतिदेय / ईएमआई (इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट) बाउंस होने की स्थिति में किस्त के प्रतिनिधित्व के लिए अधिकृत किया जाता है।
- **कर्ज़ संसाधन शुल्क और/या लॉगिन शुल्क वापस नहीं किए जा सकते हैं।**
- **ऋणदाता अपने विवेकाधिकार पर, मुद्रा बाजार की स्थितियों में बदलाव के आधार पर ब्याज दर, /एपीआर (वार्षिक मूल्य निर्धारण दर) और शुल्क को उपयुक्त रूप से और भावी रूप से बदल सकता है और उधारकर्ता(ओं) को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।**

<u>एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)/एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) वर्गीकरण का उदाहरण:</u>

उधारदाता के कर्ज़ खाते को निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया जाएगा, अगर कर्ज़ के तहत किसी भी राशि के भुगतान में देरी हो, मूलधन या ब्याज़ भुगतान या किसी अन्य राशि का पूरी तरह या आंशिक रूप से भुगतान न किया गया हो, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, समय-समय पर संशोधित किया गया है:

स्पेशल मेंशन अकाउंट उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार - मूलधन या ब्याज़भुगतान या कोई अन्य राशि पूरी तरह या आंशिक रूप से अतिदेय
एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)-0	30 दिन तक
एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)-1	30 दिनों से ज़्यादाऔर 60 दिनों तक

एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)-2	60 दिनों से ज़्यादाऔर 90 दिनों तक

ओडी सुविधा के साथ एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) वर्गीकरण में परिवर्तन (ओडी उत्पाद के अनुसार फिर से परिभाषित किया जाना है):

एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)-0	30 दिन तक
एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)-1	30 दिनों से ज़्यादाऔर 60 दिनों तक
एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)-2	60 दिनों से ज़्यादाऔर 90 दिनों तक

यह स्पष्ट किया जाता है कि अगरउधारकर्ता के किसी भी खाते (कर्ज़ खाता और/या ओडी खाता) को एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)/एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) घोषित किया जाता है, तो उधारकर्ता के दूसरे खाते को भी एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)/एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) माना जाएगा।

उदाहरण: अगरकिसी कर्ज़ खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और कर्ज़ देने वाली संस्था द्वारा इस तिथि के लिए दिन-अंत प्रक्रिया चलाने से पहले पूरी बकाया राशि प्राप्त नहीं होती है, तो अतिदेय की तारीख 31 मार्च, 2021 होगी। अगर यह लगातार अतिदेय रहता है, तो यह खाता 30 अप्रैल, 2021 को दिन-अंत प्रक्रिया चलाने पर स्पेशल मेंशन अकाउंट -1 के रूप में टैग किया जाएगा, यानी लगातार 30 दिनों तक अतिदेय रहने पर। उसी तरह, उस खाते के लिए स्पेशल मेंशन अकाउंट -1 वर्गीकरण की तारीख 30 अप्रैल, 2021 होगी।

इसी प्रकार, अगर खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को दिन-अंत प्रक्रिया चलाने पर स्पेशल मेंशन अकाउंट -2 के रूप में टैग किया जाएगा और अगरयह आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो इसे 29 जून, 2021 को दिन-अंत प्रक्रिया चलाने पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

अनुसूची II

शुल्क की अनुसूची*

लेन-देन	शुल्क
आवेदन शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क (गैर-वापसी योग्य)	**<u>आवेदन शुल्क</u>- शून्य** **<u>प्रसंस्करण शुल्क</u>- 3% तक + लागू कर**
सालाना मूल्य निर्धारण दर (एपीआर) (एन्युअल परसेन्टेज रेट))	----------% प्रति वर्ष। एपीआर एक सूत्र के माध्यम से प्राप्त होता है जो इस प्रकार है-

<table>
<tr><td></td><td>एपीआर= ((((ऋण प्रसंस्करण शुल्क + पूरी ऋण अवधि के लिए ब्याज)/ ऋण राशि)/ महीनों में अवधि) *365)*100</td></tr>
<tr><td>^बंधक ऋण (पूर्ण पूर्व-भुगतान शुल्क)) (कुल बकाया ऋण राशि पर / ओवरड्राफ्ट उत्पाद के मामले में वर्तमान सीमा (उपलब्ध + उपयोग की गई सीमा))
और

^आंशिक पूर्व-भुगतान शुल्क (आंशिक रूप से भुगतान की जा रही राशि पर)</td><td>शुल्क निम्नलिखित पर लागू हैं:

आंशिक-पूर्व भुगतान (आंशिक रूप से भुगतान की जा रही राशि पर)
/
बंधक मुक्ति (पूर्ण पूर्व-भुगतान) कुल बकाया ऋण राशि/वर्तमान सीमा पर (ओवरड्राफ्ट के मामले में उपलब्ध सीमा + उपयोग की गई सीमा)

लागू शुल्क - 3% + लागू कर

<u>आंशिक पूर्व-भुगतान और बंधक मुक्ति की शर्तें लागू</u>

1) आंशिक पूर्व-भुगतान / बंधक मुक्ति केवल 12 ईएमआई की निकासी के बाद ही अनुमत होगी।
2) एक वित्तीय वर्ष में केवल दो बार आंशिक-पूर्व भुगतान की अनुमति दी जाएगी और एक वित्तीय वर्ष में पीओएस के 25% तक का पूर्व-भुगतान ही स्वीकार किया जा सकता है।
3) आंशिक पूर्व-भुगतान/बंधक मुक्ति के रूप में प्राप्त राशि को मूल बकाया और आंशिक पूर्व-भुगतान/बंधक मुक्ति शुल्क के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।
4) प्राप्त किसी भी आंशिक पूर्व-भुगतान के लिए समायोजन अवधि में दिया जाएगा और ईएमआई राशि समान रहेगी। (ईएमआई अवधि कम हो जाएगी; ईएमआई राशि समान रहेगी)</td></tr>
<tr><td>सीईआरएसएआई (सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सेक्योरिटाइजेशन एसेट रिकन्स्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया) शुल्क</td><td>रु.100/-</td></tr>
<tr><td>दंडात्मक शुल्क: **</td><td>
<table>
<tr><td>सुविधा दस्तावेज़ के तहत देय भुगतानों में किसी भी देरी के लिए दंड शुल्क</td><td>बकाया राशि (मूलधन) बकाया / ब्याज बकाया / ईएमआई बकाया) पर 6% प्रति वर्ष प्लस जीएसटी उस अवधि के लिए जिस अवधि में उक्त राशि बकाया रहती है।</td></tr>
<tr><td>स्वीकृति पत्र / सुविधा समझौते के अनुसार किसी अन्य सामग्री शर्तों और शर्तों का पालन न करने से संबंधित दंडात्मक शुल्क</td><td rowspan="2">1% प्रति वर्ष प्लस जीएसटी।

इन गैर-अनुपालनों के लिए दंड शुल्क सुविधा की बकाया मूल राशि पर लगाया जाएगा, गैर-अनुपालन के प्रत्येक उदाहरण के लिए, उल्लंघन की तारीख से उस तारीख तक की गणना की जाएगी जब तक कि स्वीकृति पत्र की शर्तें पूरी नहीं हो जाती हैं।

कई उल्लंघनों से जुड़े मामलों में, कुल दंड शुल्क 3% प्रति वर्ष प्लस लागू जीएसटी से अधिक नहीं होगा।</td></tr>
<tr><td>स्वीकृति पत्र की शर्तों और नियमों के अनुसार दस्तावेजों/सूचनाओं को प्रस्तुत न करने से संबंधित दंडात्मक शुल्क</td></tr>
</table>
24% प्रति वर्ष अर्थात बकाया राशि पर 2% प्रति माह
</td></tr>
</table>

	** उल्लिखित दंड शुल्क लागू ब्याज दर के अलावा है। **उल्लिखित दंड शुल्क प्रायोगिक भारतीय सामान और सेवा कर पर जीएसटी के अनुसार जीएसटी के तहत लागू होगा और जीएसटी को अलग से लिया जाएगा। **दंड शुल्क पर और कोई और ब्याज नहीं लगाया जाएगा।
बाउंस शुल्क (चेक रिटर्न/नैशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस विफलता)	रु.500/ - प्रति बाउंस
दस्तावेज़ शुल्क (खाते का विवरण/फौजदारी (पूर्ण अग्रिम-भुगतान) पत्र/दोबारा भुगतान अनुसूची/ब्याज़प्रमाणपत्र/शेष विवरण/दस्तावेजों की सूची/कोई बकाया प्रमाणपत्र नहीं)	शून्य
दस्तावेज़ पुनर्प्राप्ति शुल्क	रु.500/ - प्रति दस्तावेज़
पीडीसी (पोस्ट डेटेड चेक), सुरक्षा चेक, एनएसीएच (नैशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस) स्वैप शुल्क	रु.500/ - प्रति उदाहरण
कर्ज़ पुनर्निर्धारण शुल्क (ग्राहक के अनुरोध पर और एएफएल (एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड) - Axis Finance Limited से अनुमोदन के अधीन)	बकाया कर्ज़का 0.50%
ब्याज़दर तंत्र स्वैप शुल्क (स्थिर दर से अस्थायी और इसके विपरीत)	लागू नहीं
कर्ज़ रद्दीकरण शुल्क	रु.1000
कोलैटरल / सिक्योरिटी स्वैपिंग / आंशिक रिलीज	5000 रुपये प्रति इंस्टेंस)
स्टांप शुल्क और अन्य वैधानिक शुल्क	राज्य के लागू कानूनों के अनुसार
वार्षिक रखरखाव शुल्क-	शून्य
गैर-उपयोग शुल्क/प्रतिबद्धता शुल्क-	शून्य

*सभी शुल्कों और फीस पर (जहाँ भी जीएसटी लागू है) लागू दरों के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अतिरिक्त रूप से लिया जाएगा। उपरोक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन हैं और उसी के अनुसार हमारी वेबसाइट www.axisfinance.in पर अपडेट किए जाएँगे।

*बंधक मुक्ति शुल्क / पूर्व भुगतान शुल्क का भुगतान केवल निम्नलिखित खातों से ही किया जा सकता है:

- वेतनभोगी उधारकर्ता(ओं) के लिए उधारकर्ता का वेतन खाता; या
- सुविधा के पुनर्भुगतान के उद्देश्य से ऋणदाता के साथ पंजीकृत पुनर्भुगतान खाता।

*ब्याज दर स्वैपिंग व्यवसाय ऋण के लिए लागू नहीं है।

*एमएसएमई इकाई के लिए उपर्युक्त किसी भी शुल्क पर एएफएल कोई रियायत नहीं देता है।

अनुसूची III

परिभाषाएं

इस एग्रीमेंट के प्रयोजन के लिए, इस एग्रीमेंटके मुख्य भाग में अन्यथा परिभाषित नहीं किए गए निम्नलिखित बड़े अक्षरों वाले शब्दों का प्रयोग जहां कहीं भी किया गया है (उद्घाटन सहित) उनके नीचे दिए गए मतलब होंगे।

"खाता" या "ऋण खाता" का अर्थ है सुविधा के तहत एएफएल (अर्थात ऋणदाता) के साथ उधारकर्ता का ऋण खाता संख्या। यदि उधारकर्ता दोनों सुविधाओं, अर्थात सावधि ऋण और ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाता है, तो दो अलग-अलग ऋण खाता संख्याएँ उत्पन्न की जाएंगी।

"संबद्ध" का अर्थ किसी पार्टी के संबंध में, एक व्यक्ति जो उस पार्टी को नियंत्रित करता है, उसके द्वारा नियंत्रित होता है या उसके साथ सामान्य नियंत्रण में है।

समझौता" या "सुविधा समझौता" का अर्थ है यह व्यवसाय ऋण समझौता (असुरक्षित), जिसमें शर्तों की अनुसूची और यहां की सभी अनुसूचियां शामिल हैं।

"लागू कानून" का मतलबकिसी भी क़ानून, कानून, विनियम, अध्यादेश, नियम, निर्णय, आदेश, डिक्री, उप-कानून, मंज़ूरी, निर्देश, दिशानिर्देश, आवश्यकता या अन्य सरकारी प्रतिबंध या किसी भी निर्णय या निर्धारण से होगा, या किसी भी व्याख्या, नीति या प्रशासन द्वारा पूर्वगामी में से कोई भी, किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा प्रश्न में मामले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला, चाहे सुविधा एग्रीमेंटकी तारीख से प्रभावी हो या उसके बाद।

"आवेदन प्रपत्र" का मतलब है सुविधा के लिए आवेदन करने के लिए उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रपत्र।

"लागू ब्याज़दर" का मतलबसुविधा एग्रीमेंटमें उल्लिखित ब्याज़दर होगा।

"वार्षिक प्रतिशत दर/एपीआर (एन्युअल परसेन्टेज रेट)" का मतलब होगा सुविधा का वार्षिक लागत प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया जिसमें लागू ब्याज़दर और सुविधा प्राप्त करने के लिए अन्य लागतें जैसे प्रोसेसिंग चार्ज, प्रशासनिक शुल्क और बीमा प्रीमियम शामिल हैं।

उधारकर्ता" का अर्थ है एक या एक से अधिक व्यक्ति और/या इकाई/इकाइयाँ, जिनमें सह-उधारकर्ता भी शामिल हैं, जिनके नाम और पते सुविधा समझौते की अनुसूची । में दिए गए हैं और जिन्होंने इस समझौते को उधारकर्ता(ओं) और/या सह-उधारकर्ता(ओं) के रूप में निष्पादित किया है, जैसा भी मामला हो

और उन सभी ने संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से यहां देयताओं के लिए सहमति व्यक्त की है और "उधारकर्ता" शब्द में उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि और अनुमत असाइन शामिल होंगे;

"उधारकर्ता का खाता" का अर्थ है उधारकर्ता का वह खाता जिसका खाता नंबर ऐसा है, जो ऐसे बैंक के पास और ऐसी शाखा में है जैसा कि उधारकर्ता द्वारा समय-समय पर ऋणदाता को सूचित किया जा सकता है, जिससे उधारकर्ता सुविधा का पुनर्भुगतान करेगा और ऋणदाता को पुनर्भुगतान जनादेश प्रदान करेगा और जिसमें ऋणदाता इस समझौते की शर्तों के अनुसार सुविधा का वितरण कर सकता है।

शाखा" का अर्थ है सुविधा समझौते में उल्लिखित स्थान पर ऋणदाता की शाखा और जहाँ ऋणदाता द्वारा सुविधा बुक की जाती है;

"बीपीआई (ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट)" या "ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट" का मतलब है बकाया राशि पर दैनिक ब्याज़जो वितरण की तारीख से पहले महीने की किस्त तक देनी होती है।

"व्यावसायिक दिन" का मतलब होगा:
(क) किसी आहरण के संबंध में, उधारदाता द्वारा, कोई भी दिन जिस दिन उधारदाता को कानून द्वारा अपने कर्ज़ देने वाले कार्यालय के स्थान पर व्यवसाय के
लिए खुला होना आवश्यक या अधिकृत है; या
(ख) अन्य सभी मामलों के संबंध में, एक दिन (रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों के अलावा) जिस दिन मुंबई या नई दिल्ली में या इस सुविधा समझौते के निष्पादन के स्थान पर बैंक सामान्य रूप से कारोबार के लिए खुले रहते हैं।

"प्रारंभ तिथि" का मतलब उस तारीख से होगा जिस दिन कर्ज़ खाता कार्यकाल के दौरान पहली बार आहरण के लिए सक्रिय/परिचालन योग्य बनाया जाता है, सुविधा **("प्रारंभिक सीमा")** के तहत प्रारंभिक ओवरड्राफ्ट सीमा निर्धारित करके।

"सीजीएफएमयू" योजना का अर्थ सूक्ष्म इकाई योजना के लिए ऋण गारंटी निधि है, जैसा कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है और राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा प्रबंधित और संचालित किया जाता है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से बैंकों, एनबीएफसी, एमएफआई और अन्य वित्तीय बिचौलियों द्वारा स्वीकृत एक निर्दिष्ट सीमा तक ऋण के लिए गारंटी सहायता प्रदान करना है, जो विभिन्न क्षेत्रों में पात्र सूक्ष्म इकाइयों के लिए है।

"वितरण" का अर्थ होगा "सुविधा" के तहत "धन" का "वितरण"।

"अंतिम तिथि(याँ)" का अर्थ वह तिथि(याँ) होगा जिस पर बकाया राशि के संबंध में कोई भी राशि उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय है जैसा कि सुविधा दस्तावेजों में अधिक विशेष रूप से वर्णित है।

"प्रभावी तिथि" का मतलबसुविधा एग्रीमेंटके निष्पादन की तारीख होगा।

सुविधा" का अर्थ इस सुविधा समझौते ("सावधि ऋण") या ओवरड्राफ्ट सीमा (टीएल/ओडी) या सावधि ऋण और ओवरड्राफ्ट सीमा (टीएल + ओडी) की शर्तों के अनुसार उधारकर्ता को वितरित/वितरित करने के लिए सहमत सावधि ऋण सुविधा होगी, जैसा भी मामला हो।

"अंतिम निपटान तिथि" का मतलब वह तारीख होगी जिस पर सभी सुरक्षित दायित्वों का उधारदाता की संतुष्टि के लिए पूरी तरह से और बिना शर्त भुगतान और निर्वहन किया गया है।

"सुविधा दस्तावेज" का मतलब होगा यह एग्रीमेंट , सुविधा की शर्तें, स्वीकृति पत्र और ऐसे दस्तावेज़ जो उधारकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित या प्राप्त किए जा सकते हैं, इस एग्रीमेंट के तहत, उसके अनुसार, या इसके संबंध में उधारदाता द्वारा इस तरह के रूप में नामित, जैसा कि समय-समय पर नवीनीकृत, पूरक, संशोधित या संशोधित किया जा सकता है।

आईबीसी" का अर्थ है दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016, उसके तहत नियम और विनियम, और समय-समय पर यथासंशोधित, पुनः अधिनियमित, प्रतिस्थापित, पुनः शीर्षकित।

"दिवाला कानून" का अर्थ होगा आईबीसी और/या ऐसा अन्य लागू कानून (चाहे अस्तित्व में हो/अब लागू हो या बाद में अस्तित्व में आए/लागू हो जाए) जो किसी भी समय किसी व्यक्ति के संबंध में किसी भी दिवाला, दिवालियापन, परिसमापन, समापन, स्थगन, विघटन, पुनर्गठन, पुनरुद्धार या किसी भी अनुरूप या समान कार्रवाई या कार्यवाही से संबंधित है, चाहे ऐसी कोई कार्रवाई या कार्यवाही ऐसे व्यक्ति, निदेशक मंडल या ऐसे व्यक्ति के अन्य समान शासी निकाय, शेयरधारकों, भागीदारों, सदस्यों, किसी भी लेनदार, या ऐसे व्यक्ति के अन्य हितधारकों या किसी प्राधिकरण या लागू कानून के तहत किसी अन्य व्यक्ति की कार्रवाई या निर्णय या सिफारिश के अनुसार हो, और इसमें किसी भी प्राधिकरण द्वारा ऐसे व्यक्ति या उसके किसी भी व्यवसाय या उपक्रम या संपत्ति का अधिग्रहण या प्रबंधन में परिवर्तन शामिल होगा।

"कर्ज़ ग्रस्तता" का मतलब है किसी भी कर्ज़ ग्रस्तता के लिए या उसके संबंध में: (ए) उधार ली गई धनराशि; (बी) किसी अन्य लेनदेन के तहत जुटाई गई कोई भी राशि (हालांकि संरचित) जिसमें उधार लेने का व्यावसायिक प्रभाव हो; और (सी) किसी भी गारंटी या क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी भी देयता की राशि (ए) या (बी) में संदर्भित किसी भी आइटम के लिए।

"ब्याज़दर" का मतलब है वह दर जिस पर उधारदाता सुविधा पर ब्याज़की गणना करेगा और लागू करेगा, जैसा कि सुविधा के लिए शर्तों की अनुसूची में बताया गया है या जैसा कि उधारदाता द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है; ब्याज़दर लागू होगी जैसा कि स्वीकृति पत्र और/या परिशिष्ट स्वीकृति पत्र, अगरकोई हो, अनुसूची और/या सुविधा दस्तावेजों में किसी अन्य प्रावधान में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

"केएफएस" का अर्थ होगा सुविधा समझौते के अनुसूची V में संलग्न मुख्य तथ्य विवरण

"उधारदाता" का मतलब है एएफएल (एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड), जो कंपनी अधिनियम, 1956 (सीआईएन (कॉर्पोरेटआइडेंटिफिकेशन नंबर)): U65921MH1995PLC212675) के तहत पंजीकृत एक कंपनी है और भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिनियम 1934 के तहत एक लाइसेंस प्राप्त गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी ("NBFC") है, जिसका पंजीकृत कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय एक्सिस हाउस, सी-2, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई 400025 में है (इसके बाद "उधारदाता " के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें शब्द इसके उत्तराधिकारियों और असाइनमेंट को शामिल करेगा) अनुसूची "ए" में उल्लिखित स्थान पर अपनी शाखा के ज़रिए इन प्रस्तुतियों में कार्य करना और इसके उत्तराधिकारियों और असाइनमेंट को शामिल करना;

"सीमा" / "ओवरड्राफ्ट सीमा" का अर्थ इस समझौते के संदर्भ में ऋणदाता द्वारा दी गई ओवरड्राफ्ट सीमा है जो उधारकर्ता को स्वीकृत ऋण राशि के बराबर होगी।

"ऋण प्रसंस्करण शुल्क" वह शुल्क होगा जो सुविधा समझौते से जुड़े शर्तों की अनुसूची के तहत निर्धारित किया जा सकता है, साथ ही लागू जीएसटी भी।

"महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन" का अर्थ किसी भी घटना(ओं) और/या परिस्थिति(ओं) का घटित होना है जिसका महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या होने की उचित रूप से आशा की जा सकती है।

"महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव" (उधारदाता की समझ और निर्णय में) का मतलब किसी भी घटना या परिस्थिति का प्रभाव या परिणाम होगा जो उधारदाता के एकमात्र निर्धारण में है या होने की संभावना है और जिसके परिणामस्वरूप भौतिक और प्रतिकूल परिवर्तन प्रभाव पड़ेगा: (ए) वित्तीय स्थिति, व्यवसाय या संचालन या उधारकर्ता (ओं) की संभावनाएं; (बी) उधारकर्ता (ओं) की क्षमता, सुविधा दस्तावेजों के तहत अपने दायित्वों में प्रवेश करने और उन्हें निष्पादित करने के लिए; (सी) किसी भी सुविधा दस्तावेजों या उसके तहत उधारदाता के अधिकारों या उपायों की वैधता, वैधता या प्रवर्तनीयता; या (डी) अंतर्राष्ट्रीय पूंजी या कर्ज़बाजार; (ई) भारत गणराज्य की राजनीतिक, वित्तीय या आर्थिक स्थिति; और इसका मतलबयह भी होगा और इसमें कोई भी घटना शामिल होगी चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, जो उधारदाता की राय में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

"महत्वपूर्ण शर्तों" का मतलब इस एग्रीमेंटऔर सुविधा दस्तावेजों में निर्धारित किसी भी और सभी नियमों और शर्तों से होगा, जिसमें सुविधा के मूलधन और/या ब्याज़घटक के भुगतान से संबंधित शर्तें और सुविधा दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के अनुसार दस्तावेजों/जानकारी का प्रस्तुतीकरण शामिल है।

"बकाया राशि" में किसी भी समय, सुविधा दस्तावेजों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा उधारदाता को देय सभी राशियां शामिल होंगी, जिनमें वर्तमान और भविष्य की बाध्यताएं और उधारकर्ता की देयता/भुगतान किए बिना सुविधा की मूल राशि (सावधि कर्ज़और/या ओवरड्राफ्ट), ब्याज, दंड शुल्क/ दंडात्मक शुल्क और सभी स्टांप शुल्क, कर, व्यय, शुल्क, तरल क्षति, क्षतिपूर्ति, लागत, शुल्क और व्यय सहित किसी भी वैधानिक या विधायी शुल्क, दंड, अगरकोई हो, सुविधा के संबंध में; और उधारदाता द्वारा अपने अधिकारों के किसी भी अभ्यास के संबंध में किए गए ऐसे अन्य खर्च, कानूनी शुल्क और अदालती खर्चों के साथ।

"दंड शुल्क" का अर्थ होगा उधारकर्ता(ओं) द्वारा इस समझौते और/या सुविधा दस्तावेजों के किसी भी भौतिक शर्तों के उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति में ऋणदाता द्वारा लगाए गए शुल्क, जैसा कि यहां शुल्क की अनुसूची के तहत विशेष रूप से वर्णित है।

"संभावित चूक की घटना" का मतलब ऐसी घटना या परिस्थिति से होगा, जो सूचना देने, समय व्यतीत होने या पूर्वगामी किसी भी संयोजन के साथ, चूक की घटना का गठन करेगी।

"अग्रिम भुगतान करने योग्य शुल्क" का मतलब होगा उधारदाता द्वारा सुविधा के किसी भी अग्रिम भुगतान या उसके किसी भाग के रूप में सुविधा दस्तावेजों में निर्दिष्ट और उधारदाता द्वारा समय-समय पर सुविधा दस्तावेजों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।

"पुनर्भुगतान अनुसूची" का अर्थ होगा सुविधा के लिए समान आवधिक किस्त के तहत पुनर्भुगतान अनुसूची जो केएफएस (मुख्य तथ्यों का विवरण) में शामिल है और https://customerportal.axisfinance.co.in/lmsmobileweb/react/index.html पर उपलब्ध है।

"स्वीकृति पत्र" का मतलब उधारदाता द्वारा जारी किया गया और उधारकर्ता द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया और समय-समय पर संशोधित और संशोधित मंजूरी पत्र होगा।।

"शर्तों की अनुसूची" का अर्थ सुविधा समझौते से जुड़ी शर्तों की अनुसूची होगा, जिसे समय-समय पर अनुसूची । में संशोधित किया गया है और इसमें शुल्क की अनुसूची, परिभाषाएँ, सुविधा की शर्तें और केएफएस क्रमशः अनुसूची ।।, अनुसूची ।।।, अनुसूची ।V, अनुसूची V, अनुसूची V। और अनुसूची V।। में शामिल होंगे।

"सुविधा की शर्तें" का अर्थ अनुसूची ।V के तहत प्रदान की गई सामान्य नियम और शर्तें होंगी, जो उधारकर्ता(ओं) पर लागू होंगी।

"कर" में कोई भी और सभी वर्तमान और भविष्य के कर, शुल्क, करारोपण, उपकर, लेवी, अधिभार, जिसमें बिना किसी सीमा के, सकल प्राप्तियों, बिक्री, सेवाओं, टर्नओवर, एड वालोरम, मूल्य वर्धन, उपयोग, उपभोग, संपत्ति, फ्रैंचाइज़ी, पूंजी, व्यवसाय या पेरोल, लाइसेंस, उत्पाद शुल्क, दस्तावेज़ (जैसे स्टाम्प शुल्क), लाभ, लाभ (पूंजीगत लाभ सहित), विच्छेद, उत्पादन, रोक, वैकल्पिक, या ऐड-ऑन न्यूनतम, हस्तांतरण या पर्यावरण और अन्य सीमा शुल्क और कर, आकलन, अधिभार, शुल्क और/या किसी भी प्रकार के शुल्क शामिल हैं, किसी भी प्राधिकरण द्वारा लगाए गए, रोके गए, लगाए गए या आंके गए किसी भी ब्याज़या दंड के साथ। करों में इस एग्रीमेंट की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की भिन्नता या परिवर्तन, या उसकी दरें, या किसी नए या आगे के करों (माल और सेवा कर सहित) को लगाया जाना शामिल होगा, लेकिन इसमें किसी भी पक्ष की आय पर कर शामिल नहीं होगा।

अनुसूची ।V

सामान्य नियम और शर्तें

कृपया निम्नलिखित सामान्य नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। इसमें आपके अधिकारों और दायित्वों के बारे में बहुत ज़रूरी जानकारी शामिल है, साथ ही सीमाएँ और बहिष्करण भी हैं जो आप पर लागू हो सकते हैं । इस दस्तावेज़ में एक अनिवार्य विवाद समाधान खंड शामिल है।

सुविधा संबंधित एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके और इस एग्रीमेंटका पक्ष बनकर, आप इसमें निहित सभी सामान्य नियमों और शर्तों से बंधे होने के लिए सहमति दे रहे हैं।

उधारकर्ता इस एग्रीमेंटके निष्पादन या समझ से संबंधित किसी भी पूछताछ या चिंताओं को समर्पित ग्राहक सेवा ई-मेलः customer.support@axisfinance.in पर भेज सकता है। यह प्रावधान यहां निर्धारित नियमों और शर्तों के संबंध में उधारकर्ता की समय पर जानकारी और सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करने का कार्य करता है।

सुविधा की शर्तें

1. ऋणदाता इसके द्वारा ऋण देने के लिए सहमत है, और उधारकर्ता, उपलब्धता अवधि के दौरान, सुविधा की शर्तों के अनुसार अनुसूची/अनुसूचियों में सूचीबद्ध सुविधा राशि/राशियाँ उधार लेने के लिए सहमत हैं। उधारकर्ता ऋणदाता को संवितरण के लिए अनुरोध करके प्रत्येक सुविधा के अनुदान का अनुरोध कर सकता है, जो यहाँ अनुसूची V।। में दिए गए प्रारूप में होगा, और ऋणदाता अपने विवेकाधिकार पर, ऐसे अनुरोध की प्राप्ति पर, उधारकर्ता के खाते में उल्लिखित प्रासंगिक सुविधा राशि का पूरा या कुछ भाग वितरित कर सकता है। ऐसी प्रत्येक सुविधा राशि,

सुविधा की शर्तों के तहत वितरित की गई अन्य सभी राशियों के साथ मिलकर इसके बाद 'सुविधा' का गठन करेगी। उधारकर्ता इसके द्वारा सहमत है कि सुविधा, अनुसूची में उल्लिखित अवधि ("अवधि") और उद्देश्य ("उद्देश्य") के लिए होगी। उधारकर्ता इसके द्वारा आगे सहमत है कि यदि सुविधा ओवरड्राफ्ट सीमा के रूप में प्राप्त की जाती है, तो सुविधा में अलग-अलग महीनों में लागू होने वाली अलग-अलग ऑपरेटिंग ओवरड्राफ्ट सीमाएँ होंगी, जो नीचे खंड 12 में दिए गए तरीके से निर्धारित की जाएंगी (प्रत्येक एक " परिचालन सीमा")। मासिक परिचालन सीमा में गिरावट, कुल स्वीकृत ओवरड्राफ्ट सीमा को सुविधा की अवधि से महीनों में विभाजित करने पर प्राप्त होगी।

2. यह सुविधा उधारकर्ता(ओं) को क) सावधि ऋण, और/या ख) ओवरड्राफ्ट सीमा के रूप में दी जा सकती है, और जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट है।

3. सुविधा राशि, सुविधा की अवधि के दौरान उक्त स्वीकृत राशि से अधिक नहीं होगी। हालाँकि, वितरित की गई वास्तविक सुविधा, या ऋणदाता द्वारा निर्धारित ऑपरेटिंग सीमा, ऋणदाता के एकमात्र विवेक पर होगी।

4. वर्तमान सामान्य नियमों और शर्तों के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सुविधा प्रभावी तिथि से अनुसूची (अनुसूचियों) में उल्लिखित अवधि के लिए उपलब्ध होगी और उधारकर्ता(ओं) इसे नवीनीकृत किए जाने तक अवधि की समाप्ति से पहले या उस पर चुकाएंगे। ऋणदाता, अपने पूर्ण विवेक पर, सुविधा को नवीनीकृत करने के लिए सहमत हो सकता है और यदि सुविधा वापस मंगाई गई है, तो उधारकर्ता(ओं) मांग पर अर्जित ब्याज सहित पूरे बकाया शेष राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे। सुविधा समझौते या किसी भी वित्त दस्तावेज में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, सुविधा की निरंतरता ऋणदाता के एकमात्र और पूर्ण विवेक पर होगी और सुविधा एएफएल के पूर्ण विवेक पर बिना शर्त मांग पर चुकाने योग्य है। एएफएल उधारकर्ता(ओं) को देय कुल राशि चुकाने के लिए 3 (तीन) दिनों का लिखित नोटिस देगा और उधारकर्ता ऐसी मांग पर बिना किसी कटौती, रोक, सेट-ऑफ, काउंटर-क्लेम, किसी भी देरी, विरोध या आपत्ति के ऋणदाता को पूरी बकाया राशि का भुगतान करेगा।

5. उधारकर्ता(ओं) इस सामान्य नियम और शर्तों और प्रासंगिक अनुसूची(ओं) में प्रावधानों के अनुसार सुविधा के तहत बकाया राशि को उधारदाता को चुकाने का कार्य करता है। चूक की घटना होने पर, बकाया राशि इस सामान्य नियम और शर्तों में खंड(ओं) के प्रावधानों के अनुसार देय हो जाएगी सुविधा(ओं) को वापस बुलाने पर, सुविधा के संबंध में संपूर्ण बकाया राशि(ओं) इस सामान्य नियम और शर्तों में खंड(ओं) के प्रावधानों के अनुसार देय और देय हो जाएगी।

6. सुविधा की शर्तों और/या प्रचलित कानून के तहत ऋणदाता के पास मौजूद किसी अन्य अधिकार या उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस सामान्य नियम और शर्तों के प्रावधानों के अनुसार ब्याज और/या अन्य बकाया या सुविधा की चुकौती के भुगतान में देरी या चूक की स्थिति में ऋणदाता, और/या ऋणदाता से प्राप्त किसी अन्य ऋण/अतिरिक्त ऋण के भुगतान में चूक, ऋणदाता को ऋण राशि को वापस लेने का अधिकार होगा।

7. <u>दंड शुल्क</u> :

सुविधा दस्तावेजों के तहत ऋणदाता को उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों या उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी महत्वपूर्ण शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, शुल्क अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर दंड शुल्क उधारकर्ता पर लगाया जाएगा और अतिरिक्त शुल्क के रूप में देय होगा। ऋणदाता ऐसी चूक/उल्लंघन होने पर उधारकर्ता को ऐसी चूक/उल्लंघन के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा, साथ ही उस संबंध में लगाए गए दंड शुल्क की मात्रा और कारण भी बताएगा, जिसे ऋणदाता की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। दंड शुल्क की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख को चूक/उल्लंघन हुआ है, जब तक कि ऐसी चूक/उल्लंघन ऋणदाता की संतुष्टि के लिए ठीक नहीं हो जाता। यह स्पष्ट किया जाता है कि दंड शुल्क की पिछली बकाया राशि पर अतिरिक्त दंड शुल्क नहीं लगाया जाएगा यदि ऐसे शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। इसके अलावा, दंड शुल्क की बकाया राशि पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा यदि ऐसे शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। स्पष्टता के लिए, यदि उधारकर्ता द्वारा सुविधा समझौते के तहत ऋणदाता को देय तिथि (तिथियों) पर किसी भी राशि का पूर्ण रूप से भुगतान करने में कोई चूक होती है, तो उधारकर्ता अनुसूची में उल्लिखित अतिदेय राशि पर दंड शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसकी गणना देय तिथि से उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को पूर्ण भुगतान किए जाने तक की जाएगी, ऋणदाता की संतुष्टि के लिए। बशर्ते कि, यदि सुविधा एक ओवरड्राफ्ट सीमा है, तो ऋणदाता उधारकर्ता को देय तिथि के अनुसार सुविधा के तहत देय राशि के पुनर्भुगतान के लिए एक अनुग्रह अवधि प्रदान कर सकता है, जो ऋणदाता को उचित लगे ("अनुग्रह अवधि") जिसके दौरान अनुग्रह अवधि

में ऋणदाता उधारकर्ता पर दंड शुल्क नहीं लगा सकता है और यदि उक्त पुनर्भुगतान उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को ऐसी अनुग्रह अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो दंड शुल्क उधारकर्ता द्वारा देय तिथि से देय होगा।

8. उधारकर्ता(ओं) को 6 (छह) महीने की अवधि के भीतर प्रारंभिक संवितरण/संवितरण से और उसके बाद सालाना आधार पर उधारदाता द्वारा उल्लिखित किसी भी मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा सुविधा के लिए क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करनी होगी, जिसके बाद उधारदाता को लागू ब्याज़दर और/या लागतों, शुल्कों और खर्चों की समीक्षा करने का अधिकार होगा, जो सुविधा के दोबारा भुगतान के अतिरिक्त उधारकर्ता(ओं) द्वारा देय होंगे और ऐसी तारीख(ओं) पर या ऐसी अवधि के भीतर जो उधारदाता द्वारा तय की जा सकती है। उधारकर्ता(ओं) बिना शर्त सहमत होते हैं और 6 (छह) महीने की अवधि के भीतर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी/एजेंसियों द्वारा उधारदाता द्वारा निर्धारित निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त करने का उपक्रम करते हैं। इसके अलावा, उधारदाता द्वारा निर्धारित अंक से नीचे रेटिंग कम होने की स्थिति में, उधारदाता को लागू ब्याज़ दर और/या लागतों, शुल्कों और खर्चों की समीक्षा करने का अधिकार होगा, जो उधारकर्ता(ओं) द्वारा देय होंगे।

9. उधारकर्ता(ओं) इस बात से सहमत है कि उसके द्वारा देय किसी भी ऐसे दावे की शुद्धता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए, उधारदाता को सुविधा की शर्तों के तहत उधारदाता की पुस्तकों से बनाया गया खाते का विवरण और उधारदाता के किसी विधिवत अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किसी अन्य वाउचर, दस्तावेजों या कागज़ात के उत्पादन के बिना।

10. उधारकर्ता(ओं) यह वचन देता है कि उधारकर्ता(ओं) द्वारा रखी गई खातों की प्रामाणिकता को बिना शर्त स्वीकार करेगा, उधारदाता द्वारा उसकी/इसकी पूरी बकाया राशि और सुविधा एग्रीमेंट के तहत किसी भी देयता की पुष्टि में उधारकर्ता(ओं) द्वारा उधारदाता द्वारा उत्पादित खाते के विवरण में दिखाए गए बकाया राशि पर न ही सवाल उठाएगा और/या न चुनौती देगा।

11. उधारकर्ता(ओं) इस बात से सहमत है कि वह धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए करेगा जो उधारकर्ता द्वारा उधारदाता को निर्दिष्ट किया जा सकता है और उधारदाता द्वारा अनुमत है और उधारकर्ता सुविधा का उपयोग नहीं करेगा:

    - किसी भी तरह का सट्टा खेलने के लिए; और/या
    - किसी भी असामाजिक या अवैध वजह के लिए; और/या
    - लागू कानूनों के तहत प्रतिबंधित किसी भी वजह के लिए।
    - आरबीआई (रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया)/फेमा (फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट)/सेबी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) द्वारा निषिद्ध कोई भी वजह के लिए।

उधारकर्ता सुविधा का उपयोग केवल स्वीकृति पत्र/सुविधा समझौते में बताए गए उद्देश्य के लिए करेगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए या पूंजी बाजार/शेयरों/डिबेंचरों/म्यूचुअल फंडों/किसी भी रूप में सोने की खरीद, जिसमें प्राथमिक सोना, सोना बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयां और गोल्ड म्यूचुअल फंड की इकाइयां या कोई भी अवैध/सट्टा गतिविधि शामिल है, में निवेश के लिए नहीं करेगा। ऐसा करने के लिए बाध्य हुए बिना, ऋणदाता सुविधा के उपयोग/अंतिम उपयोग की निगरानी करने का हकदार होगा, जिसमें किसी भी लेखा परीक्षक(कों) या सलाहकार(कों) के माध्यम से उधारकर्ता की पुस्तकों और अन्य अभिलेखों का निरीक्षण/जांच करना शामिल है, जिसमें ऋणदाता द्वारा अपने विवेकाधिकार पर और उधारकर्ता के एकमात्र लागत और व्यय पर नियुक्त किए गए उनसे आवश्यक प्रमाणन शामिल हैं। जब भी ऋणदाता द्वारा आवश्यक हो, उधारकर्ता सुविधा के अंतिम उपयोग/उपयोग का ऋणदाता को संतोषजनक प्रमाण, दस्तावेजी या अन्यथा, प्राप्त करेगा। उधारकर्ता इसके द्वारा आगे सहमत है कि ऋणदाता द्वारा आवश्यक होने पर वह तत्काल ऋणदाता को अनुसूची V। में निर्दिष्ट प्रारूप में अंतिम उपयोग घोषणा प्रस्तुत करेगा।

12. ओडी (ओवरड्राफ़्ट) मासिक कटौती चक्र

उधारकर्ता को दी गई ओडी सुविधा के संबंध में ब्याज की गणना दैनिक आधार पर की जाएगी, जो उधारकर्ता के खाते में दिन के अंत में उपलब्ध ओडी सुविधा से उपयोग की गई राशि के अनुसार होगी। ब्याज की गणना प्रत्येक महीने की पहली तारीख से लेकर "प्रत्येक महीने के अंत" यानी महीने के 28वें / 29वें / 30वें या 31वें (जैसा भी मामला हो) दिन तक की अवधि के लिए की जाएगी, जो सुविधा की अवधि के दौरान होगी और इसका भुगतान

उधारकर्ता द्वारा अंतिम तिथि (अंतिम तिथियों) पर किया जाएगा, जो अगले महीने की पहली तारीख है, हालांकि, ऋणदाता अनुग्रह अवधि के बाद अगले कैलेंडर महीने की 5 तारीख तक इसका पुनर्भुगतान करने की अनुमति दे सकता है।

यदि प्रारंभ तिथि महीने के 20वें दिन या उससे पहले है, तो प्रारंभिक सीमा प्रारंभ तिथि से लेकर उस महीने के अंतिम दिन तक लागू होगी। हालांकि, यदि प्रारंभ तिथि उक्त महीने के 21वें दिन या उसके बाद है, तो प्रारंभिक सीमा प्रारंभ तिथि से लेकर अगले महीने के अंतिम दिन तक लागू होगी। इसके बाद, प्रत्येक महीने के लिए, परिचालन सीमा संबंधित कैलेंडर महीने की पहली तारीख ("सीमा परिवर्तन तिथि") से लेकर उसी कैलेंडर महीने की अंतिम तारीख (दोनों सहित) तक लागू होगी। परिचालन सीमा प्रत्येक सीमा परिवर्तन तिथि पर स्वचालित रूप से L/N की राशि से कम हो जाएगी, जहां L प्रारंभिक सीमा है और N ओवरड्राफ्ट सुविधा की अवधि है, जिसे अनुसूची में दिए गए अनुसार महीनों में दर्शाया गया है।

उदाहरण: यह मानते हुए कि प्रारंभ तिथि अवधि के पहले महीने की 20 तारीख को या उससे पहले है, और यदि ओवरड्राफ्ट सुविधा की मूल अवधि 10 महीने है और दी गई प्रारंभिक सीमा 10,00,000/- रुपये (दस लाख रुपये मात्र) है, तो अगले महीने के लिए परिचालन सीमा स्वचालित रूप से 10,00,000/10 = 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये मात्र) से कम हो जाएगी और नई परिचालन सीमा (10,00,000 - 1,00,000) = 9,00,000/- रुपये (नौ लाख रुपये मात्र) होगी। इसी प्रकार, अगले महीने के लिए, उधारकर्ता के लिए उपलब्ध परिचालन सीमा 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) से कम हो जाएगी, और 8,00,000/- रुपये (आठ लाख रुपये) हो जाएगी और इसी तरह आगे भी।

अवधि के दौरान किसी भी महीने/अवधि के लिए उधारकर्ता द्वारा सीमा का न्यूनतम उपयोग करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता को ऋणदाता को इस संबंध में शुल्क का भुगतान करना होगा, यदि कोई हो, जैसा कि यहां अनुसूची में उल्लेख किया गया है या जैसा कि ऋणदाता द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

13. ऋणदाता अपने पूर्ण विवेक पर, सुविधा की शर्तों/सुविधा समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार को किसी भी व्यक्ति/संस्था को और उन नियमों और शर्तों पर बेच, सौंप, नवीनीकृत या स्थानांतरित कर सकता है जो ऋणदाता को उचित लगें। उधारकर्ता ऋणदाता को सुविधा, सुविधा समझौते और/या सुविधा दस्तावेजों के तहत ऋणदाता के सभी या किसी भी भाग के अधिकारों और/या दायित्वों को किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) को और इस तरह से और ऐसे नियमों पर प्रतिभूतिकरण, बेचने, सौंपने या स्थानांतरित करने के लिए अग्रिम सहमति देता है, जैसा कि ऋणदाता भविष्य में किसी भी समय तय कर सकता है। ऐसी कोई भी बिक्री, असाइनमेंट, प्रतिभूतिकरण या हस्तांतरण उधारकर्ता को निर्णायक रूप से बाध्य करेगा। उधारकर्ता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुविधा, सुविधा समझौते, सुविधा दस्तावेजों या उसके किसी भी भाग के तहत या उसके संबंध में किसी भी अधिकार, लाभ या दायित्वों को पूरी तरह या आंशिक रूप से सौंपने या किसी भी तरह से स्थानांतरित करने का अधिकार नहीं होगा।

14. उधारकर्ता(ओं) को सुविधा की शर्तों के तहत अपने किसी भी अधिकार या दायित्व को उस संबंध में उधारदाता की पूर्व लिखित अनुमति के अलावा किसी भी अधिकार या दायित्व को हस्तांतरित नहीं करना चाहिए।

15. पुल्लिंग लिंग के शब्दों में स्त्रीलिंग और तीसरा लिंग शामिल होगा। एकवचन संख्या वाले शब्दों में बहुवचन शामिल होगा।

16. नुकसान से सुरक्षा:

i. उधारकर्ता (ओं) को इसके द्वारा, चाहे इस प्रकार के लेन-देन पर विचार किया गया हो, उधारदाता और उसके हर एक अधिकारी, प्रतिनिधि और एजेंट को हानि से बचना चाहिए और उनमें से हर एक को किसी भी नुकसान, दावों, क्षति, देनदारियों या खर्चों के खिलाफ हानिरहित रखना चाहिए। उनके द्वारा परिणामस्वरूप:

किसी लागू कानून के प्रावधानों का पालन करने में विफलता; और/या

(क). सुविधा और उधारदाता के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करने में विफलता; और/या

(ख). किसी भी चूक की घटना का घटित होना; और/या

(ग). कोई भी मुकदमा या अन्य कार्यवाही (चाहे उधारदाता उसमें पक्षकार हो या नहीं) किसी सुविधा दस्तावेज़ में प्रवेश करने और/या प्रदर्शन करने या सुविधा के उपयोग से संबंधित; और/या

(घ). उधारकर्ता द्वारा पर्याप्त स्टांप शुल्क का भुगतान न करना; और/या किसी भी सुविधा दस्तावेजों में अपर्याप्त स्टांप शुल्क के भुगतान की किसी भी घटना के कारण होने वाली कोई भी स्टांप शुल्क लागत; और/या

(ङ). इस एग्रीमेंटके तहत या उसके अनुसार उधारकर्ता द्वारा उधारदाता को देय या प्रतिदेय किसी भी राशि के भुगतान में कोई देरी; और/या

(च). किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा किसी भी शुल्क, कर या दंड का नियमितीकरण या किसी भी सुविधा दस्तावेजों को पूर्ण करने के संबंध में,

जैसा कि सुविधा की मुद्रा के दौरान किसी भी समय कानून के तहत ज़रूरी हो सकता है; और/या

(छ). सुविधा एग्रीमेंट के तहत उधारदाता द्वारा किसी भी अधिकार का प्रयोग।

ii. इस हद तक कि उपक्रम अप्रवर्तनीय हो सकते हैं क्योंकि वे किसी भी लागू कानून या सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करते हैं, उधारकर्ता को अधिकतम योगदान देना होगा।

iii. अगरकिसी क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष के विरुद्ध कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है और ऐसा क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष उधारकर्ता(ओं) को इसके होने की सूचना देता है, जैसा कि ऊपर शामिल है, तो उधारकर्ता(ओं) को अपने खुद के खर्च पर इसके बचाव में भाग लेने का अधिकार होगा, बशर्ते कि किसी भी घटना में क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष को उधारकर्ता(ओं) की पूरी लागत और खर्च पर अपना स्वयं का वकील रखने का अधिकार होगा और उधारकर्ता(ओं) द्वारा इसके बचाव में इस तरह की भागीदारी उधारकर्ता(ओं) को किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो उनके पास ऐसे क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष के लिए हो सकती है (अपने स्वयं के वकील की फीस और अन्य शुल्कों के संबंध में)।

iv. **इस खंड के अनुसार मांग के नोटिस की तारीख से 3 (तीन) व्यावसायिक दिनों के भीतर इस तरह की प्रतिपूर्ति करने में चूक होने पर, उधारकर्ता (ओं) को चूक की गई राशियों पर दंड शुल्क/ दंडात्मक शुल्क का भुगतान भी करना होगा। एसा मांग के नोटिस की तारीख से 3 (तीन) व्यावसायिक दिनों के ऐसे निर्दिष्ट समय की समाप्ति से पहले करना होगा।**

v. सुविधा संबंधित एग्रीमेंट के सभी क्षतिपूर्ति खंड मान्य रहेंगे और एग्रीमेंटकी समाप्ति/समाप्ति के बाद भी प्रभावी रहेंगे, जैसा भी मामला हो।

17. फ़ीस, शुल्क, लागत और दावे

(i) सुविधा, जिसमें ब्याज और दंडात्मक शुल्क शामिल हैं, पर वस्तु एवं सेवा कर, शुल्क और कोई अन्य शुल्क, यदि कोई हो, अनुसूची में उल्लिखित अनुसार और कोई अन्य कर, उपकर, शुल्क या दंड जो इस पर देय हैं, चाहे वे अभी लागू हों या भविष्य में, जिसका उधारकर्ता वहन करने और ऋणदाता को अलग से भुगतान करने के लिए सहमत है।

(ii) ऋणदाता, उधारकर्ता से सुविधा के संबंध में ऋणदाता द्वारा किए गए किसी भी शुल्क या लागत या दावों को वसूलने का हकदार होगा, जिसमें इस समझौते के निष्पादन और मुद्रांकन और इस समझौते के अनुसार किसी भी अन्य दस्तावेज़ के कारण होने वाले शुल्क भी शामिल हैं।

(iii) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सभी शुल्कों और फीस पर लागू दरों के अनुसार अतिरिक्त रूप से लगाया जाएगा (जहां भी जीएसटी लागू हो)।

18. वितरण

2.1 उधारकर्ता के पास विकल्प होगा कि वह सुविधा का वितरण या तो पूर्ण राशि में या चरणों में किसी भी समय उपलब्धता अवधि के दौरान अनुरोध कर सके। "उपलब्धता अवधि" उस अवधि का अर्थ होगा जो इस समझौते के निष्पादन की तिथि से प्रारंभ होकर अनुमोदन पत्र में निर्दिष्ट तिथि पर समाप्त होती है, या उस विस्तारित अवधि पर जो ऋणदाता अपनी एकल विवेकाधिकार में सहमत कर सकता है। उपलब्धता अवधि के दौरान उधारकर्ता द्वारा वितरण के लिए कोई भी अनुरोध इस समझौते की शर्तों का पालन करने और ऋणदाता द्वारा निर्धारित किसी अन्य शर्तों की संतोषजनक पूर्ति के अधीन होगा।

19. खाते के संचालन की विधि

(i) जब तक उधारकर्ता(ओं) और ऋणदाता के बीच अन्यथा सहमति न हो, ऋणदाता उधारकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार उधारकर्ता के खाते में एकमुश्त राशि में सुविधा जमा करेगा।

(ii) उधारकर्ता सहमत है और स्वीकार करता है कि उधारकर्ता उधारकर्ता के खाते में निकासी करके सुविधा वापस ले सकता है जिससे पुनर्भुगतान अधिदेश प्राप्त किया गया है।

(iii) उधारकर्ता द्वारा यह सहमति और स्वीकार किया जाता है कि संवितरण से संबंधित प्रभार (इस तरह के भुगतान आदेश या डिमांड ड्राफ़्ट पर लाभार्थी द्वारा आय के संग्रह के लिए या जारी करने के लिए प्रभार सहित) पूरी तरह से उधारकर्ता द्वारा चुकाया जाएगा।

(iv) ऋणदाता किसी भी समय सुविधा के लिए किसी भी राशि का वितरण नहीं कर सकता है, जब तक कि ऋणदाता के एकमात्र विवेक पर उधारकर्ता द्वारा निम्नलिखित शर्तों का पालन नहीं किया जाता है:

(क) कर्ज़ से जुड़े दस्तावेज़ उधारकर्ता यथानियम निष्पादित करके उधारदाता को सौंप देगा;
(ख) उधारकर्ता द्वारा उधारदाता को ईएनएसीएच (नैशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस) अधिदेश/ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम) (इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली) पेश करना होगा;
(ग) उधारदाता को अपनी समझ अनुसार किसी दूसरे दस्तावेज़ या लेखन की ज़रूरत पड़ सकती है ।
(घ) सभी ज़रूरी अनुमोदनों और अनुमतियों को उपयुक्त प्राधिकारियों से प्रस्तुत करना, जिनमें निगमों से अनुमोदन और प्रमाणपत्र शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(v) ऋणदाता सुविधा के तहत किसी भी आगे की राशि के वितरण को रोकने के लिए भी स्वतंत्र होगा, जब तक कि इस तरह के आगे के वितरण से पहले ऋणदाता के एकमात्र विवेक पर निम्नलिखित शर्तों का पालन नहीं किया जाता है:

(क) सावधि ऋण और/या ओवरड्राफ्ट सीमा और/या सुविधा से संबंधित कोई चूक की घटना नहीं हुई होगी;
(ख) उधारकर्ता ने ओडी (ओवरड्राफ़्ट) सुविधा के पूर्व संवितरण के उपयोग का साक्ष्य प्रस्तुत किया होगा;
(ग) उधारकर्ता (ओं) ने उधारदाता के पक्ष में बीमा पॉलिसी (यों) को सौंपा होगा, जैसा कि उधारदाता द्वारा ज़रूरी हो सकता है;
(घ) उधारकर्ता ने अपने आवधिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए होंगे; और
(ङ) उधारकर्ता (ओं) ने उधारदाता द्वारा अपने विवेकाधिकार में आवश्यक सभी या बाकी किसी दस्तावेज़ या लेखन का उत्पादन किया होगा, जो उधारकर्ता (ओं) पर बाध्यकारी होगा।

(vi) उधारकर्ता उधारदाता को मांग पर और अनुसूची के अनुसार राशि का भुगतान करेगा।
(vii) अगर उधारकर्ता के पास उपलब्ध सीमा के अतिरिक्त खाते में अतिरिक्त धनराशि जमा है, तो उधारदाता ऐसी अतिरिक्त धनराशि पर ब्याज़ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी या बाध्य नहीं होगा।
(viii) खाते में जमा अतिरिक्त धनराशि के कारण ब्याज़ बचत केवल उधारदाता को धन की प्राप्ति की तारीख से उपलब्ध होगी, न कि उधारकर्ता द्वारा शुरू की गई लेनदेन की तारीख से।
(ix) ऋणदाता ऋण चुकौती के जोखिम को कवर करने के लिए जीवन बीमा के माध्यम से सलाह दे सकता है जहां उधारकर्ता के पास ऋणदाता के भागीदारों के माध्यम से प्रदान किए गए विकल्पों से या बाजार में उपलब्ध किसी अन्य बीमा कंपनी के माध्यम से बीमा के लिए नामांकन करने का विकल्प होता है। उधारकर्ता ऐसे बीमा उत्पादों के नियमों और शर्तों को समझने और उनकी समीक्षा करने के बाद अपनी पसंद के अनुसार। उधारकर्ता अपने विवेक के अनुसार बीमा का लाभ उठाने या बिल्कुल भी लाभ नहीं उठाने का विकल्प चुन सकता है।

20. ओवरड्राफ्ट सीमा में वृद्धि / कमी और सीमा की गणना

i. उधारकर्ता द्वारा यह सहमति और स्वीकार किया जाता है कि उधारदाता प्रारंभिक सीमा और/या किसी भी परिचालन सीमा को अलग-अलग/पुनः निर्धारित करने (बढ़ाने/घटाने/रद्द करने सहित) का हकदार होगा, जो अतिरिक्त नियमों और शर्तों के अधीन है, जैसा कि उधारदाता उधारकर्ता को आगे निर्धारित करने के लिए उचित समझ सकता है, जिसमें बिना किसी सीमा के, उधारकर्ता के क्रेडिट का पुनर्मूल्यांकन और उधारकर्ता द्वारा ऐसे दस्तावेजों को पेश करना शामिल है, जैसा कि ज़रूरी हो सकते हैं।
ii. सुविधा/संचालन सीमा में परिवर्तन होने पर, जैसा भी मामला हो, इस दस्तावेज़ को उस संबंध में बाकी किसी दस्तावेज़ को निष्पादित करने की ज़रूरत के बिना ऐसी परिवर्तित और/या बढ़ी हुई सुविधा/संचालन सीमा को सुरक्षित रखना जारी रखा जाएगा।
iii. सुविधा की अवधि इस अनुसूची में उल्लिखित अवधि के लिए होगी।
iv. उधारकर्ता प्रतिनिधित्व करता है और भरोसा दिलाता है कि उधारकर्ता परिचालन सीमा की गणना करने की उधारदाता के ढंग से सहमत है, समझ गया है, स्वीकार कर लिया है और उससे अवगत है और समय-समय पर लागू परिचालन सीमाओं के बारे में समय-समय पर खुद को सूचित रखेगा।

v. उधारकर्ता कार्यकाल के दौरान हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय सुविधा के तहत कुल बकाया उपयोग लागू परिचालन सीमा से ज़्यादा नहीं होगा।

vi. उधारदाता अपने विवेकाधिकार पर किसी भी अनुरोध या भुगतान निर्देश को अस्वीकार/प्रक्रिया न करने का हकदार होगा जो लागू परिचालन सीमा (उपयोग और डेबिट शेष राशि को घटाकर) से ज़्यादाहै और उधारकर्ता इसके परिणामों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा और उधारदाता किसी भी समय किसी भी तरह से उधारकर्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

21. सुविधा पर ब्याज

(i) सुविधा पर ब्याज उधारकर्ता द्वारा हर महीने अलग-अलग ऐसी तारीखों पर और ऐसी किश्तों में और ऐसे अंतरालों पर देय होगा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट है या जैसा कि ऋणदाता द्वारा अलग से लिखित रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(ii) उधारकर्ता सुविधा, बकाया राशि, अतिदेय राशि, अवैतनिक देय ब्याज, प्रतिपूर्ति योग्य करों, लागतों, खर्चों और अन्य सभी बकाया शुल्कों और राशियों (अवैतनिक दंड शुल्क को छोड़कर) पर ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जो यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट ब्याज दर पर, बकाया दैनिक शेष पर, मासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ होगा।

(iii) उधारकर्ता ने उधारदाता की ब्याज़ की गणना करने की विधि को स्वीकार, समझा, स्वीकार किया है और उसके बारे में जानता है। उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाते को एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए नीचे उल्लिखित 3 (तीन) शर्तों का पालन करें:

(क) उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि बकाया शेष 90 दिनों तक लगातार परिचालन सीमा से अधिक न रहे।

(ख) उधारकर्ता द्वारा सुविधा का उपयोग न करने की स्थिति में, ऋणदाता अपने विवेक पर ऋण खाता बंद करने या सुविधा वापस लेने का हकदार होगा।

(ग) उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि पिछले 3 (तीन) महीनों में जमा की गई राशि पिछले तीन महीनों के लिए अवैतनिक ब्याज़की सेवा के लिए पर्याप्त है।

बिलिंग चक्र: उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसूची में ज़्यादाविशेष रूप से वर्णित बिलिंग चक्र की शर्तों का पालन किया जाए।

22. सुविधा का पुनर्भुगतान

(i) उधारकर्ता एतद्द्वारा सहमत होता है और खाते में प्रत्येक माह के अंतिम व्यावसायिक दिन को या उससे पहले विधिवत जमा करने का वचन देता है, ऐसी राशियाँ जो उधारकर्ता द्वारा उपयोग की गई सीमा के लिए पूरे महीने के ब्याज का भुगतान करने के लिए ऋणदाता को भुगतान करने के लिए पर्याप्त होंगी। स्पष्टता के लिए, ब्याज के लिए जमा की जाने वाली राशि मूलधन राशि (यदि कोई हो) के लिए उधारकर्ता द्वारा किए गए भुगतान/जमा के अतिरिक्त (और उसके बदले में नहीं) होगी, जैसा कि ऊपर उल्लिखित परिचालन सीमा से अधिक है।

(ii) उधारकर्ता इसके द्वारा उधारदाता को उपर्युक्त राशियों के भुगतान के लिए खाते को डेबिट करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करता है। ब्याज़ की गणना तीन सौ पैंसठ दिनों के वर्ष के आधार पर की जाएगी। उधारदाता अपने विवेकाधिकार में वर्ष के आधार और ब्याज़ की आवधिकता को संशोधित करेगा। उधारदाता अपने विवेकाधिकार में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए परिवर्तनों के कारण समय-समय पर ब्याज़ की उक्त दर को बदलने का भी हकदार होगा, जिसकी सूचना उधारकर्ता (ओं) को दी जाएगी और उधारकर्ता (ओं) पर बाध्यकारी होगी। उधारकर्ता समय-समय पर लागू होने वाले सभी ब्याज़ कर, अगर कोई हो, तो उसका भुगतान भी करेगा।

(iii) उधारकर्ता (ओं) को कार्यकाल के अंत में या उधारदाता द्वारा मांगे जाने पर, जो भी पहले हो, पूरी बकाया राशि का भुगतान करना होगा।

23. प्रत्यायोजन का अधिकार:

ऋणदाता, स्वयं या अपने कार्यालय कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करने के अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक या अधिक व्यक्तियों ("सेवा प्रदाता") को नियुक्त करने का हकदार होगा, जैसा कि ऋणदाता चुन सकता है और ऐसे पक्ष को सुविधा दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी कार्य, अधिकार और शक्तियों को सौंप सकता है, जिसमें उधारकर्ता से ऋणदाता की ओर से सभी बकाया राशि प्राप्त करने और उससे जुड़े सभी वैध कार्यों, कर्मों, मामलों और चीजों को करने और निष्पादित करने का अधिकार और अधिकार शामिल है। उधारकर्ता स्पष्ट रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से सहमति देता है कि सेवा प्रदाताओं के खिलाफ किसी भी दावे के लिए, ऋणदाता उत्तरदायी नहीं होगा और इस खाते पर उधारकर्ता का दावा केवल सेवा प्रदाताओं के खिलाफ होगा।

24. पूर्व भुगतान:

सावधि ऋण का - उधारकर्ता, स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार, पूरी बकाया राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से पुनर्भुगतान करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके अलावा, प्रत्येक पूर्व भुगतान पर, इस समझौते के शुल्क अनुसूची में निर्धारित पूर्व भुगतान शुल्क, ऋणदाता द्वारा समय-समय पर तय की गई दरों पर लागू होंगे। पूर्व भुगतान की स्थिति में, उधारकर्ता सहमत है कि पूर्व भुगतान शुल्क का भुगतान उधारकर्ता द्वारा इस समझौते की शर्तों के अनुसार और बिना किसी दबाव के उधारकर्ता की स्वतंत्र इच्छा और सहमति से किया जाता है। इसके अलावा, उधारकर्ता सहमत है और स्वीकार करता है कि एक बार पूर्व भुगतान शुल्क का भुगतान हो जाने और ऋणदाता द्वारा नो-ड्यूज सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाने के बाद, उधारकर्ता किसी भी समय किसी भी कारण से ऋणदाता से कोई भी राशि वापस नहीं लेगा। इसके अलावा, उधारकर्ता पूर्व भुगतान शुल्क के रूप में उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई किसी भी राशि पर विवाद नहीं करेगा।

सीमा का - उधारकर्ता ऋण खाते को समय से पहले बंद करने (अर्थात कार्यकाल की समाप्ति से पहले बंद करने) का हकदार होगा, जो ऋणदाता की वेबसाइट पर समय-समय पर अपडेट किए गए शुल्क अनुसूची (एसओसी) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार होगा। यदि उधारकर्ता सभी बकाया राशि का पूर्व भुगतान करके और इस सुविधा को समाप्त करके ऋण खाते को समय से पहले बंद करने का इच्छुक है, तो उधारकर्ता ऋणदाता की वेबसाइट पर समय-समय पर अपडेट किए गए शुल्क अनुसूची (एसओसी) में उल्लिखित समय से पहले बंद करने के शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

उधारकर्ता एतद्द्वारा सहमत है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता केवल उधारकर्ता के निम्नलिखित बैंक खातों से फोरक्लोज़र, आंशिक-पूर्व भुगतान और पूर्व भुगतान शुल्क की अनुमति देगा: (i) व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला चालू खाता; या (ii) सुविधा के पुनर्भुगतान के उद्देश्य से ऋणदाता के साथ पंजीकृत पुनर्भुगतान खाता।

25. विनियोग की विधि:

(i) विनियोग का क्रम

जब तक ऋणदाता द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए या लागू कानून द्वारा आवश्यकता न हो, उधारकर्ता से प्राप्त कोई भी भुगतान निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा:

क. बकाया ब्याज, यदि हो;

ख. बकाया मूलधन;

ग. बकाया दंडात्मक शुल्क;

घ. बकाया बाउंसिंग शुल्क;

ङ. अन्य शुल्क, जिसमें प्रसंस्करण शुल्क, कानूनी लागत, या बीमा प्रीमियम शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं;

च. भविष्य का मूलधन राशि।

(ii) मानक और बकाया ऋणों के लिए विनियोग (0-90 डीपीडी खाते)

मानक संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत या ऋण जिनमें बकाया ईएमआई (मासिक किस्त भुगतान) हैं लेकिन 90 दिनों से अधिक की देयता (डीपीडी) नहीं है, के लिए भुगतान बकाया किश्तों के कालानुक्रमिक क्रम में लागू किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप, यदि माह 1 (एम 1) और माह 2 (एम 2) की ईएमआई (मासिक किस्त भुगतान) बकाया हैं, तो भुगतान निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा:

क. एम 1 ब्याज;

ख. एम 1 मूलधन;

ग. एम 2 ब्याज;
घ. एम 2 मूलधन;
ङ. एम 1 दंडात्मक शुल्क;
च. एम 1 बाउंसिंग शुल्क;
छ. एम 1 अन्य;
ज. एम 2 दंडात्मक शुल्क;
झ. एम 2 बाउंसिंग शुल्क
ञ. एम 2 अन्य;

(iii) गैर-निष्पादित संपत्तियों के लिए विनियोग (90 + डीपीडी खाते)

यदि सुविधा को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, तो भुगतान निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा:
क. बकाया मूलधन;
ख. बकाया ब्याज;
ग. बकाया दंडात्मक शुल्क;
घ. बकाया बाउंसिंग शुल्क;
ङ. अन्य शुल्क

गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत ऋणों या 90 दिनों से अधिक की देयता (डीपीडी) वाले बकाया ईएमआई (मासिक किस्त भुगतान) वाले ऋणों के लिए, भुगतान बकाया किस्तों के कालानुक्रमिक क्रम में लागू किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप, यदि माह 1 (एम 1) और माह 2 (एम 2) की ईएमआई (मासिक किस्त भुगतान) बकाया हैं, तो भुगतान निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा:
क. एम 1 मूलधन
ख. एम 1 ब्याज
ग. एम 2 मूलधन
घ. एम 2 ब्याज
ङ. एम 1 दंडात्मक शुल्क
च. एम 1 बाउंसिंग शुल्क
छ. एम 1 अन्य
ज. एम 2 दंडात्मक शुल्क
झ. एम 2 बाउंसिंग शुल्क
ञ. एम 2 अन्य

(iv) धोखाधड़ी या लिखित संपत्तियाँ

धोखाधड़ी या लिखित संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए, कोई भी भुगतान पहले कुल (भविष्य) मूलधन की बकाया राशि पर लागू किया जाएगा, फिर बकाया ब्याज, बकाया दंडात्मक ब्याज, बकाया बाउंसिंग शुल्क, और अन्य सभी बकाया शुल्कों पर लागू किया जाएगा।

(v) ऋणदाता की विवेकाधीन शक्ति

उपरोक्त के बावजूद, ऋणदाता यह अधिकार सुरक्षित रखते हैं कि वे विनियोग के क्रम को बिना पूर्व सूचना के अपनी पूर्ण विवेकाधिकार पर संशोधित कर सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी संशोधन ऋणी पर बाध्यकारी होगा।

(vi) अधिशेष भुगतान

ऋणी द्वारा सुविधा के तहत देय राशि से अधिक किया गया कोई भी अधिशेष भुगतान ऋणदाता की मानक नीति के अनुसार संपत्ति की शेष राशि के रूप में व्यवहार किया जाएगा, जिसके विवरण अनुरोध पर उपलब्ध होंगे

26. सुविधा के रिकॉर्ड:

उधारदाता अपने कार्यालय में अपने सामान्य अभ्यास के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक/कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली बनाए रखेगा या बनाए रखने का कारण बनेगा, जो सुविधा दस्तावेजों के तहत वितरित और देय राशियों को प्रमाणित करता है और उधारदाता के इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनलों से ऐसे कंप्यूटर जनित/रखरखाव प्रमाण पत्र/बयान/खाते उधारकर्ता द्वारा विरोध नहीं किए जाएंगे और उसमें की गई प्रविष्टियां उधारकर्ता के दायित्वों के अस्तित्व और राशियों का निर्णायक प्रमाण होंगी और प्राप्त, वसूल और खर्च की गई राशियों सहित सुविधा दस्तावेजों से उत्पन्न होने वाली या

उसके संबंध में किसी भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही में शामिल हैं और उधारकर्ता किसी भी समय किसी भी तरीके से इसका विरोध नहीं करेगा। उधारकर्ता द्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है कि उधारदाता सुविधा से संबंधित उधारकर्ता के साथ ईएमआई (इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट) पुनर्भुगतान का त्रैमासिक विवरण साझा करेगा। उधारकर्ता ऐसे विवरणों में उधारकर्ता द्वारा देखी गई विसंगतियों, अगरकोई हो, को ऐसे त्रैमासिक विवरण प्राप्त करने के 5 (पांच) दिनों के भीतर उठाने का हकदार होगा, जिसके बाद संबंधित त्रैमासिक विवरणों को उधारकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

27. ऋणदाता का जांच करने का अधिकार

उधारकर्ता सहमत है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता को अपनी विवेकाधिकार पर, किसी भी समय, आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षकों के माध्यम से, उधारकर्ता के खातों और गतिविधियों का ऑडिट करने का अधिकार होगा। उधारकर्ता ऐसे ऑडिट में पूरी तरह से सहयोग करेगा और ऋणदाता या नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा अनुरोधित सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रदान करेगा। उन मामलों में जहां ऑडिट रिपोर्ट अनिर्णायक रहती है या उधारकर्ता द्वारा असहयोग के कारण देरी होती है, ऋणदाता अपने रिकॉर्ड और अपनी आंतरिक जांच/मूल्यांकन पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर खाते की स्थिति को धोखाधड़ी या अन्यथा के रूप में निष्कर्ष निकालेगा। ऐसे ऑडिट से संबंधित सभी लागत और व्यय उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे। यह खंड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), जिसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां आरबीआई/डीओएस/2024-25/120, डीओएस.सीओ.एफएमजी.एसईसी.नंबर.7/23.04.001/2024-25 दिनांक 15 जुलाई, 2024 में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर आरबीआई मास्टर निर्देशों के अनुपालन में है।

28. डिफ़ॉल्ट समबंधित घटनाएं

29.1 डिफ़ॉल्ट समबंधित घटनाएं

निम्नलिखित निर्दिष्ट घटनाओं में से किसी एक के घटित होने पर डिफ़ॉल्ट की घटना घटित होती है (प्रत्येक "डिफ़ॉल्ट की घटना"):

(a). उधारकर्ता द्वारा किसी भी मूलधन, ब्याज, दंड शुल्क/ दंडात्मक शुल्क , किसी भी कमीशन या शुल्क, लागत, शुल्क या सुविधा दस्तावेजों के तहत देय किसी अन्य राशि के भुगतान में विफलता।

(b). अगरउधारकर्ता (उधारकर्ताओं) द्वारा सुविधा दस्तावेजों के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफलता या उसमें बताए गए किसी भी दायित्व के प्रदर्शन में या सुविधा दस्तावेजों के तहत किसी भी उपक्रम या वाचा के उल्लंघन को भौतिक शर्तों के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और इसके मद्देनज़र दंड शुल्क/ दंडात्मक शुल्क लागू होगा।

(c). (i) उधारकर्ता(ओं) या उसके/उनके किसी भी सहयोगी द्वारा किसी भी समझौते या अनुबंध (सुविधा दस्तावेजों के तहत के अलावा) के तहत अपने/अपने लेनदारों को देय किसी भी राशि का भुगतान करने में चूक करना (चाहे निर्धारित परिपक्वता, आवश्यक पूर्व भुगतान या त्वरण द्वारा); या (ii) उधारकर्ता(ओं): (क) अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है, या (ख) लिखित रूप में अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता स्वीकार करता है, या (ग) अपने सभी या किसी भी भाग के ऋणों के लिए भुगतान साधन का भुगतान बंद कर देता है, निलंबित कर देता है या बंद करने या निलंबित करने की धमकी देता है, या (घ) अपने ऋणों के किसी भी भाग के पुनर्निर्धारण या स्थगन के लिए बातचीत शुरू करता है या कोई कार्यवाही या अन्य कदम उठाता है (किसी भी ऋण की मोहलत सहित) या (ङ) अपने लेनदारों के लाभ के लिए या उनके साथ या उनके किसी भी समूह या वर्ग के लिए एक सामान्य असाइनमेंट या व्यवस्था या रचना का प्रस्ताव करता है या बनाता है, या (च) अपने ऋण के सभी या किसी भी भाग के संबंध में भुगतान के निलंबन या देनदारों की अन्य राहत के लिए याचिका दायर करता है। (vii) ऋणदाता के अलावा कोई भी व्यक्ति उधारकर्ता को दिवालिया घोषित करने के लिए कार्यवाही शुरू करता है या यदि उधारकर्ता दिवालिया हो जाता है या दिवालिया हो जाता है या दिवालियापन का कार्य करता है; (viii) उधारकर्ता द्वारा कोई धोखाधड़ी करना; (ix) सुविधा दस्तावेजों के तहत निर्धारित की जा सकने वाली किसी भी अन्य शर्तों की गैर-पूर्ति; (x) यदि यहां बताए अनुसार क्रॉस डिफ़ॉल्ट होता है: (क) उधारकर्ता का कोई भी ऋण देय होने पर या मूल रूप से लागू अनुग्रह अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है; (ख) किसी भी ऋण से संबंधित कोई भी डिफ़ॉल्ट (हालांकि वर्णित); (ग) उधारकर्ता के किसी भी ऋण या उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई किसी भी गारंटी के लिए कोई भी प्रतिबद्धता किसी भी लेनदार/ऋणदाता द्वारा डिफ़ॉल्ट के परिणामस्वरूप रद्द या निलंबित कर दी जाती है (हालांकि वर्णित); (घ) उधारकर्ता का कोई भी लेनदार डिफ़ॉल्ट के परिणामस्वरूप अपनी निर्दिष्ट परिपक्वता से पहले किसी भी ऋण को देय और देय घोषित करने का हकदार हो जाता है (हालांकि वर्णित); (ङ) किसी भी

अन्य ऋण को सुरक्षित करने के लिए उधारकर्ता की किसी भी संपत्ति पर कोई भी भार लागू हो जाता है; या (च) यदि ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच दर्ज किए गए एक या अधिक समझौतों या उपकरणों के तहत कोई डिफ़ॉल्ट है; (xiii) चेक या किसी भी भुगतान साधन/साधनों का अनादर; (xviii) उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना निर्देशों में निरसन या रद्द करना या परिवर्तन या स्टॉप-पेमेंट ऑर्डर / निर्देशों को रद्द करना या जारी करना;

(d) उधारकर्ताओं को उचित आशंका है या है कि उनमें से कोई भी, स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से किसी दिवालियापन या परिसमापन या दिवाला कानून के तहत किसी भी कार्यवाही का विषय बन रहा है, या स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से भंग हो गया है, दिवालिया या दिवालिया हो गया है या अगर किसी भी उधारकर्ता ने इसके पुनर्गठन, परिसमापन या विघटन या दिवालियेपन या दिवालियापन के लिए कोई कार्रवाई की है या उठाए जाने का सामना किया है या यदि सभी के लिए एक रिसीवर या परिसमापक या समनुदेशिती (या समान अधिकारी) को नियुक्त किया गया है या नियुक्त करने की अनुमति दी गई है या फिर उधारकर्ता की संपत्ति का कोई हिस्सा।

(e). उधारकर्ता(ओं) की मृत्यु, पागलपन या अन्य विकलांगता (जैसा लागू हो)।

(f). डिफ़ॉल्ट संबंधित घटना या डिफ़ॉल्ट से जुड़ी संभावित घटना, चाहे जो भी वर्णित हो, उधारकर्ता (ओं) और/या उधारकर्ता या किसी अन्य कंपनी की किसी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनियों की किसी भी कर्ज़ग्रस्तता से संबंधित किसी समझौते या दस्तावेज़ के तहत होती है। देनदार की कंपनियों का समूह, सुविधा दस्तावेजों के तहत किए गए कर्ज़ के अलावा या अगर वित्तीय संस्थानों या बैंकों सहित ऐसी कंपनियों के किसी दूसरे उधारदाता ने, जिनके साथ देनदार ने वित्तीय सहायता के लिए समझौते किए हैं, भुगतान करने से इनकार कर दिया है, अपनी सहायता या उसके किसी भाग को बढ़ा दिया है या रद्द कर दिया है या वापस ले लिया है।
(g) उधारकर्ता(ओं) की कोई भी प्राधिकरण, अनुमोदन, सहमति, लाइसेंस, अपवाद, फ़ाइलिंग, पंजीकरण, नोटरी या बाकी ज़रूरतें जो उसके व्यवसाय को चलाने के लिए ज़रूरी है, जैसा कि सुविधा एग्रीमेंटके निष्पादन की तारीख को किया जा रहा है, संशोधित, निरस्त या रोक दिया गया है या पूर्ण रूप से लागू नहीं रहता है।

(h) किसी भी कानूनी कार्यवाही, जांच या कार्यवाही की शुरुआत या अस्तित्व जिसका कोई भौतिक प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

(i) (i) उधारकर्ता अपना पूरा व्यवसाय या उसका बड़ा हिस्सा चलाना बंद कर देता है या बंद करने की धमकी देता है। (ii) उधारकर्ता अपने व्यवसाय की सामान्य प्रकृति या दायरे को उधारकर्ता द्वारा सुविधा एग्रीमेंट के निष्पादन की तिथि पर किए गए बदलाव/परिवर्तन या भौतिक रूप से बदलने/बदले जाने की धमकी देता है।

(j) सुविधा समझौते के तहत प्रदान किए गए फॉर्म और तरीके से उधारकर्ता का खुद को और सुविधा को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग दिलाने में असफ़ल होना।

(k) अगर उधारदाता द्वारा नियुक्त लेखाकारों की फ़र्म के किसी लेखाकार द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है (जिसे उधारदाता किसी भी समय ऐसा करने का हकदार है और इसके लिए अधिकृत है) कि उधारकर्ता(ओं) की देनदारियां उधारकर्ता(ओं) की संपत्ति से ज़्यादा है या कि उधारकर्ता(ओं) को घाटे में व्यवसाय करना है।

(l) उधारकर्ता(ओं) के संविधान, स्वामित्व, प्रबंधन, नियंत्रण, समामेलन, विलय और/या पुनर्निर्माण में परिवर्तन होता है, जिसमें ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी नाम से वरिष्ठ प्रबंधन में कोई भी परिवर्तन शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(m) किसी भी उधारकर्ता द्वारा किसी भी सुविधा दस्तावेज़ में किया गया या किया गया या किया गया माना जाने वाला कोई भी प्रतिनिधित्व या वारंटी गलत है, भ्रामक है जब इसे बनाया गया या बनाया गया माना जाता है।

(n) यह करार या अन्य सुविधा दस्तावेजों में से कोई भी या इसके या उसके किसी प्रावधान:

i. अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय है या हो जाता है या किसी पक्ष ने ऐसी किसी करार की वैधता या प्रवर्तनीयता को चुनौती देने के लिए उसका खंडन या अस्वीकार किया है या कोई कार्रवाई की है; या
ii. सिवाय इसके कि जैसा कि इसमें स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई है, इसके निर्दिष्ट समाप्ति दिनांक से पहले पूर्ण रूप से लागू और प्रभावी नहीं रहता है, या किसी पक्ष द्वारा सभी प्रतिबद्धताओं को सौंपा या अन्यथा हस्तांतरित या समय से पहले खत्म किया जाएगा (उधारदाता की पूर्व लिखित सहमति के अलावा)।

(o) (i) किसी भी उधारकर्ता या किसी व्यक्ति (उधारदाता सहित) के लिए किसी भी सुविधा दस्तावेज़ के तहत अपने संबंधित दायित्वों को निभाना गैरकानूनी है या हो जाता है; या (ii) किसी भी सुविधा दस्तावेज़ या उसके किसी प्रावधान को किसी भी लागू कानून द्वारा संशोधित, माफ़ या अस्वीकार करने की आवश्यकता है; या (iii) किसी भी सुविधा दस्तावेज़ के तहत कोई भी दायित्व किसी भी व्यक्ति के लिए वैध और बाध्यकारी दायित्व नहीं है या नहीं है या ऐसे व्यक्ति (उधारदाता के अलावा) द्वारा शून्य, अवैध, अप्रवर्तनीय या अस्वीकार कर दिया जाता है; और

(p) अगर कोई अन्य परिस्थिति मौजूद है, जो उधारदाता की एकमात्र राय में उधारदाता के हित के लिए हानिकारक है।

(q) उधारकर्ता द्वारा उधारदाता को प्रदान किए गए किसी भी परक्राम्य लिखत (चेक सहित) और/या ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम) मैंडेट और/या एनएसीएच (नैशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस) मैंडेट और/या प्रत्यक्ष डेबिट मैंडेट का अनादर होना।

r) उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) का निष्पादन संतोषजनक नहीं है या यह पाया जाता है कि उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) ने कर्ज़ की राशि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया है जिनके लिए इसे स्वीकृत किया गया है, या किसी अन्य कारण से जिसे उधारदाता द्वारा आवश्यक माना जाता है।

(s) उधारकर्ता, उधारकर्ता के लेनदारों के साथ व्यवस्था या समझौता की किसी योजना में प्रवेश करता है या व्यवस्था या समझौते की ऐसी योजना प्रस्तावित है या, उधारकर्ता की किसी भी संपत्ति पर एक रिसीवर या प्राप्तकर्ता और/या प्रबंधक नियुक्त किया जाता है।

(t) अगर उधारकर्ता ने उधारदाता या उसकी सहायक कंपनियों/साथी सहायक कंपनियों/सहयोगियों/उधारदाता का हिस्सा बनने वाली किसी अन्य इकाई के साथ किए गए किसी एग्रीमेंट के तहत चूक की है।

(u) दिवाला कानूनों के तहत उधारकर्ता के खिलाफ किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी आवेदन को दाखिल करना;

(v) आईबीसी के तहत किसी भी कार्यवाही को दाखिल करने या फास्ट ट्रैक समाधान प्रक्रिया या स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया या फ्रेश स्टार्ट प्रक्रिया या आईबीसी के तहत दिवालियापन के लिए किसी भी आवेदन को दाखिल करने के लिए निदेशकों या शेयरधारकों द्वारा किसी भी संकल्प को पारित करना;

(w) उधारकर्ता या उनकी किसी भी संपत्ति के संबंध में किसी भी संपत्ति की जब्ती, जब्ती या जारी किया गया कोई भी नोटिस

(x) **क्रॉस डिफॉल्ट:** उधारकर्ता द्वारा किसी भी समझौते, व्यवस्था और/या ऋणदाता या उसकी सहायक कंपनियों/सहयोगी सहायक कंपनियों/संबद्धों/ऋणदाता के भाग के रूप में गठित किसी अन्य इकाई के साथ उसकी किसी भी ऋणग्रस्तता (चाहे वास्तविक या आकस्मिक, या चाहे प्राथमिक या संपार्श्विक, या चाहे संयुक्त और/या कई) के तहत कोई भी डिफ़ॉल्ट और/या भौतिक शर्तों का डिफ़ॉल्ट सुविधा के तहत डिफ़ॉल्ट की घटना का गठन करेगा और इसके विपरीत।

(y) **बहुभागी-कर्ज़:**

(क) उधारकर्ता द्वारा एतद्द्वारा घोषित और सहमति व्यक्त की जाती है कि उधारकर्ता ने (i) ऋणदाता (एएफएल) के साथ ऋण के लिए आवेदन करते समय पहले से प्राप्त और प्रकट किए गए ऋणों के अलावा किसी अन्य ऋणदाताओं/बैंकों/वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण स्वीकृति या वितरण प्राप्त नहीं किया है और न ही प्राप्त करने की योजना है और (ii) ऋणदाता (एएफएल) से प्राप्त सुविधा के वितरण की तारीख से अगले 30 दिनों के भीतर कोई और ऋण नहीं लेगा, जिससे उसकी/उसके/उनके मासिक ईएमआई दायित्व मासिक शुद्ध आय से अधिक हो जाएंगे, उस संबंध में ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना।

(ख) उधारकर्ता किसी भी अन्य ऋणदाताओं/बैंकों/वित्तीय संस्थानों/तृतीय-पक्ष/पक्षों से उधारकर्ता द्वारा प्राप्त या अनुरोधित (स्वीकृत और साथ ही अभी तक स्वीकृत नहीं) किसी भी और सभी ऋणों/वित्तीय सहायता और/या उधारकर्ता द्वारा किसी भी तीसरे पक्ष/पक्षों को प्रदान की गई या प्रस्तावित किसी भी गारंटी (व्यक्तिगत और/या कॉर्पोरेट) के बारे में ऋणदाता को लिखित रूप में सूचित करने के लिए बाध्य, जिम्मेदार और कर्तव्यबद्ध होगा, सुविधा के वितरण या सुविधा की पहली किश्त के वितरण से पहले 30 दिनों की अवधि के लिए, जैसा भी मामला हो। यदि ऋण सुविधा की अवधि के दौरान किसी भी बाद के समय में, ऋणदाता को पता चलता है कि उधारकर्ता ने ऋणदाता को अग्रिम रूप से लिखित रूप में सूचित किए बिना किसी अन्य ऋणदाताओं/बैंकों/वित्तीय संस्थानों से बहुविध वित्तपोषण प्राप्त किया है और/या उधारकर्ता बहु ऋण पर इस खंड की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है, तो यह सुविधा दस्तावेजों के उधारकर्ता की

ओर से चूक/उल्लंघन की घटना को ट्रिगर करेगा और ऋणदाता उधारकर्ता को ऋणदाता द्वारा दी गई पूरी ऋण सुविधा को ब्याज और दंड शुल्क के साथ वापस लेने का हकदार होगा, जो सुविधा के लिए प्रासंगिक अनुसूची(यों) में निर्दिष्ट दर पर, देय राशि पर, उस तारीख से जिस दिन चूक की घटना होती है और उधारकर्ता के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करता है, जिसमें नागरिक और/या आपराधिक कार्रवाई शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(ग) इस करार के खंड 46 में निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कर्ज़ और अग्रिमों के संबंध में विनियामक प्रतिबंधों से संबंधित शर्तों का गलत घोषणा और/या गैर-अनुपालन।

29.2 सूचना/सुधार अवधि:

(1) इस खंड 29.2 के खंड (c) के अधीन, यदि कोई चूक की घटना या कोई ऐसी घटना जो चूक की घटना बनने में सक्षम है, घटित होती है, जो ऋणदाता की एकमात्र राय में, चूक की घटना को उधारकर्ता (ओं) द्वारा ठीक या निवारण किया जा सकता है, तो ऋणदाता, अपने एकमात्र विवेक पर, उधारकर्ता (ओं) को ऋणदाता द्वारा निर्धारित समय के भीतर चूक को ठीक/निवारण करने के लिए नोटिस दे सकता है। हालांकि, कोई सुधार अवधि प्रदान नहीं की जाएगी और कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगी यदि उधारकर्ता (ओं) ने किसी भी तथ्य के बारे में कोई भौतिक गलत बयानी की है, विशेष रूप से इस सुविधा के संबंध में, और ब्याज और/या मूल सुविधा राशि और/या इस समझौते के तहत किसी भी बकाया राशि के गैर-पुनर्भुगतान के मामले में भी।

(2) इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस या अनुरोध केवल लिखित रूप में होगा और सुविधा समझौते की शर्तों के अनुसूची में उल्लिखित दूसरे पक्ष के पते पर भेजा जाएगा (या उधारकर्ता के मामले में, उधारकर्ता के उस पते पर जो ऋणदाता को अंतिम रूप से ज्ञात हो): (i) यदि ऋणदाता द्वारा दिया जाता है, तो व्यक्तिगत रूप से, फैक्स द्वारा या डाक द्वारा या पंजीकृत ईमेल, एसएमएस द्वारा, व्हाट्सएप जैसी त्वरित संदेश सेवा के माध्यम से दिया जा सकता है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त या प्राप्त माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है, तो जब ऐसा दिया जाता है और यदि डाक द्वारा पोस्ट ऑफिस को आगे प्रेषण के लिए पोस्टिंग के प्रमाण पत्र के तहत दिए जाने के बाद 3 दिनों की समाप्ति पर और यदि पंजीकृत ईमेल या एसएमएस या व्हाट्सएप जैसी त्वरित संदेश सेवा द्वारा जैसे ही यह ऋणदाता के आउटबॉक्स/डिवाइस से निकल जाता है, यह मानते हुए कि उधारकर्ता को नोटिस या अनुरोध प्राप्त हो गया है, जैसा भी मामला हो; और (ii) यदि उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को दिया जाता है तो जब यह वास्तव में ऋणदाता द्वारा प्राप्त होता है।

(3) ऊपर खंड में कुछ भी लिखा होने के बावजूद, इस समझौते के अनुसार सुविधा की सर्विसिंग/पुनर्भुगतान के लिए कोई सुधार अवधि नहीं होगी।

(4) ऋणदाता अपने विवेकाधिकार पर सूचना, उपक्रमों आदि के अनुपालन न करने से संबंधित चूक की घटना के लिए एक उपचारात्मक अवधि प्रदान कर सकता है।

नोटिस की अवधि की समाप्ति पर या अगरकोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि उधारदाता, उधारदाता की समझ से लिखित रूप में आगे का समय या अन्य आवास नहीं देता है, सुविधा तुरंत उधारदाता (ओं) द्वारा उधारदाता को चुकाने योग्य होगी, जो कि तुरंत लागू हो जाएगा।

29.3 डिफ़ॉल्ट की घटनाओं के परिणाम

डिफ़ॉल्ट समबंधित घटना या संभावित डिफ़ॉल्ट की घटना घटित होने पर (अगरउधारदाता की संतुष्टि के अनुसार पूर्ववर्ती खंड के अनुसार इसका निदान नहीं किया जाता है), उधारदाता , बिना किसी अधिकार के पूर्वाग्रह के, जो उनके पास हो सकता है और उधारकर्ता (ओं) को नोटिस द्वारा, निम्नलिखित में से एक या उससे ज़्यादा कार्यवाही कर सकता है, जिसमें नीचे दिए सभी पहलू शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

(1) बकाया राशि, अवैतनिक मूलधन राशि या सुविधा के संबंध में ब्याज, और अन्य सभी दायित्व और उधारकर्ता(ओं) द्वारा यहां और सुविधा दस्तावेजों के तहत देय अन्य सभी राशियों को बिना किसी प्रस्तुति, मांग, विरोध या किसी भी प्रकार की अन्य सूचना के तुरंत देय और

भुगतान योग्य घोषित करना, जिनमें से सभी को यहां स्पष्ट रूप से माफ कर दिया गया है, इसके विपरीत यहां कुछ भी निहित होने के बावजूद;

(2) सुविधा की परिपक्वता में तेज़ी लाना और सुविधा के संबंध में बकाया सभी राशियों को तुरंत देय और देय घोषित करना।

(3) सुविधा/बकाया दायित्वों को रद्द या निलंबित घोषित करना;

(4) सुविधा दस्तावेजों या लागू कानून के तहत अनुमत या उपलब्ध अन्य उपचारों का प्रयोग करना, जिसमें उधारदाता द्वारा आवश्यक ऐसे सलाहकारों की नियुक्ति शामिल है;

(5) सुविधा की समीक्षा करें और/या अतिरिक्त सुरक्षा सहित अतिरिक्त शर्तें निर्धारित करें;

(6) लेनदारों की प्रक्रिया के लिए मुकदमा करना;

(7) दंड शुल्क/ दंडात्मक शुल्क वसूलना;

(8) सुविधाओं का पुनः मूल्य निर्धारण;

(9) किसी बीमा या प्रतिकर की रकम के संदाय के संबंध में सूचना जारी करना;

(10)उधारकर्ता के दायित्वों को चुकाने के लिए गारंटी प्रदाताओं, यदि कोई हो, को बुलाना;

(11)ऋणदाता के पास उपलब्ध ग्रहणाधिकार के अधिकार के संबंध में अपने अधिकारों का प्रयोग करना;

(12)बकाया राशि की सेवा और पुनर्भुगतान के लिए उधारकर्ता के खातों में किसी भी राशि का उपयोग करना;

(13)उधारकर्ता और/या उधारकर्ता के बोर्ड के निदेशकों के नामों को जानबूझकर चूक करने वालों के रूप में, इस तरह से और ऐसे माध्यम में प्रकट या प्रकाशित करना, जैसा कि ऋणदाता और/या आरबीआई और/या क्रेडिट सूचना कंपनियां, अपने पूर्ण विवेक में उचित समझें;

(14)प्रबंधन संरचना और बोर्ड की समीक्षा करना और प्रबंध निदेशक या किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शर्तों की समीक्षा करना, जो किसी भी नाम से प्रबंधन की पर्याप्त शक्तियां रखता है;

(15)उधारदाता द्वारा अपेक्षित बोर्ड पर एक नामित और/या पर्यवेक्षक नियुक्त करना;

(16)उधारकर्ता के बोर्ड में एक पर्यवेक्षक नियुक्त करना;

(17)तकनीकी, प्रबंधन या किसी अन्य परामर्श व्यवसाय में लगे किसी भी व्यक्ति को उधारकर्ता और/या परिसंपत्तियों, उसके परिसर, कारखानों, संयंत्रों और इकाइयों सहित, के कामकाज का निरीक्षण और जांच करने और उधारदाता को रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त करना;

(18)किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए या उधारकर्ता द्वारा अपने कामकाज के लिए या समवर्ती या आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में अपनाई गई वित्तीय या लागत लेखांकन प्रणाली और प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए, या उधारकर्ता के विशेष लेखा परीक्षा के संचालन के लिए, लेखा परीक्षकों के रूप में किसी भी चार्टर्ड एकाउंटेंट/लागत लेखाकार को नियुक्त करना;

(19)बकाया शेष को इक्विटी या अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करना। उधारकर्ता को शेयरधारक संकल्प/प्राधिकरण प्रदान करना होगा जो ऋणदाता को ऐसे रूपांतरणों को सुविधाजनक बनाने का अधिकार देगा;

(20)उधारकर्ता के खर्च पर, उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ, आपराधिक, दीवानी या अन्यथा प्रकृति की ऐसी कानूनी और अन्य कार्यवाही/कार्रवाई शुरू करना, आगे बढ़ाना, बचाव करना, जैसा कि ऋणदाता द्वारा आवश्यक समझा जाए, अंतर आलिया बकाया राशि की वसूली के लिए;

(21)उपरोक्त को प्रभावी करने और/या इस समझौते के तहत ऋणदाता के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक या आवश्यक चीजें, कार्य, लेखन करना, निष्पादित करना, हस्ताक्षर करना, वितरित करना; और

(22)सुविधा दस्तावेजों और लागू कानून के तहत उधारदाता को उपलब्ध अन्य अधिकारों का प्रयोग करें।

उपर्युक्त उप-खंडों के अनुसार किसी भी निलंबन या समाप्ति के बावजूद, उधारदाता और उसके हितों के लाभ या संरक्षण के लिए सुविधा दस्तावेजों के सभी प्रावधान पूरी तरह से लागू रहेंगे जैसा कि सुविधा दस्तावेजों में विशेष रूप से प्रदान किया गया है।

29. अगर कोई डिफ़ॉल्ट की घटना या कोई घटना, जो नोटिस या समय व्यतीत होने या दोनों के बाद डिफ़ॉल्ट की घटना का गठन करेगी, घटित हो गई है, तो उधारकर्ता (ओं) को तुरंत उधारदाता को लिखित रूप में इस तरह की चूक की घटना या ऐसी घटना को निर्दिष्ट करते हुए नोटिस देना होगा। उधारकर्ता (ओं) को उधारदाता को तुरंत सूचित करना चाहिए कि क्या और कब किसी भी वैधानिक नोटिस को बंद करने/कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया/तरलता के प्रावधानों को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है, कंपनी अधिनियम, 2013 या दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 या किसी अन्य कानून या किसी भी मुकदमे या कानूनी प्रक्रिया का इरादा उधारकर्ता (ओं) के खिलाफ़ दायर/शुरू किया जाना है, उधारकर्ता (ओं) द्वारा प्राप्त किया जाता है।

30. इस प्रश्न पर कि उपर्युक्त घटनाओं/परिस्थितियों में से कोई भी घटित/घटित हुई है या नहीं, उधारदाता का निर्णय उधारकर्ता(ओं) पर अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी होगा।

31. उधारकर्ता इसके द्वारा स्वीकृत कर्ज़की पूर्व-शर्त के रूप में सहमत होता है, अगरउक्त सुविधा/सुविधाओं के अग्रिम भुगतान में या उस पर ब्याज़ के अग्रिम भुगतान में या उक्त सुविधा/सुविधाओं की किसी भी सहमत किस्त में चूक की जाती है, तो देय तिथि/तिथियों पर, उधारदाता और/या भारतीय रिज़र्व बैंक के पास उधारकर्ता के नाम या उसकी कंपनी/फ़र्म/इकाई और उसके निदेशकों/साझेदारों/मालिकों के नाम को डिफ़ॉल्ट कर्ताओं के रूप में इस तरह से और इस तरह के माध्यम से प्रकट करने या प्रकाशित करने का एक अयोग्य अधिकार होगा, जैसा कि उधारदाता या भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी पूरी समझ से उचित समझे।

32. उधारकर्ता(ओं) एतद्द्वारा सहमत होते हैं और वचन देते हैं कि आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक)/सीआईसी (क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी) द्वारा बनाए गए जानबूझकर डिफॉल्ट करने वालों की सूची में या किसी भी सावधानी सूची में जिसका नाम दिखाई देता है, उसे उधारकर्ता(ओं) के बोर्ड में या प्रबंधन के जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति बोर्ड में या प्रबंधन के प्रभारी के रूप में पाया जाता है, तो उधारकर्ता(ओं) ऐसे व्यक्ति को बोर्ड या प्रबंधन से हटाने के लिए शीघ्र और प्रभावी कदम उठाएगा। उधारकर्ता(ओं) द्वारा ऐसे व्यक्ति को हटाने में विफलता की स्थिति में, ऋणदाता, अपने विवेक से, इसे डिफ़ॉल्ट की घटना के रूप में मान सकता है। इसके अलावा, जब तक ऐसा कोई व्यक्ति बोर्ड में बना रहे या उधारकर्ता(ओं) के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार रहे, तब तक ऋणदाता उधारकर्ता(ओं) को प्रदान की गई मौजूदा सुविधाओं का नवीनीकरण, वृद्धि, ताजा ऋण सुविधाएं प्रदान नहीं करेगा या पुनर्गठन नहीं करेगा। यह खंड जानबूझकर डिफॉल्टर और बड़े डिफॉल्टर आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक)/डीओआर (वित्तीय समावेशन विभाग) /2024-25/122, डीओआर.एफआईएन.आरईसी.संख्या 31/20.16.003/2024-25, दिनांक 30 जुलाई, 2024 के उपचार पर आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक) मास्टर निर्देश के अनुसार है।

33. उधारकर्ता(ओं) ने वारंट किया है कि अगरउधारकर्ता(ओं) स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से किसी दिवालियापन या दिवालियापन कानून के अधीन हो जाते हैं या जहां उधारकर्ता(ओं) एक कंपनी है, तो वह तुरंत उधारदाता को सूचित करेगा, किसी भी आवेदन की प्राप्ति की सूचना के लिए घुमावदार होने या दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों के तहत घुमावदार होने की वैधानिक सूचना या, बिना किसी सीमा के, किसी अन्य कानून के तहत कोई अन्य सूचना या अन्यथा कोई मुकदमा या अन्य कानूनी प्रक्रिया दायर करने या उसके खिलाफ शुरू करने का इरादा है। उधारकर्ता(ओं) ने घोषणा की, आश्वासन दिया और वारंट किया कि उधारकर्ता(ओं) किसी भी सार्वजनिक मांग के बकाया में नहीं है, जिसमें अप्रत्यक्ष कर, आयकर, कॉर्पोरेट कर और ऐसे अन्य कर, दरें या लेवी या केंद्र या राज्य सरकारों या किसी स्थानीय, वैधानिक या अन्य प्राधिकरण को देय कोई अन्य वैधानिक बकाया शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

34. उधारकर्ता इसके द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 और भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक के तहत सूचना उपयोगिता विनियमों (जैसा लागू हो) का अनुपालन करने का वचन देता है और सहमत होता है। डीबीआर. क्रमांक लेग. बीसी.98/09.08.019/2017-18 दिनांक 19 दिसंबर, 2017 (जैसा

लागू हो)। उधारकर्ता उधारदाता को दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत अधिसूचित किसी भी सूचना उपयोगिता को वित्तीय जानकारी साझा करने के लिए अधिकृत करता है। उधारकर्ता संबंधित सूचना उपयोगिता प्लेटफॉर्म ("आईयू प्लेटफॉर्म") पर वित्तीय जानकारी को प्रमाणित करेगा और किसी भी चूक के मामले में, उधारदाता को ऐसी चूक के बारे में सूचित करेगा और उधारदाता को ऐसी गलती को सुधारने में सहायता करेगा। अगरउधारकर्ता इस खंड के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहता है, तो उधारदाता को इस तरह के गैर-अनुपालन को डिफ़ॉल्ट की घटना घोषित करने का अधिकार होगा। उधारकर्ता इसके द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से उधारदाता के किसी भी सहयोगी/सहायक और/या उनके किसी भी एजेंट को उपरोक्त जानकारी के उपयोग के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराने का वचन देता है।

35. चेक या ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम) मैंडेट और/या एनएसीएच (नैशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस) मैंडेट/डायरेक्ट डेबिट मैंडेट का अनादर/गैर-बोध उधारकर्ता और चेक/ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम) मैंडेट और/या एनएसीएच (नैशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस) मैंडेट/डायरेक्ट डेबिट मैंडेट के हस्ताक्षरकर्ताओं को धारा 138 के तहत कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करेगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 और/या भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 25 के अलावा अन्य कानूनों के तहत उपलब्ध किसी भी अन्य कार्रवाई कानूनी कार्रवाई/उपाय के अलावा। उधारकर्ता/हस्ताक्षरकर्ता यह दलील देने के हकदार नहीं होंगे कि उक्त चेक या ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम) मैंडेट या एनएसीएच (नैशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस) मैंडेट या डायरेक्ट डेबिट मैंडेट वैध रूप से जारी नहीं किया गया था।

36. उधारकर्ता एतद्द्वारा अपरिवर्तनीय और बिना शर्त के ऋणदाता को उधारकर्ता के खाते या उधारकर्ता के किसी अन्य खाते से राशि निकालने और उसमें से किसी भी राशि को विनियोजित करने के लिए अधिकृत करता है, बिना उधारकर्ता को किसी भी सूचना या सहमति के, बकाया राशि के ऋणदाता को उधारकर्ता द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान के लिए, जब और जैसे ही इसका कोई भी भाग देय हो जाता है, जिसमें कटौती राशि, ब्याज, शुल्क, अन्य धन आदि शामिल हैं।

37. गलती, धोके या चूक से भुगतान होना

(i) उधारकर्ता एतद्द्वारा सहमत है और पुष्टि करता है कि यदि ऋणदाता भूल, दुर्घटना या त्रुटि से उधारकर्ता को या उधारकर्ता के खाते में कोई धन हस्तांतरित या प्रेषित करता है, जो धन, ऋणदाता की एकमात्र राय में, उधारकर्ता को देय और/या भुगतान योग्य नहीं है, तो उधारकर्ता बाध्य होगा, कर्तव्यबद्ध होगा और उत्तरदायी होगा और बिना किसी देरी, आपत्ति या विरोध के, तुरंत और किसी भी स्थिति में ऐसे हस्तांतरण/प्रेषण के 1 (एक) व्यावसायिक दिन के बाद या ऋणदाता द्वारा पहली मांग पर (जो भी पहले हो), उक्त धन को ऋणदाता को ऋणदाता के लिए संतोषजनक तरीके से वापस करेगा और चुकाएगा।

(ii) उधारकर्ता द्वारा उधारदाता को उक्त 'गलत / अतिरिक्त धन' की वापसी और चुकौती तक, उधारकर्ता उसी को उधारदाता के लाभ के लिए ट्रस्ट में रखेगा, इस तरह के 'गलत / अतिरिक्त धन' को उधारकर्ता के अन्य सभी धन से अलग रखेगा और इसे किसी भी लगाव से मुक्त रखेगा।

(iii) उधारकर्ता इसके द्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि उपर्युक्त दायित्वों का कोई भी गैर-अनुपालन उधारकर्ता की ओर से विश्वास और प्रत्ययी कर्तव्यों का उल्लंघन होगा।

(iv) उधारकर्ता इसके द्वारा आगे सहमत है और पुष्टि करता है कि अगरउधारकर्ता उपर्युक्त समयसीमा के भीतर उक्त 'गलत / अतिरिक्त धन' वापस करने में विफल रहता है, तो उधारकर्ता इस एग्रीमेंटके अनुसार दी गई सुविधा पर लागू उसी दर पर उधारदाता को ऐसे धन पर ब्याज़ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(v) पूर्वगामी के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता इसके द्वारा सहमत है और पुष्टि करता है कि उधारदाता को कर्ज़ के भविष्य के संवितरण (अगरकोई हो) से अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक पर, इस तरह के धन की वसूली करने का अधिकार होगा।

(vi) उधारकर्ता आगे सहमत है कि ऐसा 'त्रुटिपूर्ण/अतिरिक्त धन' जो ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता या उधारकर्ता के खाते या किसी अन्य खाते में भूल, दुर्घटना या त्रुटि से हस्तांतरित या प्रेषित किया गया है, इस समझौते और अन्य सुविधा दस्तावेजों के अनुसार

उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय कुल बकाया राशि का हिस्सा माना जाएगा, यदि और जब तक कि उक्त 'त्रुटिपूर्ण/अतिरिक्त धन' को ऊपर बताए गए तरीके से ऋणदाता को वापस नहीं किया गया है और चुकाया नहीं गया है।

38. उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि इस एग्रीमेंटको भारत के कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और उधारकर्ता अपरिवर्तनीय रूप से मुंबई / दिल्ली की अदालतों को इस एग्रीमेंटकी व्याख्या और प्रवर्तन को नियंत्रित करने वाले सभी पहलुओं पर अनन्य क्षेत्राधिकार रखने के लिए सहमत है।

39. इस एग्रीमेंटकी किसी अन्य शर्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि उधारकर्ता द्वारा उधारदाता को भुगतान की गई कोई भी अग्रिम-भुगतान/अधिशेष राशि; उधारकर्ता से किसी विशिष्ट निर्देश के अभाव में नीचे दी गई मानदंड/ कार्यप्रणाली के आधार पर कर्ज़ खाते में विनियोजित की जाएगी:

(i) ईएमआई (इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट) से ज़्यादाराशि: अगरआंशिक भुगतान (आंशिक अग्रिम-भुगतान) / फौजदारी (पूर्ण अग्रिम-भुगतान) के लिए सेवा अनुरोध (एसआर) धन की प्राप्ति के 2 कार्य दिवसों के भीतर नहीं बनाया/प्राप्त किया जाता है, तो अतिरिक्त धनराशि को मूल बकाया की ओर समायोजित किया जाएगा। आंशिक भुगतान (आंशिक अग्रिम-भुगतान) / फौजदारी (पूर्ण अग्रिम-भुगतान) के रूप में कर्ज़कार्यकाल पर प्रभाव देकर। अगरकोई हो, तो अतिदेय को पहले समायोजित किया जाएगा और शेष राशि को आंशिक अग्रिम भुगतान के लिए माना जाएगा। फौजदारी (पूरा अग्रिम-भुगतान) अनुरोध के मामले में अतिरिक्त राशि कुल फौजदारी (पूरा अग्रिम-भुगतान) देय राशि के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

(ii) ईएमआई (इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट) के बराबर अतिरिक्त राशि: अगर सेवा अनुरोध (एसआर)/आंशिक भुगतान (आंशिक अग्रिम-भुगतान) के लिए निर्देश धन की प्राप्ति के उसी दिन नहीं बनाए/प्राप्त किए जाते हैं, तो अतिरिक्त राशि उधारकर्ता के कर्ज़ चुकौती परिचालन खाते में वापस कर दी जाएगी। अग्रिम मामलों में भुगतान की गई ईएमआई (इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट) को धनवापसी प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा।

(iii) ईएमआई (इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट) से कम (<) अतिरिक्त राशि: अतिरिक्त राशि को कर्ज़ खाते में 3 कार्य दिवसों तक के लिए अप्रयुक्त रखा जाएगा; 3 कार्य के बाद अतिरिक्त धनराशि उधारकर्ता के कर्ज़ चुकौती परिचालन खाते में वापस कर दी जाएगी।

40. सूचना का खुलासा:

(i) ऋणदाता और/या उसके एजेंटों (आंतरिक और बाहरी दोनों) को उधारकर्ता(ओं) के मामलों (क्रेडिट इतिहास सहित) के बारे में पूछताछ करने और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा, जैसे कि वह उचित समझे, जिसमें विशेष रूप से, क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) से पूछताछ करना और जानकारी प्राप्त करना शामिल है, जिनके ऋणदाता सदस्य हैं। ऋणदाता, उधारकर्ता(ओं) को बिना किसी सूचना के, ऋणदाता के साथ उधारकर्ता(ओं) के संबंध और किसी भी जानकारी और दस्तावेजों के बारे में किसी भी जानकारी को प्रकट या प्रकाशित करने का भी हकदार होगा, जो उनके पास समय-समय पर हो सकते हैं: ऋणदाता या अन्य ऋणदाताओं, वित्तीय संस्थानों की किसी भी शाखा को, आरबीआई और/या भारत सरकार या किसी राज्य के किसी भी अन्य वैधानिक प्राधिकरण या अधिकारी को, क्रेडिट सूचना कंपनियों/संदर्भ एजेंसियों/ब्यूरो या अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं को या तो ऋणदाता को निर्देशित उनकी क्रेडिट पूछताछ के जवाब में या उधारकर्ता(ओं) द्वारा यहां दिए गए किसी भी नियम और शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में या अन्यथा। ऐसी एजेंसियां/संस्थान ब्यूरो/ऋणदाता ऋणदाता द्वारा प्रकट की गई जानकारी और डेटा का उपयोग/संसाधित कर सकते हैं, जैसा कि वे उचित समझें और उनके द्वारा तैयार की गई संसाधित जानकारी और डेटा या उत्पादों को ऋणदाताओं/वित्तीय संस्थान और अन्य क्रेडिट गारंटर या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को विचार के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसा कि आरबीआई द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है। ऋणदाता को उधारकर्ता(ओं) द्वारा प्रस्तुत आवेदन, तस्वीरों, जानकारी और दस्तावेजों को वापस नहीं करने का अधिकार होगा।

(ii) उधारदाता , उधारकर्ता(ओं) को सूचित किए बिना या उनकी सहमति के बिना, उधारकर्ता(ओं) से संबंधित किसी भी जानकारी का खुलासा करने के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत होगा और उसके पास पूर्ण अधिकार, शक्ति और प्राधिकरण होगा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, दस्तावेजों से संबंधित विवरण, सुविधा, चूक, सुरक्षा, उधारकर्ता(ओं) के दायित्व शामिल हैं, क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी CIC) और/या किसी अन्य सरकारी/नियामक/वैधानिक या निजी

एजेंसी/इकाई, क्रेडिट ब्यूरो, आरबीआई (रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया), उधारदाता की अन्य शाखाओं/सहायक कंपनियों/संबद्ध कंपनियों/रेटिंग एजेंसियों, सेवा प्रदाताओं, अन्य उधारदाता ओं/वित्तीय संस्थानों, किसी भी तीसरे पक्ष, किसी भी असाइनमेंट/संभावित असाइनमेंट या ट्रांसफरी को, जिन्हें जानकारी की आवश्यकता हो सकती है और जानकारी को संसाधित कर सकते हैं। प्रकाशक/उधारदाता /आरबीआई (रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया) द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले तरीके से और ऐसे माध्यम से प्रकाशित कर सकते हैं, जिसमें समय-समय पर जानबूझकर डिफॉल्टर की सूची के हिस्से के रूप में नाम प्रकाशित करना शामिल है, साथ ही केवाईसी सूचना सत्यापन, क्रेडिट जोखिम विश्लेषण, या अन्य संबंधित उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया जाता है। इस संबंध में, उधारकर्ता(ओं) गोपनीयता और अनुबंध की गोपनीयता के विशेषाधिकार को माफ कर देते हैं। उधारदाता के पास उधारकर्ता(ओं) को सूचित किए बिना या उनकी सहमति के बिना, किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने, पूछताछ करने, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिसमें अन्य उधारदाता /वित्त इकाइयाँ/क्रेडिट ब्यूरो, उधारकर्ता(ओं) के नियोक्ता/परिवार के सदस्य, उधारकर्ता(ओं) से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति शामिल है, ट्रैक रिकॉर्ड, क्रेडिट जोखिम का आकलन करने या उधारकर्ता(ओं) के साथ संपर्क स्थापित करने या उधारकर्ता(ओं) से बकाया वसूलने के उद्देश्य से कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए।

(iii) उधारकर्ता सहमत है कि ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को दी गई सुविधा की पूर्व शर्त के रूप में, यदि उधारकर्ता अंतिम तारीख (तारीखों) पर बकाया राशि के भुगतान/पुनर्भुगतान में चूक करता है, तो ऋणदाता और/या आरबीआई को उधारकर्ता चूककर्ता/चूककर्ताओं के नाम/नामों को इस तरह से और ऐसे माध्यम से प्रकट या प्रकाशित करने का पूर्ण अधिकार होगा जैसा कि ऋणदाता या आरबीआई अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, जिसमें उधारकर्ता की तस्वीरें भी शामिल हैं।

(iv) उधारकर्ता इसके द्वारा उधारदाता को अपना इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी प्रमाणीकरण करने और आधार डेटाबेस से और/या लागू कानून द्वारा अनुमत किसी अन्य स्रोत से इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी डेटा प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है।

(v) उधारकर्ता स्पष्ट रूप से ऋणदाता, उसके विभिन्न सेवा प्रदाताओं या एजेंटों, जिसमें विपणन, संग्रह और वसूली एजेंट शामिल हैं, को उधारकर्ता से टेलीफोन पर, ई-मेल, टेलीफोन, संदेश, एसएमएस, व्हाट्सएप या अन्य अनुप्रयोगों के माध्यम से या अन्यथा संपर्क करने के लिए अधिकृत/सहमति देता है, भले ही उधारकर्ता के नाम डू नॉट कॉल या डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर में दिखाई दें, ताकि उधारकर्ता को विपणन योजनाओं, विभिन्न वित्तीय और/या निवेश उत्पादों और/या अन्य सेवाओं की पेशकशों, सुविधा दस्तावेजों के तहत बकाया राशि या उधारकर्ता द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली किसी भी सुविधा से संबंधित किसी भी पहलू के बारे में सूचित किया जा सके। उधारकर्ता यह भी स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि ऋणदाता और उसके सहयोगियों, सहयोगियों और/या समूह कंपनियों के टेली-कॉलरों, एजेंटों और/या सेवा प्रदाता से आने वाले ऐसे ई-मेल, टेलीफोन कॉल, संदेश, एसएमएस, व्हाट्सएप संदेश आदि से उसे और/या उसके परिवार के सदस्यों को कोई असुविधा नहीं होगी। उधारकर्ता स्पष्ट रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से सहमति देता है कि सेवा प्रदाताओं के खिलाफ किसी भी दावे के लिए, ऋणदाता उत्तरदायी नहीं होगा और इस खाते पर उधारकर्ता का दावा सेवा प्रदाताओं और/या टेली-कॉलरों के खिलाफ होगा। उधारकर्ता संचार या सूचना या दस्तावेजों को साझा करने के लिए ई-मेल, संदेश, एसएमएस, व्हाट्सएप और/या अन्य अनुप्रयोगों के उपयोग के लिए सहमत है, ऐसे अनुप्रयोगों के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत है और उनके माध्यम से सूचना को साझा करने या ऐसे अनुप्रयोगों से जुड़े जोखिमों के लिए सहमत है।

(vi) उधारकर्ता, ऋणदाता या उसके किसी भी सेवा प्रदाता को केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री या इस संबंध में किसी अन्य प्रासंगिक इकाई या व्यक्ति से डेटा, जिसमें सीकेवाईसी रिकॉर्ड शामिल हैं, को अपलोड/जमा करने के साथ-साथ किसी भी तरीके से डाउनलोड या प्राप्त करने और केवाईसी और पुनः केवाईसी उद्देश्यों के साथ-साथ सुविधा के संबंध में किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए उक्त डेटा का उपयोग करने के लिए सहमति देता है।

41. सुविधा रद्द करना

(1) उधारकर्ता(ओं) बिना शर्त सहमत हैं, वचन देते हैं और स्वीकार करते हैं कि उधारदाता को निम्नलिखित में से किसी भी घटना के घटित होने पर, उधारकर्ता(ओं) को कोई पूर्व सूचना दिए बिना, सुविधा एग्रीमेंटके तहत दी गई सुविधा को पूरी तरह या आंशिक रूप से रद्द/समीक्षा करने का बिना शर्त अधिकार होगा:

i. अगरउधारकर्ता द्वारा उपलब्धता अवधि के भीतर बकाया राशि का उपयोग नहीं किया जाता है; या
ii. मंज़ूरी की शर्तों और शर्तों का अनुपालन न करने या किसी भी डिफ़ॉल्ट घटना के घटित होने पर; या
iii. अगरसुविधा का उपयोग इसमे विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है; या
iv. अगरकिसी भी प्रकार से उधारकर्ता(ओं) की साख में गिरावट आती है; या

v. अगरकिसी लागू क्षेत्राधिकार में उधारदाता के लिए सुविधा एग्रीमेंटके अनुसार अपने किसी भी दायित्व को निभाना या सुविधा को निधि देना या बनाए रखना या जारी रखना गैरकानूनी हो जाता है।

(2) इस एग्रीमेंटया अन्यत्र में निहित किसी भी बात के विपरीत, उधारकर्ता (ओं) बिना शर्त सहमत हैं, उपक्रम करते हैं और स्वीकार करते हैं कि उधारदाता को किसी भी समय, सुविधा या उसके किसी भी हिस्से को खत्म करने, रद्द करने या वापस लेने का बिना शर्त अधिकार होगा (भले ही कोई संवितरण न किया गया हो) बिना किसी दायित्व के और बिना किसी कारण के कोई दायित्व देने के लिए, जहां सभी मूलधन, उस पर ब्याज़और सभी अन्य लागत, शुल्क, खर्च और अन्य बकाया राशि (अगरकोई हो) उधारदाता द्वारा उधारकर्ता (ओं) द्वारा देय और देय हो जाएगी, ऐसा उधारदाता की मांग पर तुरंत करना होगा।

(3) उधारदाता सुविधा को रद्द करने के 7 (सात) दिनों के भीतर उधारकर्ता(ओं) को इस तरह के रद्द करने की सूचना देते हुए एक नोटिस दे सकता है।

42. उस स्थिति में जब सुविधा एक सावधि ऋण के माध्यम से हो, उधारकर्ता(ओं), ऋणदाता की स्वीकृति के बिना, सुविधा की अवधि समाप्त होने से पहले, सुविधा की बकाया राशि या उसके किसी भी हिस्से का पूर्व भुगतान करने के हकदार नहीं होंगे, जब तक कि शुल्क अनुसूची में उल्लिखित पूर्व भुगतान शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, और जब तक लागू कानूनों/विनियमों के तहत इसकी अनुमति न हो। ऋणदाता अपने विवेक से उधारकर्ता(ओं) द्वारा निर्धारित किसी भी शर्तों और नियमों को पूरा करने के अधीन स्वीकृति दे सकता है।"

43. सुविधा के तहत बकाया शेष पर लगने वाला सभी ब्याज दिन-प्रतिदिन लगेगा और इसकी गणना तीन सौ पैंसठ (365) दिनों के एक वर्ष में बीते हुए दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर की जाएगी या किसी अन्य वर्ष के लिए प्रथागत दिनों के आधार पर की जाएगी।

44. उधारदाता को यह अधिकार होगा कि वह अपनी पसंद के योग्य इंजीनियरों/लेखाकारों/तकनीकी विशेषज्ञों/प्रबंधन सलाहकारों को नियुक्त करे ताकि वे उधारकर्ता(ओं) के खातों, स्थिति और कार्यों की जांच कर सकें या पूर्ण समवर्ती/वैधानिक लेखापरीक्षा कर सकें। इस तरह के निरीक्षण/रिपोर्टों की लागत उधारकर्ता(ओं) द्वारा अदा की जाएगी।

45. उधारकर्ता एतद्द्वारा पुष्टि करता है कि उधारकर्ता का कोई भी निदेशक/साझेदार/नामित साझेदार उधारदाता के किसी भी निदेशक/निदेशकों से संबंधित नहीं है या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के उप-खंड 77 के तहत परिभाषित ऐसे निदेशकों के रिश्तेदारों से संबंधित नहीं है। इसके अलावा, उधारदाता के निदेशक या उसके/उसके रिश्तेदार या वरिष्ठ अधिकारी या किसी अन्य उधारदाता के निदेशक, उधारकर्ता(ओं) में कोई रुचि नहीं रखते हैं। उधारकर्ता आगे पुष्टि करता है कि उधारकर्ता का कोई भी निदेशक/साझेदार उधारदाता के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी से संबंधित नहीं है। इस खंड के प्रयोजन के लिए, 'वरिष्ठ अधिकारी' शब्द का वही मतलबहोगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत 'वरिष्ठ प्रबंधन' शब्द को सौंपा गया है। अगरउधारकर्ता(ओं) का कोई भागीदार उधारदाता या किसी अन्य उधारदाता के निदेशक या उसके रिश्तेदारों या उधारदाता के वरिष्ठ अधिकारियों के रिश्तेदारों से संबंधित है, तो घोषणा में संबंध का विवरण देना चाहिए।

46. उधारकर्ता(ओं) स्वीकार करता है और सहमत है कि उधारदाता को लेखा परीक्षक या किसी स्वतंत्र लेखा परीक्षक को एक अलग जनादेश देने का अधिकार है, जैसा कि उधारदाता उधारकर्ता(ओं) द्वारा धन के डायवर्जन/सिफनिंग के संबंध में एक विशिष्ट प्रमाण पत्र प्राप्त करने के दृष्टिकोण से उचित समझ सकता है। उधारकर्ता(ओं) सहमत हैं और ऐसे लेखा परीक्षक के साथ सहयोग करने और आवश्यक जानकारी प्रदान करने का कार्य करता है जैसा कि ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा समय-समय पर ज़रूरी हो सकता है।

47. ईमेल क्षतिपूर्ति

(1) उधारकर्ता (ओं) इसके द्वारा उधारदाता से अनुरोध करता है और उसे अधिकृत करता है, समय-समय पर (उधारदाता की समझ अनुसार), किसी भी निर्देश, निर्देश और/या अन्य संचार के अनुसार कार्य करने या कार्य करने से चूकने पर भरोसा करता है जो समय-समय पर हो सकता है या इस सुविधा दस्तावेजों के संबंध में या उसके संबंध में उधारकर्ता (ओं) या उसके संबंधित अधिकृत अधिकारियों द्वारा ई-मेल द्वारा दिया जाना है।

(2) उधारकर्ता(ओं) इसके द्वारा स्वीकार करता है कि ई-मेल द्वारा जानकारी भेजना जानकारी भेजने का एक सुरक्षित साधन नहीं है। उधारकर्ता(ओं) आगे पुष्टि करता है कि उधारकर्ता(ओं) ई-मेल निर्देश भेजने में शामिल जोखिमों से अवगत है, जिसमें जोखिम भी शामिल है कि ई-मेल निर्देश हो सकते हैं:

i. धोखे से या गलती से लिखा, बदला या भेजा गया हो; और

ii. इच्छित प्राप्तकर्ता द्वारा पूरा: या आंशिक रूप से प्राप्त नहीं किया जाएगा;

और उधारदाता को ईमेल निर्देशों को स्वीकार करने और उन पर कार्रवाई करने की मांग केवल उधारकर्ता(ओं) की सुविधा और लाभ के लिए है।

(3) उधारकर्ता घोषित करता है और पुष्टि करता है कि उधारकर्ता ने उधारकर्ता की सुविधा के लिए और पूरी तरह से अवगत होने के बाद, और विधिवत विचार करने के बाद, शामिल जोखिमों (जो जोखिम पूरी तरह से उधारकर्ता द्वारा अदा किए जाएंगे) की मांग की है और उधारदाता को ऊपर उल्लिखित ई-मेल द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों पर भरोसा करने और कार्य करने के लिए अधिकृत किया है। उधारकर्ता आगे घोषित करता है और पुष्टि करता है कि उधारकर्ता को पता है कि उधारदाता केवल ई-मेल द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर कार्य करने के लिए सहमत हो रहा है, और उधारकर्ता इस खंड को निष्पादित करने और सहमत होने, पुष्टि करने, घोषित करने और उधारदाता को क्षतिपूर्ति करने के नतीजे, इस खंड द्वारा किए गए कार्य पर भरोसा कर रहा है और इस तरह के उधारदाता ने इसकी अनुपस्थिति में ऐसा नहीं किया होगा। इस खंड के प्रावधान सुविधा दस्तावेजों के संबंध में किसी भी और सभी मामलों, संचारों, निर्देशों और निर्देशों पर लागू होंगे।

(4) उधारदाता यह अपेक्षा कर सकता है (परन्तु बाध्य नहीं होगा) कि कोई भी अनुदेश ऐसी पहचान कोड या परीक्षण के साथ हो या उसके साथ हो जैसा कि उधारदाता समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है (उधारकर्ता(ओं) के परामर्श से) और उधारकर्ता(ओं) को ऐसे कोड या परीक्षण के किसी भी अनुचित उपयोग के लिए जिम्मेदार होगा।

(5) इसमें या अन्यत्र निहित किसी भी बात के बावजूद, उधारदाता किसी ई-मेल में निहित निर्देशों या निर्देशों के पूरे या किसी भी हिस्से के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा और अपने विवेकाधिकार और अनन्य निर्धारण में, किसी भी निर्देश के अनुसार कार्य करने से इनकार या चूक कर सकता है, या किसी भी निर्देश के अनुसार कार्य करने को स्थगित कर सकता है, और वही उधारकर्ता(ओं) के जोखिम पर होगा और उधारदाता इस तरह के किसी भी इनकार या चूक या कार्रवाई के स्थगन के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(6) इस लिखित के नियमों के अनुसार और/या इस लिखित में दिए गए किसी भी निर्देश के अनुसार उधारदाता के कार्य करने और/या कार्य करने के लिए सहमत होने के विचार में, उधारकर्ता(ओं) इसके द्वारा उधारदाता को क्षतिपूर्ति करने और उधारदाता को हर समय क्षतिपूर्ति से मुक्त रखने के लिए सहमत हैं। और ई-मेल द्वारा प्राप्त किसी भी निर्देश के अनुसार या उसके अनुसार कार्य करने या छोड़ने के लिए उधारदाता के संबंध में या किसी भी तरह से परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले सभी कार्यों, मुकदमों, कार्यवाही, लागतों, दावों, मांगों, शुल्कों, खर्चों, नुकसानों और देनदारियों के खिलाफ।

(7) उधारदाता द्वारा प्राप्ति पर, प्रत्येक अनुदेश गठित करेगा और (चाहे वह वास्तव में उधारकर्ता (ओं) और/या उसके संबंधित अधिकृत अधिकारी द्वारा शुरू या प्रेषित किया गया हो या नहीं), (अगरउधारदाता उसी पर कार्य करना चुनता है) तो उसे उधारकर्ता (ओं) के उधारदाता को उसमें निहित निर्देशों और अनुदेशों के अनुसार कार्य करने या कार्य करने से चूकने के लिए निर्णायक रूप से गठित करने के लिए समझा जाएगा, भले ही ऐसा अनुदेश अधिकृत न किया गया हो या गलती से या धोखाधड़ी से प्रेषित किया गया हो या अन्यथा उधारकर्ता (ओं) या उसके संबंधित अधिकृत अधिकारियों द्वारा या उसकी ओर से अधिकृत नहीं किया गया हो या संचार के दौरान किसी भी तरह से बदल दिया गया हो, गलत समझा गया हो या विकृत किया गया हो।

(8) उधारदाता किसी भी समय ऐसे किसी भी उपकरण/प्रौद्योगिकी के निरंतर संचालन या उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगा।

48. ग्रहणाधिकार और समायोजन:

क. ऋणदाता, उसके सहयोगी और ऋणदाता से संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों का उधारकर्ता के क्रेडिट की सभी अन्य, वर्तमान और साथ ही भविष्य की धनराशियों, प्रतिभूतियों, किसी भी प्रकार और प्रकृति की जमा राशियों, अन्य सभी संपत्तियों और संपत्तियों (चाहे अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से धारित हों) पर एक सर्वोपरि ग्रहणाधिकार और मुजरा का अधिकार होगा, जो जमा की जाती हैं: ऋणदाता, उसके सहयोगियों और/या ऋणदाता से संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों के नियंत्रण में उधारकर्ता द्वारा किसी भी क्षमता में दर्ज/दर्ज किए जाने वाले किसी भी अनुबंध के अनुसार, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसी जमा राशि ऋण के समान मुद्रा में व्यक्त नहीं की जा सकती है।

ख. ऋणदाता, उसके सहयोगी और ऋणदाता से संबंधित संस्थाएं/व्यक्ति उधारकर्ता को बिना किसी और सूचना के बकाया राशि के निपटान के लिए ऐसी सभी राशियों/संपत्तियों/संपत्तियों के विरुद्ध ग्रहणाधिकार और समायोजन
के ऐसे अधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार और अधिकृत होंगे। इस संबंध में, ऋणदाता द्वारा उसके सहयोगियों और/या ऋणदाता से संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों को दिया गया कोई भी निर्वहन उधारकर्ता पर वैध और बाध्यकारी होगा। इसके अलावा, उधारकर्ता एतद्द्वारा ऋणदाता को ऋणदाता के सहयोगियों और/या ऋणदाता से संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों को, ऋणदाता के ऐसे सहयोगियों और/या ऋणदाता से संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों को उधारकर्ता द्वारा देय किसी भी राशि के लिए, ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता से प्राप्त/वसूली गई किसी भी अतिरिक्त धनराशि से भुगतान करने के लिए अधिकृत करता है।

49. संचार

(1) उधारदाता द्वारा दिए गए या किए गए कोई भी नोटिस अनुमोदन, निर्देश, मांग और अन्य संचार को विधिवत रूप से दिया और परोसा गया माना जाएगा अगरसामान्य डाक, कूरियर, पंजीकृत डाक, फैक्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल, व्यक्तिगत डिलीवरी, एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)स, व्हाट्सएप जैसी तत्काल संदेश सेवाओं के माध्यम से या उधारकर्ता (ओं) के पते पर प्री-पेड पंजीकृत मेल द्वारा भेजा जाता है, जिसे उधारदाता की पावती विधिवत प्राप्त होती है जैसा कि इसके बाद उल्लेख किया गया है) और इस तरह के नोटिस और सेवा को सामान्य डाक, कूरियर, पंजीकृत डाक के मामले में पोस्ट करने की तारीख के बाद तीसरे कार्य दिवस पर प्रभावी माना जाएगा, अगरव्यक्तिगत डिलीवरी द्वारा दिया जाता है, तो डिलीवरी के समय, फैक्स द्वारा दिए जाने पर ट्रांसमिशन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, इलेक्ट्रॉनिक मेल या एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)स भेजने पर इलेक्ट्रॉनिक मेल या एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)स या व्हाट्सएप जैसी तत्काल संदेश सेवाओं द्वारा दिया जाता है। उधारकर्ता (ओं) आवेदन पत्र में दिए गए किसी भी पत्राचार पते, पंजीकृत ईमेल आईडी, फोन और मोबाइल नंबर (ओं) में किसी भी बदलाव के बारे में हर समय लिखित रूप में उधारदाता को सूचित करने और किसी भी ऐसे परिवर्तन के लिए उधारदाता को दिए गए सूचना पर लिखित सूचना प्राप्त करने का वचन देता है।

(2) इस समझौते और कानून के तहत ऋणदाता या ऋणदाता द्वारा नियुक्त किसी भी तीसरे पक्ष के सभी अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, चूक की घटना होने पर, ऋणदाता, उसके अधिकृत प्रतिनिधि, एजेंट और ऋणदाता द्वारा नियुक्त तीसरे पक्ष, उधारकर्ता(ओं) द्वारा प्रदान किए गए संपर्क विवरणों का उपयोग उधारकर्ता(ओं) (जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं)/प्रतिनिधि(ओं), (यदि कोई हो) और तीसरे पक्ष शामिल हैं, जिनमें उधारकर्ता(ओं) के परिवार के सदस्य शामिल हैं, जिनकी जानकारी उधारकर्ता(ओं) ने ऋणदाता को प्रदान की है) के साथ संपर्क करने के लिए अधिकृत हैं। साथ ही, उधारकर्ता(ओं) को समय-समय पर डाक, फैक्स, टेलीफोन, पंजीकृत ईमेल, एसएमएस टेक्स्ट मैसेजिंग, व्हाट्सएप जैसी त्वरित संदेश सेवा के माध्यम से मोबाइल फोन के माध्यम से किसी भी बकाया राशि के निपटान के लिए रिमाइंडर भेजे जा सकते हैं।

(3) इस अनुबंध के तहत किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाने वाली कोई भी सूचना या अनुरोध केवल लिखित रूप में होगा और सुविधा एग्रीमेंटकी शर्तों की अनुसूची में उल्लिखित दूसरे पक्ष के पते पर भेजा जाएगा (या उधारकर्ता के मामले में, उधारकर्ता के पते पर जिसे उधारदाता अंतिम रूप से जानता है): (i) अगर उधारदाता द्वारा दिया जाता है, तो व्यक्तिगत डिलीवरी, फैक्स या डाक द्वारा या पंजीकृत ईमेल, एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)स, व्हाट्सएप जैसी तत्काल संदेश सेवाओं के माध्यम से दिया जा सकता है और इसे व्यक्तिगत डिलीवरी द्वारा दिए जाने पर उधारकर्ता को दिया या प्राप्त किया गया माना जाएगा, जब व्यक्तिगत रूप से वितरित किया जाता है, और अगरडाकघर में डाकघर को प्रेषित करने के लिए डाकघर में डिलीवर किए जाने के 3 दिनों की समाप्ति पर पोस्ट किया जाता है और अगरपंजीकृत ईमेल या एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट)स या व्हाट्सएप जैसी तत्काल संदेश सेवाओं द्वारा जैसे ही यह उधारदाता के आउटबॉक्स/डिवाइस को छोड़ देता है; और (ii) अगरउधारकर्ता द्वारा उधारदाता को दिया जाता है जब यह वास्तव में उधारदाता द्वारा प्राप्त किया जाता है।

(4) उधारदाता के किसी अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र कि नोटिस चस्पा कर दी गई थी या तामील कर दी गई थी, जैसा भी मामला हो, उधारकर्ता(ओं) पर अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी होगा।

(5) जब तक उधारदाता द्वारा उधारकर्ता(ओं) को लिखित रूप में अन्यथा सलाह न दी जाए, उधारकर्ता(ओं) द्वारा उधारदाता को दी जाने वाली कोई भी सूचना प्रभावी होगी और उधारदाता पर विधिवत और पर्याप्त रूप से तामील की गई मानी जाएगी अगरउसे अनुसूची । में बताए गए पते पर दिया गया हो।

(6) उधारकर्ता द्वारा यह सहमति दी जाती है कि सभी संचारों की एक प्रति निम्नलिखित को चिह्नित की जाएगी:

एएफएल (एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड)
एक्सिस हाउस, ग्राउंड फ्लोर, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, वर्ली, मुंबई - 400025
कृपया ध्यान दें: शिकायत निवारण अधिकारी - सुश्री मंगल सारंग,
फ़ोन नंबर: +91-8655749343

ई-मेल: mangal.sarang@axisfinance.in

50. इलेक्ट्रॉनिक रूप में संचार

(1) उधारकर्ता(ओं) स्वीकार करता है और सहमत है कि इस एग्रीमेंटके तहत आवश्यक या विचाराधीन कोई भी अनुरोध, नोटिस, पत्राचार या कोई अन्य लेखन ("लेखन") निष्पादित किया जा सकता है और इस एग्रीमेंटके संबंध में कोई भी वितरण, प्रस्ताव, स्वीकृति या कोई अन्य कार्रवाई ("कार्रवाई") इलेक्ट्रॉनिक रूप में क्लिक रैप या लेनदेन को निष्पादित या प्रमाणित करने के किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म") के माध्यम से की जा सकती है, जैसा कि उधारदाता द्वारा सक्षम किया जा सकता है। संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में संचार में उधारदाता द्वारा प्रदान किए गए किसी भी तकनीकी प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लिकेशन या वेबसाइट पर किए गए किसी भी लेखन या कार्रवाई शामिल हैं।

(2) उधारकर्ता (ओं) इसके द्वारा आगे पुष्टि करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उधारकर्ता (ओं) द्वारा की गई या की गई कोई भी लिखित या कार्रवाई उनके खिलाफ वैध, बाध्यकारी और कानूनी रूप से लागू करने योग्य होगी और यह किसी भी आपत्ति या दावे को नहीं उठाएगी या किसी भी देयता को अस्वीकार नहीं करेगी। या किसी लेखन या कार्रवाई की वैधता या प्रवर्तनीयता के संबंध में केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने की वजह से होगा।

51. असंगति

पक्षकार सहमत हैं कि सुविधा एग्रीमेंटकी शर्तों और उधारदाता द्वारा सुविधा के लिए जारी किए गए मंज़ूरी पत्र के बीच किसी भी असंगति या विरोधाभास के मामले में, सुविधा एग्रीमेंट प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त, पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि एक ओर उधारदाता के मंज़ूरी पत्र या दूसरी ओर सुविधा एग्रीमेंटकी शर्तों के बीच किसी भी विरोधाभास की स्थिति में, उधारदाता के लिए ज़्यादा लाभकारी शर्तें प्रभावी होंगी।

52. छूट

इस एग्रीमेंटकी किसी भी शर्त या शर्त के अनुपालन को लागू करने में विफलता इस एग्रीमेंटकी ऐसी शर्त या शर्त या भविष्य में ऐसी शर्त या शर्त को लागू करने के अधिकार का त्याग नहीं करेगी। किसी भी पार्टी द्वारा, इस एग्रीमेंटके किसी भी प्रावधान का कोई भी त्याग, किसी भी घटना में, प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वही लिखित में न हो और ऐसा त्याग केवल वर्णित विशिष्ट उदाहरण में और उस उद्देश्य के लिए प्रभावी होगा जिसके लिए छूट दी गई है।

53. गंभीरता

इस करार का कोई भी प्रावधान, जो किसी भी क्षेत्राधिकार में निषिद्ध या अप्रवर्तनीय है, उस क्षेत्राधिकार के संबंध में, निषेध या अप्रवर्तनीयता की सीमा तक अप्रभावी होगा, लेकिन ऐसी सुविधा दस्तावेज़ के शेष प्रावधानों को अमान्य नहीं करेगा या किसी अन्य क्षेत्राधिकार में ऐसे प्रावधान को प्रभावित नहीं करेगा।

54. सीजीएफएमयू योजना

(1) उधारकर्ता स्वीकार करता है कि, ऋणदाता के पास इस सुविधा के लिए सीजीएफएमयू योजना के तहत कवरेज लेने का विकल्प है, जो सीजीएफएमयू योजना द्वारा परिभाषित नियमों और शर्तों और राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा उल्लिखित परिचालन प्रक्रियाओं के अधीन डिफ़ॉल्ट के खिलाफ गारंटी प्रदान करता है।

(2) कर्जदार स्वीकार करता है कि सीजीएफएमयू योजना के खंड 5 के तहत निम्नलिखित सूक्ष्म ऋण (जैसा कि सीजीएफएमयू योजना के तहत परिभाषित किया गया है) सीजीएफएमयू योजना के तहत गारंटी के लिए पात्र नहीं हैं:

i. कोई भी सूक्ष्म ऋण जिसके जोखिम किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित/प्रशासित किसी योजना के तहत अतिरिक्त रूप से कवर किए जाते हैं, उस सीमा तक वे कवर किए जाते हैं।
ii. कोई भी सूक्ष्म ऋण जिसके जोखिम सरकार या किसी सामान्य बीमाकर्ता या बीमा, गारंटी या क्षतिपूर्ति का व्यवसाय करने वाले किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ द्वारा अतिरिक्त रूप से कवर किए जाते हैं, उस सीमा तक वे कवर किए जाते हैं।
iii. कोई भी सूक्ष्म ऋण, जो किसी कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, या किसी भी तरह से असंगत है, या केंद्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश या निर्देश के साथ, जो उस समय के लिए लागू हो सकता है।
iv. कोई भी ऋण जिसे ऋण देने वाली संस्था द्वारा स्वीकृत किया गया है, जो सक्षम नियामक प्राधिकरण द्वारा ऐसे ऋणों के लिए निर्धारित ब्याज दरों के अनुरूप नहीं है या फंड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी अन्य दर गारंटी कवर के लिए योग्य नहीं होगी। हालांकि, फंड समय-समय पर प्रचलित ब्याज दर परिदृश्य, ऋण देने वाली संस्थाओं की बैंक दरों और आरबीआई की क्रेडिट नीतियों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर ऐसी सीमा को संशोधित कर सकता है।

55. सह-ऋण व्यवस्था

(1) उधारकर्ता एतद्द्वारा स्वीकार करता है कि ऋणदाता 05 नवंबर, 2020 के अधिसूचना दिनांकित 'बैंकों और एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को सह-ऋण' ('सह-ऋण दिशानिर्देश') शीर्षक के तहत आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक) द्वारा अधिसूचित सह-ऋण दिशानिर्देशों के तहत पात्र बैंकों/एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) के साथ सह-ऋण व्यवस्था में प्रवेश कर सकता है। इस व्यवस्था के अनुसार, आवश्यक उचित परिश्रम करने के बाद, बैंक सुविधा दस्तावेजों के तहत अधिकारों, हितों या दायित्वों के एक हिस्से का अधिग्रहण कर सकता है, जो ऋणदाता द्वारा विस्तारित सुविधा का अस्सी प्रतिशत (80%) तक हो सकता है। इस तरह के असाइनमेंट के बावजूद, ऋणदाता सुविधा की पूरी अवधि के लिए उधारकर्ता के लिए संपर्क/इंटरफेस के एकल बिंदु के रूप में अपनी भूमिका बनाए रखेगा। परिणामस्वरूप, उधारकर्ता सुविधा से संबंधित किसी भी मुद्दे, पूछताछ, सर्विसिंग आवश्यकताओं या शिकायतों पर सीधे बैंक के साथ बातचीत करने या जुड़ने के लिए बाध्य नहीं है।

(2) इसके अलावा, बैंक के पक्ष में सुविधा या उसके किसी भी हिस्से के असाइनमेंट पर, ऋणदाता, बैंक के साथ अपने सह-ऋण व्यवस्था की शर्तों के अनुसार, उधारकर्ता को सुविधा से संबंधित सभी भुगतान या पुनर्भुगतान एक निर्दिष्ट एस्क्रो खाते में करने का निर्देश दे सकता है। इस तरह के अनुरोध को उधारकर्ता को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा, और उधारकर्ता ऐसे भुगतान जमा करने के लिए ऋणदाता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत होता है। एस्क्रो खाते को ऋणदाता और बैंक के बीच सहमत सह-ऋण शर्तों के अनुरूप प्रबंधित किया जाएगा।

(3) इस खंड से सहमत होकर, उधारकर्ता सुविधा के बैंक को संभावित असाइनमेंट को स्वीकार करता है और भुगतान निर्देशों में किसी भी बदलाव का पालन करने के लिए सहमत होता है जैसा कि ऋणदाता द्वारा सूचित किया जा सकता है।

56. शासी कानून और मध्यस्थता

क. यह समझौता भारत के कानूनों द्वारा शासित और उनके अनुसार समझा जाएगा। इसके द्वारा पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि इस समझौते से उत्पन्न होने वाले और/या इससे संबंधित सभी विवाद, जिसमें कोई भी संबंधित दस्तावेज़ शामिल हैं, दिल्ली/मुंबई ("स्थान") में स्थित न्यायालयों/अधिकरणों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे। बशर्ते कि कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, ऋणदाता को किसी भी विवाद से संबंधित कार्यवाही किसी भी अन्य स्थान के न्यायालयों/अधिकरणों में करने का अधिकार होगा, जिसका अन्यथा क्षेत्राधिकार है।

ख. पक्ष सहमत हैं कि इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या इसके संबंध में कोई भी विवाद मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार, जैसा कि संशोधित किया जा सकता है, या इसके पुनः अधिनियमन, द्वारा एक एकमात्र मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। यदि पक्ष मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहते हैं, तो मध्यस्थ को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, कोई भी पक्ष एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए किसी भी मध्यस्थ संस्थान से संपर्क कर सकता है, जैसा कि उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, और यदि संपर्क किया गया संस्थान उपलब्ध नहीं है या अनुरोध की तारीख से 3 (तीन) कार्य दिवसों की अवधि के भीतर मध्यस्थ की नियुक्ति के अनुरोध का जवाब नहीं देता है, तो अगले संस्थान से संपर्क किया जा सकता है। पक्ष आगे सहमत हैं कि उक्त मध्यस्थता कार्यवाही ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) और/या फास्ट ट्रैक मध्यस्थता के माध्यम से भी की जा सकती है।

ग. मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार अंतिम और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा. इस तरह की मध्यस्थता की लागत हारने वाली पार्टी द्वारा या अन्यथा मध्यस्थता पुरस्कार में निर्धारित के रूप में वहन की जाएगी. मध्यस्थता का स्थान स्थान या ऐसा अन्य स्थान होगा जैसा कि ऋणदाता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यदि किसी पक्ष को किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई द्वारा मध्यस्थ पुरस्कार लागू करने की आवश्यकता होती है, जिस पार्टी के खिलाफ ऐसी कानूनी कार्रवाई की जाती है, वह सभी उचित लागत और व्यय और वकील की फीस का भुगतान करेगी, पुरस्कार को लागू करने की मांग करने वाली पार्टी द्वारा अतिरिक्त मुकदमेबाजी या मध्यस्थता की किसी भी लागत सहित.

घ. मध्यस्थता कार्यवाही मुख्य रूप से दस्तावेजों पर आधारित होगी जो शारीरिक रूप से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी और सभी दलीलें और दस्तावेज शारीरिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदान-प्रदान किए जाएंगे। ऐसे मामलों में, सुनवाई शारीरिक रूप से या वस्तुतः मध्यस्थ के एकमात्र विवेक पर आयोजित की जाएगी।

ङ. पार्टियां मध्यस्थता कार्यवाही को वस्तुतः या शारीरिक रूप से या हाइब्रिड करने के लिए सहमत हैं जैसा कि मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किया जा सकता है. ईमेल पते और मोबाइल नंबर जैसा कि उपलब्ध है, प्रदान किया गया है या अन्यथा अनुबंध में संदर्भित किया गया है, इस उद्देश्य के लिए विचार किया जाएगा। प्रत्येक पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान अपने ईमेल पते और/या मोबाइल नंबर में किसी भी बदलाव की स्थिति में ऊपर उल्लिखित संस्था को सूचित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

च. यहां निहित किसी भी बात को ऋणदाता के अधिकारों और उपायों को बुझाने, सीमित करने या हटाने के रूप में नहीं माना जाएगा, यदि वर्तमान में या भविष्य में उधारकर्ता के खिलाफ उपलब्ध हैं, यदि कोई हो और/या कोई अन्य व्यक्ति, या उनकी संबंधित संपत्तियां, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और/या कोई दिवाला कानून, और ऋणदाता ऐसे अधिकारों/उपायों का प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से हकदार होगा, भले ही किसी अन्य मध्यस्थता या अन्य कार्यवाही की शुरुआत, लंबितता या निरंतरता हो।

बशर्ते कि ऋणदाता अपने विवेक पर उधारकर्ता के खिलाफ अलग या सामान्य/संयुक्त कार्यवाही/कार्रवाई शुरू/दाखिल/आगे बढ़ाने का अधिकार रखेगा और यह स्पष्ट किया जाता है कि ऋणदाता, अपने विवेक पर, इस समझौते और/या सुविधा दस्तावेजों के अनुसार शुरू की गई या शुरू करने का प्रस्ताव की गई किसी भी मध्यस्थता या अन्य कानूनी कार्यवाही को एक या अधिक अन्य संबंधित दस्तावेजों के तहत शुरू की गई या शुरू करने का प्रस्ताव की गई किसी भी मध्यस्थता या अन्य कानूनी कार्यवाही के साथ समेकित और संयोजित करने का हकदार होगा।

57. इस समझौते को उधारकर्ता द्वारा भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से निम्नानुसार स्वीकार किया जा सकता है: (क) यदि समझौता उधारकर्ता द्वारा भौतिक रूप से (गीले हस्ताक्षर) स्वीकार किया जाता है, तो इस समझौते के अंत में भौतिक हस्ताक्षर खंड लागू होंगे। हालाँकि, यदि समझौता उधारकर्ता द्वारा उप-खंड (ख) में उल्लिखित अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकार किया जाता है, तो उधारकर्ता के भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी और समझौते के अंत में भौतिक हस्ताक्षर क्षेत्र, वहाँ दिखाई देने पर भी, गैर-लागू माने जाएंगे। (ग) उधारकर्ता द्वारा इस समझौते की इलेक्ट्रॉनिक स्वीकृति के मामले में, पक्ष यहाँ सहमत हैं कि सभी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर मैनुअल/हस्तलिखित हस्ताक्षर के कानूनी समकक्ष हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर पक्षों पर वैध और

बाध्यकारी होंगे। पक्ष इस बात से सहमत हैं कि यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा, भले ही समझौता इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित हो और उधारकर्ता की ओर से हस्ताक्षर, स्वीकृति और वितरण के लिए किसी अन्य कार्य, विलेख या लेखन या किसी भौतिक या गीले हस्ताक्षर या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। उधारकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर (एक व्यक्ति के मामले में उधारकर्ता के, या गैर-व्यक्ति के मामले में उधारकर्ता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के) और ऋणदाता के प्रतिनिधि को या तो ई-सर्टिफिकेट या ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड सत्यापन) के साथ प्रमाणित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो। उधारकर्ता एतद्द्वारा सहमत है कि वन टाइम पासवर्ड प्रदान/जमा करके, उधारकर्ता को यह समझौता और इसके कार्यक्रम पढ़ने और समझने के लिए समझा जाएगा।

58. उधारकर्ता स्वीकार करता है कि डिफ़ॉल्ट के मामले में सुविधा की वसूली के लिए ऋणदाता एक रिकवरी एजेंट ("रिकवरी एजेंट") की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। रिकवरी एजेंट आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करेगा, जो धमकी, उत्पीड़न या अपमानजनक भाषा के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। रिकवरी एजेंट आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट अनुमेय घंटों के भीतर काम करेगा और वसूली उद्देश्यों के लिए कोई भी संचार पारस्परिक रूप से सहमत स्थान पर किया जाएगा। ऋणदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उधारकर्ता को लगे होने वाले रिकवरी एजेंट के विवरण के बारे में सूचित किया जाए।

59. उधारकर्ता स्वीकार करता है कि ऋणदाता ने आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। ऋणदाता के निदेशक मंडल ने एएफएल और उसके ग्राहकों के बीच विवादों को हल करने के लिए संगठन के भीतर उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित किया है। यह तंत्र सुनिश्चित करता है कि ऋण संस्थानों के पदाधिकारियों के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को कम से कम अगले उच्च स्तर पर सुना और निपटाया जाए। ऋणदाता से संबंधित शिकायत निवारण अधिकारी के साथ-साथ आरबीआई के स्थानीय कार्यालय का विवरण उधारकर्ता के लाभ के लिए ऋणदाता की शाखाओं/उन स्थानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा जहाँ व्यवसाय किया जाता है। शिकायत निवारण तंत्र प्रक्रिया https://www.axisfinance.in/policies-and-standards/fair-practices-code पर उपलब्ध है और शिकायत निवारण अधिकारी का संपर्क विवरण इस प्रकार होगा:

एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड, एक्सिस हाउस, ग्राउंड फ्लोर,
वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, वर्ली, मुंबई- 400025,
कृपा आकृष्ट करें: शिकायत निवारण अधिकारी-सुश्री मंगल सारंग,
ईमेल आईडी- mangal.sarang@axisfinance.in ,
मोबाइल नंबर- +91-8655749343

60. बकाया राशि हस्तांतरण: उधारकर्ता एतद्द्वारा घोषित करता है और क्षतिपूर्ति करता है कि उसने ऋण प्राप्त करने के लिए एएफएल से संपर्क किया है और बकाया राशि हस्तांतरण आवेदन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रदान करेगा। साथ ही, बंधक ऋण (पूर्ण पूर्व-भुगतान) राशि में किसी भी कमी की स्थिति में; कमी की राशि उधारकर्ता द्वारा मौजूदा ऋण को बंद करने के लिए भुगतान की जाएगी। वितरण की तारीख से 60 दिन और उससे अधिक पुराने होने पर यदि वितरण चेक अनएन्कैशेड/अनक्लियर हो जाता है, तो इसे ईएमआई में कमी के प्रभाव के साथ आपके ऋण खाते में ऋण रद्द करने/आंशिक पूर्व भुगतान समायोजन के लिए माना जाएगा, यदि कोई अतिदेय है तो उसे समायोजित करने के बाद। ऋण रद्द करने की स्थिति में, वित्त पोषित बीमा कवर को भी रद्द करने के लिए माना जाएगा। उधारकर्ता एतद्द्वारा घोषित करता है कि उधारकर्ता रोजगार या व्यवसाय के लिए, या लंबे समय तक विदेश में रहने या अपनी कर निवास स्थिति बदलने या पीईपी(राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति) बनने से पहले ऋणदाता को सूचित करेगा।

61. उधारकर्ता(ओं) एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है, सहमत होता है, पुष्टि करता है और स्वीकार करता है कि उधारकर्ता(ओं) ने सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर करके यहां निहित सभी शर्तों, शर्तों और प्रावधानों और सुविधा की शर्तों की अनुसूची को पूरी तरह से पढ़, सत्यापित, समझ और अपरिवर्तनीय रूप से सहमत और स्वीकार और वितरित कर लिया है।

62. उधारकर्ता(ओं) ने यहां स्वेच्छा से किए गए, सहमत और स्वीकार किए गए दायित्वों के पूर्ण ज्ञान और समझ के साथ सुविधा समझौते को निष्पादित किया है और/या उधारकर्ता(ओं) सहमत है कि सुविधा की शर्तों के पूर्ण नियम और शर्तों को अंग्रेजी या उधारकर्ता(ओं) द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में समझाया गया है।

अनुसूची V

तारीख - 29-अक्टूबर-24

को,

श्री मोहइद्दीन मस्तान कुरैशी ए,

12 अन्बु नगर, पलक्कड़ रोड, पोलाची, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर।

7904123162

विषय: एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के साथ आपके ऋण प्रकार व्यक्तिगत ऋण, ऋण आवेदन आईडी PLA00706888 के लिए मुख्य तथ्य विवरण।

प्रिय महोदय/महोदया,

हम आपको एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड (एएफएल) चुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, जो आपको ऐसी प्रतिभूतियों के विरुद्ध क्रेडिट सुविधाएँ प्रदान करता है जैसा कि इसमें निर्धारित है।

हमें आपको यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि आपके आवेदन और हमें प्रदान की गई जानकारी के संदर्भ में, हमने आपको नीचे दिए गए नियमों और शर्तों पर एक व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत किया है।

किसी भी वादे या प्रतिबद्धता के बारे में कम ब्याज दरों, शुल्क/प्रभारों की छूट, या अन्य लाभों का स्पष्ट रूप से नीचे उल्लेख नहीं किया गया है, उसे स्वीकार करने से पहले हमारे ध्यान में लाया जाना चाहिए। मुख्य तथ्य विवरण या ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले। लिखित ऋण समझौता किसी भी पूर्व प्रतिनिधित्व को या वितरण या आश्वासन के बाद किए गए किसी भी प्रतिनिधित्व को सुपरसीड करेगा। ऋण के वितरण के बाद इस संबंध में किए गए दावे या प्रतिनिधित्व विचार नहीं किया जाएगा

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया मुख्य तथ्य विवरण की समीक्षा करें और आगे बढ़ने के लिए उसी पर अपनी स्वीकृति साझा करें।

परिशिष्ट क

प्रमुख तथ्य विवरण

भाग 1 (ब्याज दर और शुल्क/प्रभार)

1	**ऋण प्रस्ताव/ खाता क्रमांक**	**BLA00037472**	**ऋण का प्रकार**	**व्यवसायिक ऋण**
2	**स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में)**		Rs.4,00,000	
3	**संवितरण अनुसूची**			
	i. चरणों में या 100% अग्रिम में संवितरण। **(ii) यदि यह चरणबद्ध है, तो प्रासंगिक विवरण वाले ऋण समझौते के खंड का उल्लेख करें**		(i)[1] (ii) उधारकर्ता, ऋणदाता को विधिवत भरा हुआ संवितरण अनुरोध प्रपत्र, जो अनुसूची V। में दिया गया है, ऋणदाता द्वारा सहमत तरीके से और तारीख पर देकर सुविधा का उपयोग कर सकता है। सुविधा का संवितरण या तो 100% अग्रिम रूप से या चरणों/किश्तों में, निम्नानुसार किया जाएगा: (क) निर्माणाधीन संपत्ति के लिए, संवितरण निर्माण के चरण के अनुसार किया जाएगा; (ख) बैलेंस ट्रांसफर लेनदेन के लिए, संवितरण चरणों/किश्तों में उधारकर्ता की आवश्यकतानुसार किया जाएगा; और (ग) किसी भी अन्य लेनदेन के लिए, संवितरण उधारकर्ता के अनुरोध के अनुसार किया जाएगा। ऊपर बताए गए तरीके से सुविधा का संवितरण, उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता द्वारा इस समझौते की शर्तों का पालन करने या ऋणदाता द्वारा अपने विवेकाधिकार पर अनुमति दिए जाने के अधीन होगा।
4	**ऋण अवधि (वर्ष/माह/दिन)**		60 महीने	

5.किस्त विवरण			
किस्तों का प्रकार	**ईपीआई (समान आवधिक किस्त) की संख्या**	**ईपीआई (समान आवधिक किस्त) (₹)**	**स्वीकृति के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत**
मासिक	60	रू.7,893 (ओडी सुविधा के लिए मासिक पुनर्भुगतान राशि मूलधन (सीमा इॉप राशि) और ब्याज शुल्क (उपयोग के आधार पर) होगी)	30 दिनों के भीतर

6	**ब्याज दर (%) और प्रकार (स्थिर या अस्थायी या संकर)**	15.25% प्रति वर्ष निश्चित

7. **ब्याज की फ्लोटिंग दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी**

संदर्भ बेंचमार्क	**बेंचमार्क दर (%) (B)**	**प्रसार (%) (S)**	**अंतिम दर (%) R = (B) + (S)**	**आवर्तीता रीसेट करें (महीने)[2]**		**संदर्भ बेंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव (25 बीपीएस परिवर्तन के लिए 'आर' में परिवर्तन:)**	
				बी	एस	ईपीआई (समान आवधिक किस्त) (₹)	ईपीआई (समान आवधिक किस्त) की संख्या
एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड (एएफएल) संदर्भ दर	-	-	-	NA	NA	(□□) (ओडी सुविधा के लिए मासिक पुनर्भुगतान राशि मूलधन (सीमा ड्रॉप राशि) और ब्याज शुल्क (उपयोग के आधार पर) होगी)	-
** फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए रीसेट आवृत्ति घटना आधारित है।							
* कृपया ध्यान दें कि सुरक्षित ऋणों के लिए अधिकतम कार्यकाल 360 महीने और असुरक्षित ऋणों के लिए 60 महीने तक सीमित होगा							

AXIS FINANCE

8	**शुल्क/ प्रभार (जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) सहित)[3]**				
		आरई (प्राप्तकर्ता संस्था) (ए) को देय		**आरई (प्राप्तकर्ता संस्था) (बी) के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय**	
		एक बार/ आवर्ती	राशि (में ₹) या प्रतिशत (%) यथा लागू [4]	एक बार/ आवर्ती	राशि (में ₹) या प्रतिशत (%) यथा लागू
(i)	**ऋण आवेदन शुल्क (एचएल,एएचएल,एलएपी और एमएलएपी के मामले में प्रति कोलैटरल)**	एक बार	Rs.5,900	NA	NA
(ii)	**प्रसंस्करण शुल्क**	एक बार	Rs.5,900	NA	NA
(iii)	**बीमा शुल्क**	NA	NA	एक बार	Rs.4,776
(iv)	**मूल्यांकन शुल्क**	NA	NA	NA	NA
(v)	**कोई अन्य शुल्क [5] (सर्साई (केंद्रीय संपत्ति रजिस्ट्री और संपत्ति सुरक्षा प्राधिकरण शुल्क)**	एक बार	Rs.	NA	NA

AXIS FINANCE

1 प्रत्येक सुविधा के लिए निर्दिष्ट किया जाना है

2. निश्चित रीसेट, क्रेडिट प्रोफ़ाइल में बदलाव के अलावा

3.आरई जीएसटी जैसे किसी भी कर के शुद्ध राशि का खुलासा कर सकते हैं

4. आवृत्ति का उल्लेख करें, जहाँ आवर्ती

5.यहां किसी भी स्तर पर या किसी भी आकस्मिकता के मामले में लगाए जाने वाले सभी शुल्कों का उल्लेख किया जाना है

AXIS FINANCE

<table>
<tr><td>9</td><td>वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%)</td><td>कृपया एनेक्सचर बी देखें - खुदरा और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) ऋणों के लिए एपीआर (वार्षिक प्रतिशत दर) की गणना का चित्रण।</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">सशर्त शुल्कों का विवरण (₹ या %, जैसा लागू हो)

(i) वित्तीय नियम और शर्तें
(ii) गैर-वित्तीय नियम और शर्तें</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>विलंबित भुगतान की स्थिति में दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो

वित्त दस्तावेज़ (ओं) के तहत देय किसी भी भुगतान में देरी के लिए दंडात्मक शुल्क</td><td>6% प्रति वर्ष प्लस बकाया राशि पर जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) (मूलधन बकाया / ब्याज बकाया / ईएमआई (समान आवधिक किस्त) बकाया) उस अवधि के लिए जिस अवधि तक उक्त राशि बकाया रहती है।</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>अन्य दंडात्मक शुल्क, (स्वीकृति की गैर-अनुपालन से संबंधित/समझौते की शर्तें)</td><td>
<table>
<tr><td>(1) प्रतिभूति सृजन में विलंब के लिए दंडात्मक शुल्क जैसा कि स्वीकृति पत्र की शर्तों में है</td><td>2% प्रति वर्ष प्लस जीएसटी (वस्तु और सेवा कर)। सुरक्षा निर्माण में विलंब या दंडात्मक शुल्क सुविधा की बकाया मूल राशि पर लगाया जाएगा, उस तिथि से प्रारंभ होगा जिस दिन सुरक्षा का निर्माण किया जाना था जब तक कि वह वास्तव में निर्मित नहीं हो जाती।</td></tr>
<tr><td>2 (a) स्वीकृति पत्र/सुविधा अनुबंध के अनुसार किसी अन्य महत्वपूर्ण नियम और शर्तों का पालन न करने से संबंधित दंडात्मक शुल्क

(b) स्वीकृति पत्र की शर्तों और नियमों के अनुसार दस्तावेजों/सूचनाओं को प्रस्तुत न करने से संबंधित दंडात्मक शुल्क</td><td>1% प्रति वर्ष और लागू जीएसटी (वस्तु और सेवा कर)।
इन अनुपालनों के लिए दंड शुल्क सुविधा की बकाया मूल राशि पर लगाया जाएगा, अनुपालन न करने के प्रत्येक उदाहरण के लिए, उल्लंघन की तारीख से उस तारीख तक की गणना की जाएगी जब तक कि स्वीकृति पत्र की शर्तें पूरी नहीं हो जाती हैं, अधिकतम 3% प्रति वर्ष के अधीन। कई मामलों में जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) के साथ उल्लंघन।</td></tr>
</table>

*उपरोक्त उल्लिखित दंड शुल्क भारतीय वस्तु और सेवा कर पर लागू कानूनों के अनुसार जीएसटी के अधीन होंगे, और जीएसटी अलग से लगाया जाएगा। उपरोक्त उल्लिखित दंड शुल्क लागू ब्याज दर के अतिरिक्त हैं। दंड शुल्कों का कोई पूंजीकरण नहीं होगा।</td></tr>
</table>

		महत्वपूर्ण शर्तें (बिंदु A(1) और B(1) और 2(b) के अंतर्गत शामिल महत्वपूर्ण शर्तों के अतिरिक्त) 1. चूक की घटना: स्वीकृति पत्र या अन्य वित्त दस्तावेजों के तहत किसी भी चूक की घटना का घटित होना, उधारकर्ता की वित्तीय चूक से संबंधित चूक की घटना को छोड़कर। 2. सुरक्षा कवर: इस स्वीकृति पत्र के तहत निर्धारित सुरक्षा कवर को बनाए रखने में विफलता। 3. वित्तीय अनुबंध: इस स्वीकृति पत्र के तहत निर्धारित किसी भी वित्तीय अनुबंध का उल्लंघन करना या वित्तीय स्थितियों में गिरावट की अनुमति देना जो इस स्वीकृति पत्र या अन्य वित्त दस्तावेजों के तहत दायित्वों की पूर्ति को प्रभावित करती है। 4. अनुमोदन: निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने या बनाए रखने में विफलता, जिसमें निर्माण अनुमति, पूर्णता प्रमाण पत्र, पर्यावरण मंजूरी, बंधक की अनुमति, अनापत्ति पत्र, पारी-पासु सीडिंग पत्र आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जहां भी लागू हो। 5. व्यवसाय योजनाएं या परियोजना समय-सीमा: सहमत व्यवसाय या बेस केस योजनाओं या नकदी प्रवाह योजनाकार से विचलित होना या परियोजना कार्यान्वयन, पूर्णता या सुधार में देरी करना। 6.संपत्ति की विश्वसनीयता: आरबीआई द्वारा अनुमोदित एजेंसी से बाहरी क्रेडिट जोखिम रेटिंग प्राप्त करने में देरी/विफलता, जहां भी लागू हो, या नकारात्मक दृष्टिकोण, व्यवसाय की व्यवहार्यता जो वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करती है, जैसा कि स्वीकृति पत्र में निर्धारित है, जहां भी लागू हो। 7. कैशफ्लो रूटिंग: आवश्यक एस्क्रो खाता खोलने में देरी या नामित खाते के माध्यम से कैश फ्लो को रूट करने में विफलता, स्वीकृति पत्र में निर्धारित, जहां भी लागू हो। 8. बीमा: समय पर संपत्ति का बीमा प्राप्त/नवीनीकृत और पृष्ठांकित नहीं करना और संपत्तियों को सुरक्षित नहीं करना। 9. अतिरिक्त उधार: इस स्वीकृति पत्र के तहत अनुमत अपवादों को छोड़कर, यदि उधारकर्ता एएफएल की सहमति के बिना अतिरिक्त उधार या दायित्व लेता है। 10. जानकारी जमा न करना: निर्धारित समय सीमा के भीतर आवधिक समीक्षा या नवीनीकरण के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करना। 11. स्वीकृति पत्र में परिभाषित कोई अन्य महत्वपूर्ण शर्तें।

(iii)	**भाग - पूर्व भुगतान शुल्क (आंशिक भुगतान की जा रही राशि पर) /फौजदारी (पूर्ण पूर्व भुगतान) कुल ऋण बकाया राशि / वर्तमान सीमा (ओवरड्राफ्ट के मामले में उपलब्ध सीमा + उपयोग की गई सीमा)**	खुदरा बंधक ऋण (एचएल/एलएपी/किफायती आवास और माइक्रो एलएपी) शुल्क लागू हैं, 1. भाग - पूर्व भुगतान शुल्क (आंशिक भुगतान की जा रही राशि पर) 2.फौजदारी (पूर्ण पूर्व भुगतान) कुल ऋण बकाया राशि / वर्तमान सीमा (ओवरड्राफ्ट के मामले में उपलब्ध सीमा + उपयोग की गई सीमा) लागू शुल्क फ्लोटिंग ब्याज दर के अंतर्गत ऋण के लिए 1. यदि प्राथमिक आवेदक एक गैर-व्यक्तिगत है (होम लोन, एलएपी, माइक्रो एलएपी और किफायती आवास के लिए) 2. यदि प्राथमिक आवेदक व्यवसाय के रूप में अंतिम उपयोग वाला व्यक्ति है (होम लोन और किफायती आवास ऋण को छोड़कर) संपत्ति के विरुद्ध ऋण और माइक्रो एलएपी के लिए - 3% + लागू कर होम लोन और किफायती होम लोन के लिए - 2% + लागू कर निश्चित ब्याज दर के तहत ऋण के लिए - 4% + लागू कर (होम लोन, एलएपी, किफायती एचएल और माइक्रो एलएपी के लिए) <u>भाग पूर्व-भुगतान और फौजदारी की शर्तें लागू</u> 1. 12 ईएमआई के क्लीयरेंस के बाद ही भाग पूर्व-भुगतान/फौजदारी की अनुमति होगी। 2. एक वित्तीय वर्ष में केवल दो बार भाग पूर्व-भुगतान की अनुमति होगी और एक वित्तीय वर्ष में केवल 25% तक के पीओएस के पूर्व-भुगतान को ही स्वीकार किया जा सकता है। 3. भाग-पूर्व भुगतान/फौजदारी के रूप में प्राप्त राशि को मूलधन + ब्याज बकाया और भाग पूर्व भुगतान/फौजदारी शुल्क के समायोजन के लिए समायोजित किया जाएगा। 4. प्राप्त किसी भी भाग पूर्व-भुगतान के लिए समायोजन कार्यकाल (डिफ़ॉल्ट) में दिया जाएगा और ईएमआई राशि समान रहेगी। (ईएमआई कार्यकाल में कमी, ईएमआई राशि स्थिर रहेगी) *व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए व्यापार के अलावा अन्य उपयोग के लिए, पूर्व-भुगतान और फौजदारी शुल्क और शर्तें लागू नहीं होंगी, यदि ऋण फ्लोटिंग

		दर पर ब्याज के अधीन है।* बिज़नेस लोन भाग - पूर्व भुगतान शुल्क (आंशिक भुगतान की जा रही राशि पर) फौजदारी (पूर्ण पूर्व भुगतान) कुल ऋण बकाया राशि / वर्तमान सीमा (ओवरड्राफ्ट के मामले में उपलब्ध सीमा + उपयोग की गई सीमा) लागू शुल्क - 3% + लागू कर <u>भाग पूर्व-भुगतान और फौजदारी की शर्तें लागू</u> 1. 12 ईएमआई के क्लीयरेंस के बाद ही भाग पूर्व-भुगतान/फौजदारी की अनुमति होगी। 2. एक वित्तीय वर्ष में केवल दो बार भाग पूर्व-भुगतान की अनुमति होगी और एक वित्तीय वर्ष में केवल 25% तक के पीओएस के पूर्व-भुगतान को ही स्वीकार किया जा सकता है। 3. भाग-पूर्व भुगतान/फौजदारी के रूप में प्राप्त राशि को मूलधन + ब्याज बकाया और भाग पूर्व भुगतान/फौजदारी शुल्क के समायोजन के लिए समायोजित किया जाएगा। 4. प्राप्त किसी भी भाग पूर्व-भुगतान के लिए समायोजन कार्यकाल (डिफ़ॉल्ट) में दिया जाएगा और ईएमआई राशि समान रहेगी। (ईएमआई कार्यकाल में कमी, ईएमआई राशि स्थिर रहेगी) व्यक्तिगत ऋण भाग - पूर्व भुगतान शुल्क (आंशिक भुगतान की जा रही राशि पर) फौजदारी (पूर्ण पूर्व भुगतान) कुल ऋण बकाया राशि / वर्तमान सीमा (ओवरड्राफ्ट के मामले में उपलब्ध सीमा + उपयोग की गई सीमा) लागू शुल्क - 3% + लागू कर <u>भाग पूर्व-भुगतान और फौजदारी की शर्तें लागू</u> 1. 12 ईएमआई के क्लीयरेंस के बाद ही भाग पूर्व-भुगतान/फौजदारी की अनुमति होगी। 2. एक वित्तीय वर्ष में केवल दो बार भाग पूर्व-भुगतान की अनुमति होगी और एक वित्तीय वर्ष में केवल 25% तक के पीओएस के पूर्व-भुगतान को ही स्वीकार किया जा सकता है।

		3. भाग-पूर्व भुगतान/फौजदारी के रूप में प्राप्त राशि को मूलधन + ब्याज बकाया और भाग पूर्व भुगतान/फौजदारी शुल्क के समायोजन के लिए समायोजित किया जाएगा। 4. प्राप्त किसी भी भाग पूर्व-भुगतान के लिए समायोजन कार्यकाल (डिफ़ॉल्ट) में दिया जाएगा और ईएमआई राशि समान रहेगी। (ईएमआई कार्यकाल में कमी, ईएमआई राशि स्थिर रहेगी)

AXIS FINANCE

(iv)	**फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट और इसके विपरीत ऋण स्विच करने के लिए शुल्क**	ऋण बकाया का 1%
(v)	**कोई अन्य शुल्क (कृपया निर्दिष्ट करें)**	कृपया लिंक- https://www.axisfinance.in/policies-and- standards/schedule-of-charges के माध्यम से हमारे शुल्क कार्यक्रम को देखें

भाग 2 (अन्य गुणात्मक जानकारी)

1	**ऋण समझौते का खंड ऋण समझौते से संबंधित वसूली एजेंटों की नियुक्ति** [6]	उधारकर्ता स्वीकार करता है कि डिफ़ॉल्ट के मामले में सुविधा की वसूली के लिए ऋणदाता एक रिकवरी एजेंट (रिकवरी एजेंट) की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। रिकवरी एजेंट आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करेगा, जो धमकी, उत्पीड़न या अपमानजनक भाषा के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। रिकवरी एजेंट आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट अनुमेय घंटों के भीतर काम करेगा और वसूली उद्देश्यों के लिए कोई भी संचार पारस्परिक रूप से सहमत स्थान पर किया जाएगा। ऋणदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उधारकर्ता को लगे होने वाले रिकवरी एजेंट के विवरण के बारे में सूचित किया जाए।

2	**ऋण समझौते का खंड जिसमें शिकायत निवारण तंत्र का विवरण दिया गया है** [7]	उधारकर्ता स्वीकार करता है कि ऋणदाता ने आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। ऋणदाता के निदेशक मंडल ने एएफ़एल (एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड) और उसके ग्राहकों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए संगठन के भीतर उचित शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित किया है। यह तंत्र सुनिश्चित करता है कि ऋण देने वाली संस्थाओं के पदाधिकारियों के निर्णयों से उत्पन्न सभी विवादों को सुना जाए और कम से कम अगले उच्च स्तर पर उनका निपटान किया जाए। ऋणदाता से संबंधित शिकायत निवारण अधिकारी के साथ-साथ आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक के स्थानीय कार्यालय का विवरण उधारकर्ता के लाभ के लिए ऋणदाता की शाखाओं/व्यावसायिक लेन-देन वाले स्थानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। शिकायत

		निवारण तंत्र प्रक्रिया https://www.axisfinance.in/policies-and-standards/fair-practices-code पर उपलब्ध है और नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का संपर्क विवरण इस प्रकार होगा: एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड, एक्सिस हाउस, ग्राउंड फ्लोर, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, वर्ली, मुंबई- 400025, कृपया ध्यान दें: शिकायत निवारण अधिकारी-सुश्री मंगल सारंग, ईमेल आईडी- mangal.sarang@axisfinance.in, मोबाइल नंबर- +91-8655749343
3	**फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी शिकायत निवारण अधिकारी [8]**	एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड, एक्सिस हाउस, ग्राउंड फ्लोर, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, वर्ली, मुंबई- 400025, कृपया ध्यान दें: नोडल अधिकारी-सुश्री मंगल सारंग, ईमेल आईडी- mangal.sarang@axisfinance.in, मोबाइल नंबर- +91-8655749343
4	**यह ऋण वर्तमान में, या भविष्य में, अन्य प्राप्तकर्ता संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाने या सिक्योरिटाईजेशन (सुरक्षीकरण) के अधीन हो सकता है।**	हाँ
5	**सहयोगात्मक ऋण व्यवस्था (जैसे, सह-ऋण/ आउटसोर्सिंग) के तहत ऋण देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:**	

मूल आरई (प्राप्तकर्ता संस्था) का नाम, साथ में अपने वित्तपोषण अनुपात के साथ	भागीदार आरई (प्राप्तकर्ता संस्था) का नाम उसके साथ वित्त पोषण का अनुपात	मिश्रित ब्याज दर
-	-	-

6. शेड्यूल IV के तहत सुविधा समझौते की सामान्य नियम और शर्तों के खंड 45 के अनुसार
7. शेड्यूल IV के तहत सुविधा समझौते की सामान्य नियम और शर्तों के खंड 46 के अनुसार।
8. आरई (प्राप्तकर्ता संस्था) एक सामान्य ईमेल आईडी प्रदान कर सकता है, बशर्ते 1 कार्य दिवस के भीतर प्रतिक्रिया दी जाए

6	**डिजिटल ऋणों के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट प्रकटीकरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:**	
(i)	आरई (प्राप्तकर्ता संस्था) के बोर्ड द्वारा सलाह नीति के अनुसार, कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण का पूर्व-भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा	-
(ii)	ऋण सेवा प्रदाता (LSP) जो वसूली एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है और उधारीकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत है, का विवरण।	-

ओवरड्राफ्ट / ड्रॉपलाइन सुविधा के लिए

डीओडी/ओडी सुविधा के लिए - उधारकर्ता को दी गई ओडी सुविधा के संबंध में ब्याज की गणना दैनिक आधार पर उधारकर्ता के खाते में दिन के अंत में उपलब्ध ओडी सुविधा से उपयोग की गई राशि के अनुसार की जाएगी। ब्याज की गणना हर महीने की पहली तारीख से शुरू होकर "हर महीने के अंत" यानी 28/29/30 या 31 (जैसा भी मामला हो) महीने के दिन तक की अवधि के लिए की जाएगी और सुविधा की अवधि के दौरान उधारकर्ता द्वारा बाद के कैलेंडर महीने की 5 तारीख तक इसका भुगतान किया जाएगा।
यदि प्रारंभ तिथि महीने के 20वें दिन या उससे पहले है, तो प्रारंभ तिथि से लेकर उस महीने के अंतिम दिन तक प्रारंभिक सीमा लागू होगी। हालाँकि, यदि प्रारंभ तिथि उक्त महीने के 21वें दिन या उसके बाद है, तो प्रारंभ तिथि से लेकर तुरंत बाद वाले महीने के अंतिम दिन तक प्रारंभिक सीमा लागू होगी। उसके बाद, प्रत्येक महीने के लिए, प्रचालन सीमा प्रासंगिक कैलेंडर महीने की पहली तारीख ("सीमा परिवर्तन तिथि") से उसी कैलेंडर महीने की अंतिम तिथि (दोनों समावेशी) तक लागू होगी। प्रचालन सीमा स्वचालित रूप से प्रत्येक सीमा परिवर्तन तिथि पर L/N के बराबर राशि से कम हो जाएगी जहाँ L प्रारंभिक सीमा है और N ओवरड्राफ्ट सुविधा की अवधि है, जिसे अनुसूची में महीनों में निर्दिष्ट किया गया है। दृष्टांत: यह मानते हुए कि प्रारंभ तिथि पहले महीने के 20 तारीख को या उससे पहले है, और यदि ओवरड्राफ्ट सुविधा का मूल कार्यकाल 10 महीने है और दी गई प्रारंभिक सीमा 10,00,000/- रुपये (केवल दस लाख रुपये) है, तो अगले महीने के लिए परिचालन सीमा स्वचालित रूप से 10,00,000/10 = 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख रुपये) कम हो जाएगी और नई परिचालन सीमा (10,00,000 - 1,00,000) = 9,00,000/- रुपये (केवल नौ लाख रुपये) होगी। इसी तरह, अगले महीने के लिए, उधारकर्ता को उपलब्ध परिचालन सीमा में एक और 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) की कमी आएगी, और यह 8,00,000/- रुपये (आठ लाख रुपये) हो जाएगी और इसी तरह आगे भी।

पुनर्भुगतान तिथि	हर महीने की 5 तारीख
सीमा समाप्ति तिथि	हर महीने की पहली तारीख, ब्याज हर महीने के आखिरी दिन जोड़ा जाएगा
सीमा समाप्ति राशि	हर महीने सीमा समाप्ति राशि, स्वीकृत सीमा को ओवरड्राफ्ट सुविधा की अवधि से विभाजित करने पर आएगी। उदाहरण – अगर स्वीकृत सीमा 12,00,000 रुपये है और आपकी ऋण अवधि 5 वर्ष (60 महीने) है, तो हर महीने सीमा समाप्ति राशि 20,000 रुपये होगी (12,00,000 / 60)

परिशिष्ट ख

एपीआर की गणना

सावधिक ऋण के लिए समतुल्य आवधिक किश्तें (ईपीआई) और वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) दिखाए गए हैं। ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा के मामले में, वास्तविक निकासी राशि के आधार पर समतुल्य आवधिक किश्तें (ईपीआई) और वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) अलग-अलग होंगी।

क्र.सं.	पैरामीटर	विवरण
1	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में) (केएफएस टेम्प्लेट का क्रमांक 2 - भाग 1)	Rs.4,00,000
2	ऋण अवधि (वर्षों/ महीनों/ दिनों में) (केएफएस टेम्प्लेट का क्रमांक 4 – भाग 1)	60 महीने
a)	गैर-समान आवधिक ऋणों के मामले में, मूलधन के भुगतान के लिए किस्तों की संख्या	-
b)	ईपीआई (समान आवधिक किस्त) का प्रकार प्रत्येक ईपीआई (समान आवधिक किस्त) की राशि (रुपये में) और ईपीआई (समान आवधिक किस्त) की संख्या (उदाहरण के लिए, मासिक किश्तों के मामले में ईएमआई (समान मासिक किस्त) (की संख्या) (केएफएस टेम्प्लेट का क्रमांक 5 – भाग 1)	मासिक रू.7,893 (ओडी सुविधा के लिए मासिक पुनर्भुगतान राशि मूलधन (सीमा ड्रॉप राशि) और ब्याज शुल्क (उपयोग के आधार पर) होगी) 60 महीने
c)	पूंजीकृत ब्याज के भुगतान के लिए किश्तों की संख्या, यदि कोई हो	-
d)	मंजूरी के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत (केएफएस टेम्प्लेट का क्रमांक 5 - भाग 1)	30 दिनों के भीतर
3	ब्याज दर का प्रकार (निश्चित या अस्थायी या संकर) (केएफएस टेम्प्लेट का क्रमांक 6 - भाग 1)	निश्चित
4	ब्याज की दर (केएफएस टेम्प्लेट का क्रमांक 6 - भाग 1)	15.25% प्रति वर्ष
5	ऋण की पूरी अवधि के दौरान प्रचलित दर के अनुसार लिया जाने वाला कुल ब्याज राशि (रुपये में) (ओडी के मामले में, यह वास्तविक सीमा उपयोग के अधीन है)	Rs.2,09,339

6	शुल्क/प्रभार देय8 (रुपये में)	Rs.10,676
A	देय आरई (प्राप्तकर्ता संस्था) को (केएफएस टेम्प्लेट-भाग 1 का क्र.सं. 8ए)	Rs.5,900
B	तृतीय-पक्ष को देय राशि RE (केएफएस टेम्प्लेट का क्र.सं. 8B – भाग 1) के माध्यम से भेजी गई	Rs.4,776
7	कुल वितरित राशि (1-6) (रुपयों में)	Rs.3,89,324
8	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (1 और 5 का योग) (रुपये में) (ओडी के मामले में, यह वास्तविक सीमा उपयोग के अधीन है)	Rs.6,09,339
9	वार्षिक प्रतिशत दर- प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में) 10 (केएफएस टेम्प्लेट-भाग 1 का क्र.सं. 9)	16.32% प्रति वर्ष
10	शर्तों और नियमों के अनुसार संवितरण का कार्यक्रम	एकल संवितरण की स्थिति में, कोई संवितरण शेड्यूल लागू नहीं होगा क्योंकि उधारकर्ता द्वारा पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने के अधीन संवितरण एक बार ही होगा। हालाँकि, यदि उधारकर्ता ने कई किश्तों में संवितरण का अनुरोध किया है, तो संवितरण शेड्यूल को https://customerportal.axisfinance.co.in/lmsmobileweb/react/index.html से डाउनलोड किया जा सकता है या ग्राहक सेवा हेल्पलाइन के माध्यम से अनुरोध किया जा सकता है।
11	किस्त और ब्याज के भुगतान की देय तिथि। (ओडी के मामले में, हर महीने की पहली तारीख तक सीमा कम हो जाएगी, महीने की 5 तारीख तक तुरंत भुगतान किया जाएगा)	ईएमआई (समान मासिक किस्त) चक्र तिथि (लागू होने पर 5वीं या 10वीं)

परिशिष्ट सी

सुविधा तालिका के लिए समान आवधिक किस्त के तहत पुनर्भुगतान अनुसूची उसके लिए है (यह तब लागू होता है जब सुविधा एक सावधि ऋण हो)

.

किस्त क्रमांक	बकाया मूल राशि (रुपये में)	प्रिंसिपल (रुपये में)	ब्याज (रुपये में)	किस्त (रुपये में)
1	400000	4060	6098	10158
2	395940	4316	5842	10158
3	391624	4174	5984	10158
4	387450	4235	5923	10158
5	383215	4866	5292	10158
6	378349	4374	5784	10158
7	373975	4625	5533	10158
8	369350	4511	5647	10158
9	364839	4760	5398	10158
10	360079	4653	5505	10158
11	355426	4724	5434	10158
12	350702	4970	5188	10158
13	345732	4873	5285	10158
14	340859	5115	5043	10158
15	335744	5025	5133	10158
16	330719	5102	5056	10158
17	325617	5662	4496	10158
18	319955	5267	4891	10158
19	314688	5502	4656	10158
20	309186	5431	4727	10158
21	303755	5664	4494	10158
22	298091	5601	4557	10158
23	292490	5687	4471	10158
24	286803	5915	4243	10158
25	280888	5864	4294	10158
26	275024	6089	4069	10158
27	268935	6047	4111	10158
28	262888	6139	4019	10158
29	256749	6613	3545	10158
30	250136	6334	3824	10158

AXIS FINANCE

31	243802	6551	3607	10158
32	237251	6531	3627	10158
33	230720	6745	3413	10158
34	223975	6734	3424	10158
35	217241	6837	3321	10158
36	210404	7045	3113	10158
37	203359	7049	3109	10158
38	196310	7254	2904	10158
39	189056	7274	2884	10158
40	181782	7387	2771	10158
41	174395	7671	2487	10158
42	166724	7616	2542	10158
43	159108	7811	2347	10158
44	151297	7851	2307	10158
45	143446	8042	2116	10158
46	135404	8094	2064	10158
47	127310	8217	1941	10158
48	119093	8401	1757	10158
49	110692	8470	1688	10158
50	102222	8650	1508	10158
51	93572	8728	1430	10158
52	84844	8861	1297	10158
53	75983	9109	1049	10158
54	66874	9136	1022	10158
55	57738	9304	854	10158
56	48434	9418	740	10158
57	39016	9581	577	10158
58	29435	9708	450	10158
59	19727	9856	302	10158
60	9871	9871	146	10017

AXIS FINANCE

ध्यान दें: ऊपर दिया गया पुनर्भुगतान कार्यक्रम स्वीकृत ऋण राशि पर आधारित है। कृपया ध्यान दें कि ब्याज दर और शुल्क की वास्तविक दर आपके सुविधा पर लागू होने वाली दर के अनुसार होगी, जो वितरण की वास्तविक तिथि पर और वितरित राशि और विशिष्ट वितरण शर्तों के अधीन होगी। कृपया अपनी सुविधा के लिए पुनर्भुगतान कार्यक्रम को https://customerportal.axisfinance.co.in/lmsmobileweb/react/index.html से डाउनलोड करें या ग्राहक सेवा हेल्पलाइन के माध्यम से अनुरोध करें।

संवितरण अनुसूची 9

ध्यान दें: एकल संवितरण के मामले में, कोई संवितरण अनुसूची लागू नहीं है क्योंकि उधारकर्ता द्वारा पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने के अधीन संवितरण एक बार किया जाएगा। हालाँकि, यदि उधारकर्ता ने कई किश्तों में संवितरण का अनुरोध किया है, तो https://customerportal.axisfinance.co.in/lmsmobileweb/react/index.html से अपनी सुविधा के लिए संवितरण अनुसूची प्राप्त करें या ग्राहक सेवा हेल्पलाइन के माध्यम से अनुरोध करें।

9 यदि एक ही किश्त है - तो एकल किश्त का उल्लेख करें। यदि कई किश्तें हैं, तो प्रस्तावित कार्यक्रम का उल्लेख करें। यदि प्रस्तावित कार्यक्रम तय नहीं है तो उल्लेख करें "उपलब्धता अवधि के दौरान उधारकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर और समय-समय पर ऋणदाता द्वारा स्वीकार किए जाने पर"।

आपके लिए संवितरण अनुसूची https://customerportal.axisfinance.co.in/lmsmobileweb/react/index.html से प्राप्त करें या ग्राहक सेवा हेल्पलाइन के माध्यम से अनुरोध करें।

अनुसूची VI

अंतिम उपयोग घोषणा

दिनांक:

सेवा में,

एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड ("**एएफएल**")

_____

_____

विषय: निधियों के अंतिम उपयोग के संबंध में घोषणा

संदर्भ: ऋण संदर्भ संख्या:_____ ("**सुविधा समझौता**") वाले सुविधा समझौते के तहत सुविधा;

प्रिय महोदय/महोदया,

1. एएफएल द्वारा स्वीकृत सुविधा के संदर्भ में, सुविधा समझौते के अनुसार मुझे/हमें, राशि रु. _____ ("सुविधा") के लिए और जैसा कि स्वीकृति पत्र में कहा गया है, मैं/हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि सुविधा जो मुझे/हमें सुविधा समझौते के तहत स्वीकृत की गई है, उसका उपयोग केवल निम्नलिखित उद्देश्य ("उद्देश्य") के लिए किया जाएगा:

(क) व्यावसायिक उपयोग के लिए, _____ के लिए

(ख) अन्य उपयोग के लिए, _____ के लिए

(कृपया भरें/चयन करें, जो भी लागू हो)

2. मैं/हम एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त उद्देश्य एक वैध उद्देश्य है और मैं/हम सुविधा या उसके किसी भी भाग का उपयोग उपरोक्त उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेंगे।

3. पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मैं/हम एतद्द्वारा वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि सुविधा या उसका कोई भी भाग निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसी के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा और इसका उपयोग करने का इरादा नहीं है:

(क) कोई भी सट्टा उद्देश्य या सट्टा व्यवसाय/गतिविधि या अवैध और असामाजिक गतिविधियाँ;

(ख) किसी भी व्यक्ति की पूंजी की सदस्यता या खरीद (चाहे इक्विटी या वरीयता शेयरों की सदस्यता या खरीद के माध्यम से, किसी कंपनी/बॉडी कॉर्पोरेट के मामले में, या साझेदारी फर्म या सीमित देयता भागीदारी फर्म के मामले में एक भागीदार के रूप में पूंजी लाना);

(ग) रियल एस्टेट में सट्टा निवेश;

(घ) प्रतिभूतियों, डिबेंचर या शेयर बाजारों में निवेश;

(ङ) धन उधार देने की गतिविधियाँ;

(च) किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी किए गए डिबेंचर या किसी अन्य ऋण साधन की सदस्यता या खरीद;

(छ) अंतर-कॉर्पोरेट जमा करना;

(ज) शेयरों या प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के लिए;

(झ) किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए;

(ञ) भूमि की खरीद के लिए;

(ट) ओजोन क्षयकारी पदार्थों (ओडीएस) का उपभोग/उत्पादन करने वाली नई इकाइयों की स्थापना के लिए;

(ठ) भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत निषिद्ध किसी भी उद्देश्य के लिए;

(ड) किसी भी अन्य उद्देश्य या गतिविधियों के लिए जिसके लिए सुविधा का विस्तार नहीं किया गया है।

4. मैं/हम आगे घोषणा करते हैं कि निधियों के उपयोग के उद्देश्य को सुविधा समझौते के अस्तित्व के दौरान किसी भी तरह से नहीं बदला जाएगा।

5. मैं/हम एतद्द्वारा सहमत हैं कि, ऐसा करने के लिए बाध्य हुए बिना, एएफएल को सुविधा के उपयोग/अंतिम उपयोग की निगरानी करने का अधिकार होगा, जिसमें किसी भी लेखा परीक्षक (कों) या सलाहकार (कों) के माध्यम से उनसे आवश्यक प्रमाणन के साथ, जैसा कि एएफएल द्वारा अपने एकमात्र विवेक पर मेरे/हमारे खर्च पर नियुक्त किया जा सकता है। एएफएल किसी भी समय अपने विवेक पर मुझे/हमें एक वैधानिक लेखा परीक्षक/चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र या एएफएल द्वारा आवश्यक किसी अन्य व्यक्ति से और एएफएल द्वारा आवश्यक रूप और तरीके से, यह प्रमाणित करने के लिए कह सकता है कि सुविधा का उपयोग मेरे/हमारे द्वारा, केवल ऊपर निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया है।

6. सुविधा समझौते की शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसमें धारा 16 भी शामिल है, मैं/हम/मेरे भागीदार/मेरे अधिकृत कर्मी (जैसा भी लागू हो) एतद्द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से एएफएल और उसके अधिकारियों, प्रतिनिधियों, कर्मचारियों, निदेशकों और एजेंटों को किसी भी दावे, नुकसान या खर्च के खिलाफ क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हैं, जो उन्हें निम्नलिखित के परिणामस्वरूप हुआ है: (i) सुविधा का उपयोग पैराग्राफ 1 में उल्लिखित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा है; (ii) सुविधा का उपयोग पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट उद्देश्यों में से किसी के लिए किया जा रहा है; (iii) इस घोषणा की किसी भी शर्त का उल्लंघन।

7. मैं/हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि मेरे/हमारे पास इस घोषणा को निष्पादित करने का पूरा अधिकार और प्राधिकार है।

भवदीय,

_____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/उधारकर्ता

उधारकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम (यदि लागू हो):

_____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/सह-उधारकर्ता

सह-उधारकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम (यदि लागू हो):

AXIS FINANCE

अनुसूची VII

भुगतान के लिए अनुरोध

तारीख: _____

सेवा में,
एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड ("एएफएल")

_____

विषय: दिनांक _____ के स्वीकृति पत्र के माध्यम से हमारे पक्ष में स्वीकृत सुविधा के भुगतान का अनुरोध

संदर्भ: हमारा आवेदन संख्या _____ **दिनांक** _____

महोदय/ महोदया,

यह आपके कार्यालय द्वारा मेरे/हमारे सुविधा स्वीकृति के संदर्भ में है और उसी के आगे मैं/हम आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया सुविधा राशि को निम्नलिखित तरीके से भुगतान करें:

पक्ष में 1:

पक्षपात करना	सुविधा खाता संख्या	राशि

पक्ष में 2:

पक्षपात करना	सुविधा खाता संख्या	राशि

पक्ष में 3:

पक्षपात करना	सुविधा खाता संख्या	राशि

पक्ष में 4:

पक्षपात करना	सुविधा खाता संख्या	राशि

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि:

1. मैं/हम उपरोक्त के लिए अनुरोध के अनुसार (एएफएल (एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड) द्वारा किए गए उपरोक्त संवितरण के लिए ज़िम्मेदार और उत्तरदायी होंगे और उसी के संबंध में निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले सभी दस्तावेजों के तहत एक सुविधा के रूप में माना जाएगा।
2. ब्याज़ की गणना मेरे/हमारे खाते में धन की प्राप्ति की तारीख के बावजूद संबंधित संवितरण की तारीख से शुरू होगी।
3. ब्याज़ का भुगतान मेरे/हमारे द्वारा तब भी किया जाएगा, जब संवितरण राशि का लिखत मेरे/हमारे द्वारा बैंक में जमा नहीं किया जाता है या संवितरण राशि का उपयोग मेरे/हमारे द्वारा नहीं किया जाता है।

उधारकर्ता का नाम: _____

_____
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/उधारकर्ता के हस्ताक्षर

नोट:

- बैलेंस ट्रांसफर के मामले के अलावा, कृपया ध्यान दें कि वितरण केवल उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के नाम पर रखे गए बैंक खाते में किया जाएगा।
- प्रत्येक निरस्तीकरण/सुधार/संशोधन के लिए उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर की ज़रूरत होती है। एएफएल किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी बदलाव के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जैसा कि ऊपर भरा गया है।

साक्षी है, इस बात के पक्षकारों ने इन उपहारों को प्रभावी तिथि पर निष्पादित करने का कारण बना दिया है।

उधारदाता द्वारा अपने अधिकृत अधिकारी/निदेशक श्री _____ के ज़रिए **हस्ताक्षरित और वितरित** किया गया
एएफएल (एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड) के लिए।
_____ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
उधारकर्ता श्री/श्रीमती/मेसर्स द्वारा **हस्ताक्षरित और वितरित**। _____ अपने भागीदार/अधिकृत अधिकारी/निदेशक/स्वयं के श्री/श्रीमती के ज़रिए।
_____ हस्ताक्षर
सह-उधारकर्ता-1 श्री/श्रीमती/मेसर्स द्वारा **हस्ताक्षरित और वितरित**। _____ अपने भागीदार/अधिकृत अधिकारी/निदेशक/स्वयं के श्री/श्रीमती के ज़रिए। _____ _____ हस्ताक्षर
सह-उधारकर्ता-2 श्री/श्रीमती/मेसर्स द्वारा **हस्ताक्षरित और वितरित**। _____ अपने भागीदार/अधिकृत अधिकारी/निदेशक/स्वयं के श्री/श्रीमती के ज़रिए। . _____

_____ हस्ताक्षर
सह-उधारकर्ता-3 श्री/श्रीमती/मेसर्स द्वारा **हस्ताक्षरित और वितरित**। _____ अपने भागीदार/अधिकृत अधिकारी/निदेशक/स्वयं के श्री/श्रीमती के ज़रिए। . _____ _____ हस्ताक्षर
सह-उधारकर्ता-4 श्री/श्रीमती/मेसर्स द्वारा **हस्ताक्षरित और वितरित**। _____ अपने भागीदार/अधिकृत अधिकारी/निदेशक/स्वयं के श्री/श्रीमती के ज़रिए। . _____ _____ हस्ताक्षर
सह-उधारकर्ता-5 श्री/श्रीमती/मेसर्स द्वारा **हस्ताक्षरित और वितरित**। _____ अपने भागीदार/अधिकृत अधिकारी/निदेशक/स्वयं के श्री/श्रीमती के ज़रिए। _____ _____ हस्ताक्षर
सह-उधारकर्ता-6 श्री/श्रीमती/मेसर्स द्वारा **हस्ताक्षरित और वितरित।** _____ अपने भागीदार/अधिकृत अधिकारी/निदेशक/स्वयं के श्री/श्रीमती के ज़रिए। . _____ _____ हस्ताक्षर
सह-उधारकर्ता-7 श्री/श्रीमती/मेसर्स द्वारा **हस्ताक्षरित और वितरित।** _____ अपने भागीदार/अधिकृत अधिकारी/निदेशक/स्वयं के श्री/श्रीमती के ज़रिए। _____ _____ हस्ताक्षर
सह-उधारकर्ता-8 श्री/श्रीमती/मेसर्स द्वारा **हस्ताक्षरित और वितरित।** _____ अपने भागीदार/अधिकृत अधिकारी/निदेशक/स्वयं के श्री/श्रीमती के ज़रिए। . _____
_____ हस्ताक्षर

अमल में लाने की जगह: _____

AXIS FINANCE

AXIS FINANCE

AXIS FINANCE

AXIS FINANCE

AXIS FINANCE

AXIS FINANCE

AXIS FINANCE

AXIS FINANCE